सितम्बर, 2018
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

पी एल डी (पी. डी)-9-2018 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितम्बर, 2018 अंक - 9

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

cover ii

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

संपादकीय

मानवों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शुद्ध और साफ खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी । अपमिश्रित खाद्य पदार्थों का उत्पादन व विक्रय आजकल बहुत बढ़ गया है जिसे रोकने के लिए विधान-मण्डल ने लगभग 55 वर्ष पहले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की रचना की थी । इस अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों का उत्पादन और विक्रय किए जाने के लिए सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास करती रही है किन्तु नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे कारबार में अत्यधिक लाभ पाने के प्रलोभनार्थ नैतिकता को न भूलें और न्यायालयों का भी कर्तव्य है कि उत्पादनकर्ताओं को दोषी पाए जाने पर कड़ा दंड अधिरोपित करें । किन्तु यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए । इसके लिए न्यायालयों को अन्वेषण की कार्यवाही और साक्ष्य का अति सूक्ष्मता के साथ परिशीलन करना चाहिए । खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किए जाने पर खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तब विक्रेता या निर्माता इस प्रकार किए गए अपमिश्रण के लिए दायी केवल तब हो सकते हैं जब वह खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए बाजार में रखा गया हो और साथ ही उसका पैकेट सीलबंद भी पाया गया हो । विक्रेता या निर्माता द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए खुले पैकेट के रूप में रखा गया पदार्थ इस अधिनियम के अधीन अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता । इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए **सरोज रंजन रथ और एक अन्य** बनाम **ओडिशा राज्य** (2018) 2 दा. नि. प. 350 वाला मामला एक अच्छा उदाहरण है ।

मानव अधिकारों के अतिक्रमण पर जब आवाज उठाई जाती है तब मृत्युदंड के निरसित किए जाने की भी चर्चा होती है । समाज में एक ओर अभियुक्त का परिवार है तो दूसरी ओर आहत का भी । निःसंदेह, सभी व्यक्तियों को सुखद जीवन बिताने का अधिकार है किन्तु दूसरे के जीवन की कीमत पर नहीं । दुराचारियों को नियंत्रण में रखना और जनसाधारण हेतु सौहार्द वातावरण बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है जिसके लिए हमारे विधान में कड़े कानून तक का प्रावधान है । हत्या के विरल से विरलतम मामले में पाए गए दोषी को मृत्युदंड देने का अर्थ हजारों-लाखों लोगों को नियम और कानून के प्रति उनके हितबद्धता का अहसास कराना

और सम्पूर्ण समाज को स्पष्ट और विवक्षित सुरक्षा प्रदान करना है । असाधारण हत्या किए जाने जैसी इस स्थिति को **उत्तराखण्ड राज्य** बनाम **शहजाद अली** (2018) 2 दा. नि. प. 366 वाले मामले में स्पष्ट किया गया है ।

इस अंक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भी प्रकाशित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

इस अंक में और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

सत्यमेव जयते

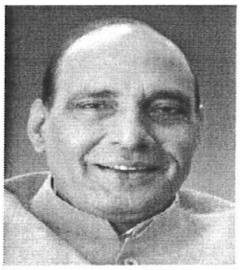

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासी बहिनो एवं भाइयो ।

हिंदी दिवस पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भाषा, किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और भाषायी एकता से ही राष्ट्र की अखण्डता सुदृढ़ होती है कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता ।

पुरातन काल से 'हिन्दी' हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है और आज वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है । हिंदी ने भारतीय संस्कृति से संविधान निर्माण प्रक्रिया तक और पुरातनयुग से स्मार्ट फोन के प्रयोग तक का लंबा सफर तय करते हुए हमारी सामासिकता को अक्षुण्ण रखने में महती भूमिका निभाई है और देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को भी पुष्ट किया है ।

जिस देश के नागरिक अपनी भाषा में सोचें और लिखें, विश्व उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है । भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और प्रजातांत्रिक देश की चहुँमुखी विकास प्रक्रिया में हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की भी अहम भूमिका रही है । हमारे देश की सभी भाषाएँ और बोलियाँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनका प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार करना, यह हमारा कर्तव्य है ।

भारतीय संविधान द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परंपराओं को जोड़ने की कड़ी और अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली, 'हिंदी भाषा' को 'संघ की राजभाषा' के रूप में चुना गया है । इसके साथ ही, संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली एवं पदावली को आत्मसात् करते हुए हिंदी भाषा का विकास करे ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।

आज कोई भी भाषा कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रह कर जन-मानस से जुड़ी नहीं रह सकती । वर्तमान में डेटाबेस के आधार पर मशीनी अनुवाद के जरिए पूरे विश्व में अनुवाद कार्य किया जा रहा है । केंद्र सरकार के कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्य में लगने वाले अतिशय मानव संसाधन और समय को बचाने के लिए राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे की सहायता से 'कंठस्थ' नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है । भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने भी एक अभिनव पहल करते हुए 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' की स्थापना की है ताकि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए नवीन ई-टूल्स विकसित किए जा सकें ।

निज भाषा के प्रति स्वाभिमान और हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता ही हिंदी में कार्य करने का मुख्य आधार है । मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों आदि में इन सॉफ्टवेयरों के अधिकाधिक प्रयोग से द्विभाषीकरण यानि अनुवाद कार्य अपेक्षाकृत सरल होगा और इससे राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलेगी ।

सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें हिंदी के विभिन्न ई-टूल्स जैसे यूनिकोड, हिंदी की-बोर्ड, लीला स्वयं हिंदी शिक्षण सॉफ्टवेयर, अनुवाद ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, श्रुतलेखन, ई-महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए ।

मॉरीशस में 18-20 अगस्त, 2018 को आयोजित किए गए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी तेजी से अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है । तथापि, पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को वह उच्चतम स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध होना होगा जिसकी वह अधिकारिणी है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक

एवं सार्थक प्रयासों से निकट भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे ।

मेरे प्रिय देशवासियों, हमें हिंदी का प्रचार-प्रसार केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रख कर इसे भारत के जन-जन तक ले जाना होगा ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके । साथ ही, हमें न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने के लिए अपना योगदान देना होगा ।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

जय हिंद ।

(राजनाथ सिंह)

नई दिल्ली,

14 सितंबर, 2018

रविशंकर प्रसाद
RAVI SHANKAR PRASAD

सत्यमेव जयते

मंत्री
विधि एवं न्याय
और
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
MINISTER OF
LAW & JUSTICE
and
ELECTRONICS & IT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला गरिमामय दिवस है । सन् 1949 में इसी दिन हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनी तथा संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी के प्रचार-प्रसार सहित भारत की सामासिक संस्कृति का विकास करने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई ।

आज के सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के युग में इसका बढ़ता हुआ प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि यह एक प्रगतिशील भाषा है जो किसी भी पीढ़ी के साथ जुड़ने में सक्षम है । केवल इतना ही नहीं इसकी सरल एवं लचीली प्रकृति के कारण हिंदीतर भाषी लोग भी बड़ी संख्या में इसे अपनाने लगे हैं । आज संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है । हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के कई शब्दों को आत्मसात् करते हुए सरल हिंदी भाषा का रूप ले लिया है ।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विधायी विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है । आप सभी इस पखवाड़े में सम्मिलित होकर अपना बहुमूल्य योगदान दें और

अधिक से अधिक सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में करने का संकल्प लें ।

मुझे विश्वास है कि हिंदी की प्रगति में आप लोगों का सामूहिक प्रयास निरंतर बना रहेगा तथा आने वाले दिनों में हिंदी का और अधिक प्रचार एवं विकास होगा और यह नित नए शिखर छुएगी ।

जय हिंद !

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2018

(रविशंकर प्रसाद)

Room No. 402, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Phone : 23387557, 23384567, 23386615 FAX : 23384241

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितम्बर, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड राज्य **बनाम** शहजाद अली	366
तौसीफ **उर्फ** तौसीफ अहमद **बनाम** कर्नाटक राज्य	380
पंकज जैन **बनाम** भारत संघ और एक अन्य	315
बिपिन घटोवर **बनाम** असम राज्य और एक अन्य	398
भरतकुमार रमेशचंद्र बरोट **बनाम** गुजरात राज्य	342
मुकेश झाडूराम यादव **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	408
मोहम्मद हारु मियां **बनाम** त्रिपुरा राज्य और अन्य	417
वचन लाल और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	436
सरोज रंजन रथ और एक अन्य **बनाम** ओडिशा राज्य	350

संसद् के अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	19 – 39

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)

– धारा 7 और 16(1)(क) – कतिपय खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध – शास्तियां – खुले डिब्बे में रखे हुए चिली पाउडर का अपमिश्रित पाया जाना – बिक्री के लिए रखे जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव – कैंटीन में पाए गए खुले डिब्बे में रखा हुआ चिली पाउडर अपमिश्रित तो पाया गया किन्तु यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वह डिब्बा बेचने के लिए रखा गया था, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित नहीं है ।

सरोज रंजन रथ और एक अन्य बनाम **ओडिशा राज्य** 350

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 88 – हाजिरी के लिए बंधपत्र स्वीकार करने की न्यायालय की शक्ति – न्यायालय को प्रदत्त बंधपत्र स्वीकार करके अभियुक्त को रिहा करने की शक्ति अभियुक्त की उस न्यायालय या ऐसे किसी अन्य न्यायालय में, जहां मामला अंतरित किया जा सकता है, हाजिरी सुकर बनाने के लिए है, इसलिए, धारा 88 में प्रयुक्त "मे" "सकता है" शब्द न्यायालय को इस संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करता है कि वह न्यायालय में हाजिर होने वाले अभियुक्त व्यक्ति से बंधपत्र स्वीकार करे अथवा नहीं ।

पंकज जैन बनाम **भारत संघ और एक अन्य** 315

– धारा 88 – अभियुक्त को बंधपत्र पर रिहा करने की शक्ति – जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी कर दिया गया हो और उसके विरुद्ध धारा 82 तथा धारा 83 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित कर दी गई हों तो वह न्यायालय में हाजिर होने अथवा न होने के संबंध में स्वतंत्र कर्ता नहीं रह जाता है, इसलिए वह धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके रिहा

पृष्ठ संख्या

किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

पंकज जैन बनाम **भारत संघ और एक अन्य** 315

– धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब – हत्या का अपराध – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने से पूर्व घटनास्थल पर पुलिस का पहुंचना – साक्षियों ने संगत रूप से यह कथन किया है कि अस्पताल में डाक्टर और मृतका के नातेदार मौजूद नहीं थे – मृतका का उपचार करने में पुलिस की व्यस्तता थी – साक्षियों की अभियुक्त और मृतका से नातेदारी न होना – यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी सम्मिलित करने में जानबूझकर विलंब किया गया – अभियोजन पक्षकथन के लिए विलंब घातक नहीं है ।

तौसीफ उर्फ **तौसीफ अहमद** बनाम **कर्नाटक राज्य** 380

– धारा 377 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302] – राज्य द्वारा अभियुक्त के दंडादेश में वृद्धि के लिए उच्च न्यायालय में अपील – जहां दोषसिद्ध अभियुक्त को अपील की दस्ती सूचना तामील की गई हो और इसके बावजूद वह न्यायालय में उपसंजात न हुआ हो और अपनी दोषमुक्ति या दंडादेश में कमी करने के लिए कोई अपील भी फाइल न की हो, तो उच्च न्यायालय द्वारा न्याय-मित्र की नियुक्ति करने के पश्चात् मामले के गुणागुण के आधार पर दंडादेश में वृद्धि करते हुए पारित किए गए निर्णय को अवैध, अधिकारिता रहित या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं कहा जा सकता है ।

भरतकुमार रमेशचंद्र बरोट बनाम **गुजरात राज्य** 342

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 53, 506 और 302 – हत्या के लिए मृत्युदंड – विरल से विरलतम मामला – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी में दो व्यक्तियों

पृष्ठ संख्या

की नृशंस हत्या – घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी – अभियुक्त-अपीलार्थी ने नौकरी से हटाए जाने के कारण मन में दुर्भावना रखते हुए उन्हीं व्यक्तियों की हत्या की है जिनके साथ वह काम करता था और साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उसने शोरूम में आग लगाई तथा घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को धमकी देते हुए मोटरसाइकिल लूटकर घटनास्थल से भागा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-अपीलार्थी का मामला विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है और हत्या के लिए मृत्युदंड देना ही न्यायोचित है ।

उत्तराखण्ड राज्य बनाम **शहजाद अली** 366

– धारा 300 अपवाद 4, 302 और 304 भाग II [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 14] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जानकारी और आशय – अभियुक्त द्वारा पूर्व वाक्‌कलह के कारण पीड़ितों पर हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप एक पीड़ित की मृत्यु हो जाना – पक्षकारों के बीच पूर्व दुश्मनी के कारण बिना पूर्वचिंतन के हमले की कार्यवाही – उस विशिष्ट अभियुक्त का पता नहीं चलना जिसके द्वारा मृतक पर विनिर्दिष्ट क्षति कारित की गई और लाठी की भांति किसी कठोर और कुंद वस्तु से कारित की गई क्षति जो साधारण प्रकृति की हो तथा यदि अभियुक्तों को यह जानकारी हो कि हमले से मृतक की मृत्यु हो सकती है परंतु उनका हत्या करने का आशय न हो और घातक क्षति को किसी अभियुक्त द्वारा साशय की गई साबित नहीं किया गया हो तो अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग II में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

वचन लाल और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 436

– धारा 302 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 377] – हत्या – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना – 10 वर्ष का दंडादेश दिया जाना – जहां सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को हत्या कारित करने के अपराध के लिए धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो, तो विधि के अधीन जो एकमात्र दंड दिया जा सकता है वह या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास को बढ़ाकर आजीवन कारावास करना न्यायोचित है ।

भरतकुमार रमेशचंद्र बरोट बनाम **गुजरात राज्य** 342

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 134] – हत्या – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – अभियुक्तों द्वारा लाठी और दाउ से हमला किए जाने का अभिकथन – किसी भी साक्षी द्वारा यह साक्ष्य नहीं दिया गया है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक की पत्नी मृतक के साथ घटनास्थल पर थी और उसने मृतक पर हमला होते हुए देखा था, साथ ही इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पति मृतक पर किस रीति में हमला किया गया था, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।

बिपिन घटोवर बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 398

– धारा 302 और 304 भाग I – हत्या – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – हेतु – अभियुक्त द्वारा मृतका पर आग लगाया जाना – मृतका को 95 प्रतिशत दाह क्षतियां पहुंचना – अभियुक्त द्वारा मृतका के सतीत्व पर संदेह करना – साक्षियों द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर मिट्टी के तेल का कैन और दियासलाई का डिब्बा पकड़े हुए देखा जाना तथा अभियुक्त द्वारा मृतका को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लाने के बहाने से घटनास्थल से भाग जाना – यदि साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

ने साशय मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और अभियोजन पक्ष ने मृतका की हत्या करने के लिए अभियुक्त के हेतु को साबित किया है तो दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन अपराध नहीं बनता है बल्कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि उचित है ।

तौसीफ उर्फ **तौसीफ अहमद** बनाम **कर्नाटक राज्य** 380

– धारा 302, 436, 392 और 411 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – रिष्टि – लूट – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या – अभियुक्त के मन में सेवा से हटाए जाने के कारण दुर्भावना आना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य संपुष्ट पाया जाना – लूटी गई मोटरसाइकिल और चाकू का अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना – अभियुक्त-अपीलार्थी ने साक्षियों की मौजूदगी में बदला लेने की भावना से दोनों मृतकों पर चाकू से हमला किया और शोरूम में आग लगाकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया और अपराध में प्रयोग की गई सामग्री अभियुक्त से बरामद हो गई और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि एक-दूसरे के साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

उत्तराखण्ड राज्य बनाम **शहजाद अली** 366

– धारा 306, 107 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 113क] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – अभियुक्त और उसकी उपपत्नी (जारिणी) द्वारा पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का अभिकथन – चिकित्सीय साक्ष्य से मानव वध की पुष्टि न होना – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा दुष्प्रेरण या क्रूरता कारित किए जाने का साक्ष्य न पाया जाना – मृतका के शरीर पर बाह्य क्षतियों

पृष्ठ संख्या

के कोई भी चिह्न नहीं पाए गए हैं और केवल फांसी पर लटकने से मृत्यु होने का ही प्रमाण मिलता है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा दुष्प्रेरण किए जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है अतः, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध किया जाना अनुचित होगा और दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

मोहम्मद हारु मियां बनाम **त्रिपुरा राज्य और अन्य** 417

– धारा 376(1) [सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)] – बलात्संग – अनुसूचित जाति की महिला के साथ अत्याचार और शोषण का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से किए गए बलात्संग के परिणामस्वरूप अभियोक्त्री का गर्भवती होना – अभियोक्त्री का संभोग के लिए सहमत पाया जाना – अभियोक्त्री की आयु का 16 वर्ष से कम न होना – अभियोक्त्री, अपीलार्थी द्वारा ही गर्भवती हुई है, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है और यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी अभियोक्त्री के गर्भ के लिए जिम्मेदार है तब भी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियोक्त्री संभोग के लिए सहमत थी और उसकी आयु उस समय 16 वर्ष से कम नहीं थी, अतः दंड संहिता की धारा 376(1) और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के अधीन अपराध के लिए की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुचित है ।

मुकेश झाडूराम यादव बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 408

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 – साक्ष्य का मूल्यांकन – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विलंब – अनुचित धन पाने के लिए पुलिस द्वारा विवश किए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिकथित घटना के एक वर्ष पश्चात् और बच्चे के जन्म के दो मास पश्चात् दर्ज कराई गई है वह भी

पृष्ठ संख्या

पुलिस द्वारा इस उद्देश्य से विवश किए जाने पर कि किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने पर सरकार से पैसा मिलता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता ।

मुकेश झाडूराम यादव बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 408

पंकज जैन

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

तारीख 3 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 88 – हाजिरी के लिए बंधपत्र स्वीकार करने की न्यायालय की शक्ति – न्यायालय को प्रदत्त बंधपत्र स्वीकार करके अभियुक्त को रिहा करने की शक्ति अभियुक्त की उस न्यायालय या ऐसे किसी अन्य न्यायालय में, जहां मामला अंतरित किया जा सकता है, हाजिरी सुकर बनाने के लिए है, इसलिए, धारा 88 में प्रयुक्त "मे" "सकता है" शब्द न्यायालय को इस संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करता है कि वह न्यायालय में हाजिर होने वाले अभियुक्त व्यक्ति से बंधपत्र स्वीकार करे अथवा नहीं ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 88 – अभियुक्त को बंधपत्र पर रिहा करने की शक्ति – जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी कर दिया गया हो और उसके विरुद्ध धारा 82 तथा धारा 83 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित कर दी गई हों तो वह न्यायालय में हाजिर होने अथवा न होने के संबंध में स्वतंत्र कर्ता नहीं रह जाता है, इसलिए वह धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके रिहा किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

प्रस्तुत मामले में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अनेक अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें अपीलार्थी भी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 409, 420, 466, 467, 469 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । विचारण न्यायालय ने संज्ञान लिया और अभियुक्तों को हाजिर होने के लिए

समन किया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा उस आवेदन का इस निदेश के साथ अंतिम रूप से निपटारा कर दिया कि यदि आवेदक दो सप्ताह के भीतर निचले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और अभ्यर्पण करता है तथा जमानत के लिए आवेदन करता है तो उसके जमानत आवेदन पर विचार किया जाएगा और उसे विनिश्चित किया जाएगा । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका फाइल की, जो कि इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए इस कारण खारिज कर दी गई क्योंकि वह वापस ले ली गई थी । इसके पश्चात् एक अनुपूरक आरोप पत्र फाइल किया गया था, जिसके आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन संज्ञान लेते हुए संज्ञान आदेश पारित किया गया था । अपीलार्थी द्वारा पुनः उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया, जिसमें अनुपूरक आरोप पत्र के अनुसरण में दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई थी । उच्च न्यायालय ने यह निदेश देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन का निपटारा कर दिया कि यदि आवेदक दो सप्ताह के भीतर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष हाजिर होता है और अभ्यर्पण करता है तथा जमानत के लिए आवेदन करता है तो यह प्रत्याशा की जाती है कि उसका निपटारा विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक कर दिया जाएगा । इसके अलावा यह निदेश दिया गया कि इसी बीच दो सप्ताह की अवधि के लिए गैर-जमानतीय वारंट के प्रभाव को आस्थगित रखा जाएगा । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए पुनः विशेष इजाजत याचिका फाइल की, जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा याची (अपीलार्थी) को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए और विचारण न्यायालय को यह निदेश देते हुए कर दिया गया कि वह जमानत संबंधी उक्त आवेदन पर तुरंत विचार करे । इस मामले पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई । न्यायालय ने यह अवेक्षा की कि अपीलार्थी और एक अन्य अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं था । न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध

गैर-जमानतीय वारंट और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 की आदेशिका जारी करने का आदेश जारी किया । उसी दिन, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवेक्षा करते हुए, विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए आदेशों पर इस न्यायालय के आदेश के अनुसार दो सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी । अपीलार्थी ने इसके पश्चात् इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन यह दलील देते हुए रिट याचिका फाइल की कि याची (अपीलार्थी) को, जिसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, केवल अभ्यर्पण करना है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र देना है । इस न्यायालय से इस आशय के निदेश की ईप्सा की गई थी । इस न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश की अवेक्षा करते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया । इस आदेश के पश्चात् अपीलार्थी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ और एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसे बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाए । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा उपर्युक्त आवेदन नामंजूर कर दिया गया था । इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने एक अन्य आवेदन फाइल किया जो कि नामंजूर कर दिया गया । आवेदक ने विशेष इजाजत याचिका फाइल की, जिसका निपटारा यह मत व्यक्त करते हुए कर दिया गया था कि चूंकि आक्षेपित आदेश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है इसलिए याची के लिए यह उचित होगा कि वह उच्च न्यायालय में समावेदन करके उस आदेश को चुनौती दे । इसके पश्चात्, याची-अपीलार्थी ने रिट याचिका फाइल की और इसमें भी याची-अपीलार्थी ने धारा 88 की शक्तिमत्ता को चुनौती देने तथा विचारण न्यायालय के आदेश को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण की रिट की ईप्सा की । यह रिट याचिका उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा खारिज कर दी गई है और इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का तद्नुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत अपील में जिस मुख्य प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इस आधार पर कि अपीलार्थी को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके उसे रिहा करना आबद्धकर था या न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके उसे रिहा करने के लिए फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर करके धारा 88 के अधीन अपनी

अधिकारिता का सही प्रयोग किया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 एक ऐसा उपबंध है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 6 "हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं" में अंतर्विष्ट है । अध्याय 6 चार भागों में विभाजित है – क. समन ; ख. गिरफ्तारी का वारंट ; ग. उद्घोषणा और कुर्की ; और घ. आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम । सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि धारा 8 में प्रयुक्त 'may' शब्द का अर्थ क्या था । यद्यपि 'मे' शब्द के साधारण प्रयोग से विवेकाधिकार विवक्षित होता है किन्तु जब 'मे' शब्द के साथ किसी प्राधिकारी या न्यायालय पर कर्तव्य संयोजित किया जाता है तब इसे 'शैल' का अर्थ दिया गया है जो कि किसी प्राधिकारी या न्यायालय पर बाध्यकर होता है । 'मे' शब्द के प्रयोग में कर्तव्य जुड़ा हुआ है अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी विशिष्ट कानून की कानूनी स्कीम से ही दिए जाने की आवश्यकता है । धारा 88 में प्रयुक्त 'मे' शब्द न्यायालय को इस संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करता है कि वह न्यायालय में हाजिर होने वाले अभियुक्त व्यक्ति से बंधपत्र स्वीकार करे अथवा नहीं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग न करने के लिए अकाट्य कारण दिए हैं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है कि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके रिहा किए जाने का हकदार नहीं था । अतः, न्यायालय उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाता है । (पैरा 13, 14, 15, 17 और 31)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 ऐसे किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती । न्यायालय को दी गई वैवेकिक शक्ति ऐसे व्यक्ति की उस न्यायालय में या ऐसे किसी अन्य न्यायालय, में जहां मामला विचारण के लिए अंतरित किया जा सकता है, उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजन और उद्देश्य के लिए है । न्यायालय को धारा 88 के अधीन दिया गया विवेकाधिकार ऐसे किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता बल्कि यह न्यायालय को दी गई ऐसी शक्ति है जिससे कि उसकी उपस्थिति सुकर बनाई जा सके, जिससे स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि 'मे' शब्द का प्रयोग वैवेकिक है और यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह जब भी स्थिति की मांग हो, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे । इसके अलावा,

यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि धारा 88 में प्रयुक्त "कोई व्यक्ति" शब्दों का व्यापक अर्थान्वयन किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो मामले में अभियुक्त भी नहीं हैं और वे साक्षी के रूप में हाजिर हुए हैं । (पैरा 23)

प्रस्तुत मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त एक मुक्त अभिकर्ता था कि वह हाजिर हो अथवा नहीं । उसके विरुद्ध पहले ही गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए थे तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन कार्यवाही भी संस्थित की गई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, वह धारा 88 के फायदे का हकदार नहीं था । (पैरा 29)

इस न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने या उससे इनकार करने के संबंध में यथा-अधिकथित प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है जो कि सुस्थापित हैं । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है, जमानत मंजूर करने संबंधी विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसम्मत रूप से और मानवीय रीति में तथा सहानुभूतिपूर्वक किया जाना चाहिए । (पैरा 33)

प्रस्तुत कार्यवाही में दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण न्यायालय अपीलार्थी के इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है कि अपीलार्थी की जमानत के मामले पर विचार किया जाए । प्रथमतः, इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती दो अवसरों पर अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी और अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया है और उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके उसे रिहा करने पर जोर दिया है । द्वितीयतः, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, सर्वप्रथम विचारण न्यायालय को अपीलार्थी की जमानत मंजूर करने संबंधी प्रार्थना पर विचार करना है । अतः, अपीलार्थी जैसे ही कोई जमानत आवेदन फाइल करता है, विचारण न्यायालय द्वारा उस पर निःशक्तता संबंधी उसके दावे और अन्य सुसंगत आधारों पर विचार करने के पश्चात्, जिन पर अपीलार्थी द्वारा जोर दिया जाता है या उसके समक्ष जोर दिया जा सकता है, तुरंत विचार किया जाएगा । (पैरा 35)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 3 एस. सी. सी. 22 : **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	32

[2016]	(2016) 3 आर. सी. आर. (दांडिक) 883 : **अरुण शर्मा** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ;	28
[2013]	(2013) 6 एस. सी. सी. 573 : **केरल राज्य और अन्य** बनाम **कंडथ डिस्टीलियरीज़** ;	22
[2006]	(2006) 132 दिल्ली ला टाइम्स 692 : **संजय चतुर्वेदी** बनाम **राज्य** ;	24
[2003]	(2003) 109 दिल्ली ला टाइम्स 494 : **न्यायालय, स्वप्रेरणा से** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	24
[2000]	(2000) 2 पटना ला जर्नल रिपोर्ट्स 686 : **डा. आनन्द देव सिंह** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	26
[1970]	(1970) 3 एस. सी. सी. 739 : **मधु लिमये और एक अन्य** बनाम **वेद मूर्ति और अन्य** ;	27, 30
[1963]	ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1618 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **जोगेन्द्र सिंह** ;	18
[1963]	ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1088 : **रामजी मिस्सर और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ;	18, 20
[1874-80]	(1874-80) ऑल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 43 : **जूलियस** बनाम **लार्ड बिशप ऑफ आक्सफोर्ड** ।	17

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 321.

2017 की रिट याचिका सं. 62167 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 21 दिसम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री मुकुल रोहतगी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सौरभ कृपाल, समीर रोहतगी, आशीष बत्तरा, वत्तन शर्मा, मनीष गुप्ता और निखिल जैन

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री मनिन्दर सिंह, अपर महासालिसिटर, आर. बालासुब्रमण्यम्, शेखर व्यास, आरती शर्मा, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, अरुण पाठक और मुकेश कुमार मरोड़िया

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 21 दिसम्बर, 2017 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी की ओर से फाइल की गई 2017 की रिट याचिका सं. 62167 खारिज कर दी गई थी । इस न्यायालय के निर्वचन के लिए जो प्रमुख मुद्दा उद्भूत हुआ है वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 88 की अंतर्वस्तु और अर्थान्वयन के संबंध में है । इससे पूर्व कि हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का उल्लेख करें, अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई दांडिक कार्यवाही से उद्भूत उस मुकदमेबाजी की शृंखला का उल्लेख करना आवश्यक है जो अपीलार्थी द्वारा भिन्न-भिन्न न्यायालयों में संस्थित की गई थी ।

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 409, 420, 466, 467, 469 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर यादव सिंह नामक व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अनेक अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें यादव सिंह और अपीलार्थी पंकज जैन भी है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में तारीख 15 मार्च, 2016 का एक आरोप पत्र, जो कि 2016 का आरोप पत्र सं. 02 है, प्रस्तुत किया गया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 29 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया और अभियुक्तों को तारीख 29 अप्रैल, 2016 को हाजिर होने के लिए समन किया । अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक आवेदन फाइल किया, जो कि 2016 का आवेदन सं. 31090 है, जिसमें 2016 के विशेष मामला सं. 10 की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही तथा तारीख 29 मार्च, 2016 के समन आदेश को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई । उच्च न्यायालय द्वारा उस आवेदन का तारीख 17 अक्तूबर, 2016 के आदेश द्वारा इस निदेश के साथ अंतिम रूप से निपटारा कर दिया कि यदि आवेदक दो सप्ताह के भीतर निचले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और अभ्यर्पण करता है तथा जमानत के लिए आवेदन करता है तो उसके जमानत आवेदन पर विचार किया जाएगा और उसे विनिश्चित किया जाएगा । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के तारीख 17 अक्तूबर, 2016 के निर्णय के विरुद्ध 2016

की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 10191 फाइल की, जो कि इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए इस कारण खारिज कर दी गई क्योंकि वह तारीख 16 जनवरी, 2017 को वापस ले ली गई थी ।

4. तारीख 31 मई, 2017 को एक अनुपूरक आरोप पत्र फाइल किया गया था, जिसके आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन संज्ञान लेते हुए तारीख 7 जून, 2017 का संज्ञान आदेश पारित किया गया था । अपीलार्थी द्वारा पुनः उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया, जो कि 2017 का आवेदन सं. 18849 है, जिसमें तारीख 31 मई, 2017 के अनुपूरक आरोप पत्र के अनुसरण में दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई थी । उच्च न्यायालय ने तारीख 6 जुलाई, 2017 के अपने आदेश द्वारा यह निदेश देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन का निपटारा कर दिया कि यदि आवेदक दो सप्ताह के भीतर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष हाजिर होता है और अभ्यर्पण करता है तथा जमानत के लिए आवेदन करता है तो यह प्रत्याशा की जाती है कि उसका निपटारा विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक कर दिया जाएगा । इसके अलावा यह निदेश दिया गया कि इसी बीच दो सप्ताह की अवधि के लिए गैर-जमानतीय वारंट के प्रभाव को आस्थगित रखा जाएगा । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के तारीख 6 जुलाई, 2017 के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए पुनः 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 7749 फाइल की, जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा तारीख 24 नवम्बर, 2017 को याची (अपीलार्थी) को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए और विचारण न्यायालय को यह निदेश देते हुए कर दिया गया कि वह जमानत संबंधी उक्त आवेदन पर तुरंत विचार करे ।

5. तारीख 27 नवम्बर, 2017 को इस मामले पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई । न्यायालय ने यह अवेक्षा की कि अपीलार्थी और एक अन्य अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं था । न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट और दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 की आदेशिका जारी करने का आदेश जारी किया । उसी दिन, इस न्यायालय द्वारा 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 7749 में तारीख 24 नवम्बर, 2017 को पारित आदेश की अवेक्षा करते हुए, विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए आदेशों पर इस न्यायालय के आदेश के अनुसार दो सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी । अपीलार्थी ने इसके पश्चात् इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन यह दलील देते हुए 2017 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 199 फाइल की कि याची (अपीलार्थी) को, जिसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, केवल अभ्यर्पण करना है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र देना है । इस न्यायालय से इस आशय के निदेश की ईप्सा की गई थी । इस न्यायालय ने अपने तारीख 6 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के तारीख 24 नवम्बर, 2017 के पूर्ववर्ती आदेश की अवेक्षा करते हुए निम्नलिखित आदेश सहित रिट याचिका का निपटारा कर दिया :–

"हमारे तारीख 24 नवम्बर, 2017 के उपर्युक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि याची को प्रथमतः विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होना चाहिए, जो कि पहले से तैयार किया गया कार्रवाई का अनुक्रम है । याची दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन आवेदन फाइल करने या जमानत आवेदन फाइल करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसी कि उसे सलाह दी जाए । याची अपनी दलील के समर्थन में ऊपर उल्लिखित निर्णयों का अवलंब लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा । विचारण न्यायालय को ही मामले की परीक्षा करनी है और उसके संबंध में अपनी राय बनानी है । जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, गुणागुण के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त नहीं की जाती है ।

श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि याची, जो कि आज न्यायालय में उपस्थित है, कल, तारीख 7 दिसम्बर, 2017 को अभ्यर्पण करेगा और विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा । विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल के इस निवेदन को नोट किया जाता है ।

इस रिट याचिका का उपर्युक्त निबंधनों में निपटारा किया जाता है ।"

6. इस न्यायालय के तारीख 6 दिसम्बर, 2017 के आदेश के पश्चात्, अपीलार्थी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ और तारीख 7 दिसम्बर, 2017 का आवेदन प्रस्तुत किया । उस आवेदन में, निम्नलिखित प्रार्थना की गई है :–

> "(क) यह कि यह माननीय न्यायालय अपीलार्थी पंकज जैन द्वारा, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 7749 में पारित तारीख 24 नवम्बर, 2017 के आदेश के साथ पठित 2017 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 199 में पारित तारीख 6 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के अनुसरण में इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया से उपस्थित है, किए गए इस आवेदन पर कार्यवाही करे और उसका निपटारा करे तथा उसे किसी कारागार में भेजे बिना आर.सी. सं. आर.सी./डी.एस.टी./2015/ए/0004/सी.बी.आई/.एस.टी.एफ./डी. एल. आई., तारीख 30 जुलाई, 2015/मामला सं. 10ए/2016 और 3/2017 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार ऐसा बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात करे, जो उपयुक्त समझा जाए ;
>
> (ख) ऐसा कोई अन्य या अतिरिक्त आदेश मंजूर किया जाए, जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में और न्याय के हित में उचित समझे ।"

7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 7 दिसम्बर, 2017 का उपर्युक्त आवेदन नामंजूर कर दिया गया था । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि धारा 88 में प्रयुक्त 'may' (कर सकता है) शब्द से यह द्योतित होता है कि धारा 88 आज्ञापक नहीं है और यह एक न्यायिक विवेकाधिकार का विषय है । विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों की अवेक्षा करने के पश्चात् 2017 का आवेदन सं. 14ख नामंजूर कर दिया । तारीख 7 दिसम्बर, 2017 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा 2017 का एक अन्य आवेदन सं. 101ख फाइल किया गया था जो कि नामंजूर कर दिया गया था । आवेदक ने 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 9764 फाइल की, जिसका निपटारा तारीख 15 दिसम्बर, 2017 के उसके आदेश द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए कर दिया गया था कि चूंकि आक्षेपित आदेश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है इसलिए याची के लिए यह उचित होगा कि वह उच्च न्यायालय में

समावेदन करके उस आदेश को चुनौती दे । तारीख 15 दिसम्बर, 2017 के आदेश के पश्चात्, याची-अपीलार्थी ने 2017 की रिट याचिका सं. 62167 फाइल की और इसमें भी याची-अपीलार्थी ने धारा 88 की शक्तिमत्ता को चुनौती देने तथा विचारण न्यायालय के तारीख 7 दिसम्बर, 2017 के आदेश को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण की रिट की ईप्सा की । उस रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं :–

"(क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 में 'may' (कर सकता है) शब्द का उपर्युक्त संदर्भ में प्रयोग किया जाना असांविधानिक, स्पष्टतः मनमाना, अयुक्तियुक्त और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत मूल अधिकारों के अधिकारातीत घोषित करते हुए समुचित रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए या अनुकल्पतः धारा 88 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के दोष के आधार पर असांविधानिकता से बचाने के लिए इस संदर्भ में उसके क्षेत्र की व्याख्या, विवेचना और वर्णन करके उसके प्रभाव को कम करके पढ़ा जाए ।

(ख) विचारण न्यायालय, अर्थात्, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार-निरोधी मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा पारित तारीख 7 दिसम्बर, 2017 के आक्षेपित आदेश/आदेशों को अपास्त करते हुए, याची को आर. सी. सं. आर.सी./डी.एस.टी./2015/ए/0004/सी.बी.आई./एस.टी.एफ./डी. एल. आई., तारीख 30 जुलाई, 2015 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन उक्त विचारण न्यायालय के समाधानप्रद रूप में अपना बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात करते हुए उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के पारिणामिक अनुतोष सहित उत्प्रेषण की रिट या कोई अन्य समुचित रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए ।

(ग) माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई अतिरिक्त आदेश भी, जो न्याय के हित में हो, पारित किया जा सकता है ।"

8. यह रिट याचिका उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 21 दिसम्बर, 2017 के उसके निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है और इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है ।

9. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले

श्री मनिन्दर सिंह, भारत के अपर महासालिसिटर की सुनवाई की है ।

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी ने यह दलील दी है कि चूंकि अपीलार्थी को जब वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष अन्वेषण के दौरान हाजिर हुआ, गिरफ्तार नहीं किया गया है इसलिए न्यायालय के लिए यह आबद्धकर था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करता और अपीलार्थी को तुरंत रिहा करता । उसने यह दलील दी कि विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने धारा 88 के अधीन आवेदन नामंजूर करके त्रुटि कारित की है । इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी द्वारा जमानत आवेदन फाइल नहीं किया गया था चूंकि उन सभी व्यक्तियों को, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, अभिरक्षा में ले लिया गया था और उनके जमानत संबंधी आवेदन नामंजूर कर दिए गए थे । विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने यह दलील दी कि यद्यपि धारा 88 में 'may' शब्द का प्रयोग किया गया है किन्तु 'may' शब्द का पठन 'shall' के रूप में करना होगा जिससे कि न्यायालय पर, उन व्यक्तियों को, जो अपनी इच्छानुसार न्यायालय में हाजिर हुए हैं, बंधपत्र देने पर रिहा करने की बाध्यता डाली जा सके । उन्होंने आगे यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करके भूल कारित की है कि याची ने जब 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 7749 फाइल की थी तो उसने इस न्यायालय से तात्विक तथ्यों को छिपाया था । यह दलील दी गई है कि 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 7749 में समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था और उच्च न्यायालय की यह मताभिव्यक्ति सही नहीं है कि किसी तथ्य को छिपाया गया था ।

11. प्रत्यर्थी की ओर से श्री मनिन्दर सिंह, भारत के विद्वान् अपर महासालिसिटर ने अपीलार्थी की दलील का खंडन करते हुए यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 का निर्वचन सही रूप में किया गया है । यह दलील दी गई है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध न केवल समन जारी किए गए थे बल्कि गैर-जमानतीय वारंट और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अधीन कार्यवाहियां भी संस्थित की गई थीं । अतः, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किए जाने की कृपा का हकदार नहीं था । उन्होंने आगे यह दलील दी कि धारा 88 के अधीन न्यायालय को बंधपत्र स्वीकार करके किसी व्यक्ति को रिहा करने की वैवेकिक शक्ति प्राप्त है, जिसका ऐसे अभियुक्त द्वारा अधिकार-स्वरूप दावा

नहीं किया जा सकता, जिसे पहले ही समन जारी किया जा चुका है और जिसके विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किया गया है । इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि यद्यपि याची-अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन विभिन्न आवेदन तथा इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाएं फाइल की हैं तथापि, उसने अब तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायालय के समक्ष कोई जमानत आवेदन फाइल नहीं किया है । उन्होंने यह दलील दी कि यद्यपि अपीलार्थी द्वारा तारीख 16 जनवरी, 2017 को, जब 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 10190 खारिज की गई थी तथा तारीख 24 नवम्बर, 2017 को, जब 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 7749 का निपटारा किया गया था, न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए इस न्यायालय से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली गई थी तथापि, ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा जमानत के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया था ।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेलों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है ।

13. प्रस्तुत अपील में जिस मुख्य प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इस आधार पर कि अपीलार्थी को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके उसे रिहा करना आबद्धकर था या न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके उसे रिहा करने के लिए फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर करके धारा 88 के अधीन अपनी अधिकारिता का सही प्रयोग किया था ।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 एक ऐसा उपबंध है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 6 "हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं" में अंतर्विष्ट हैं । अध्याय 6 चार भागों में विभाजित है – क. समन ; ख. गिरफ्तारी का वारंट ; ग. उद्घोषणा और कुर्की ; और घ. आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम । धारा 88 में निम्नलिखित रूप में उपबंध किया गया है :–

> "**88. हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति** – जब कोई व्यक्ति, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है,

ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, निष्पादित करे ।"

15. हमारे लिए सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि धारा 8 में प्रयुक्त 'may' शब्द का अर्थ क्या था ।

16. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने "प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रटेशन", 14वां संस्करण में समर्थकारी शब्द 'may' पर विचार करते समय निर्वचन के निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया :-

"(ट) समर्थकारी शब्द, उदाहरणार्थ, 'मे' (सकेगा), 'इट शैल बी लॉफुल' (यह विधिपूर्ण होगा), 'शैल हैव पावर' (शक्ति होगी) । कर्तव्य से जुड़ी शक्ति ।

साधारणतया, 'मे' और 'इट शैल बी लॉफुल' शब्द बाध्यकारी शब्द नहीं होते हैं । ये समर्थकारी शब्द हैं और ये केवल क्षमता, शक्ति या प्राधिकार प्रदान करते हैं और इनसे विवेकाधिकार विवक्षित होता है । इन दोनों शब्दों का प्रयोग कानून में यह उपदर्शित करने के लिए किया जाता है कि कोई ऐसा काम किया जा सकता है जो इससे पूर्व नहीं किया जा सका था । 'शैल हैव पावर' शब्दों का प्रयोग भी इसी विचार को द्योतित करता है ।"

17. यद्यपि 'मे' शब्द के साधारण प्रयोग से विवेकाधिकार विवक्षित होता है किन्तु जब 'मे' शब्द के साथ किसी प्राधिकारी या न्यायालय पर कर्तव्य संयोजित किया जाता है तब इसे 'शैल' का अर्थ दिया गया है जो कि किसी प्राधिकारी या न्यायालय पर बाध्यकर होता है । 'मे' शब्द के प्रयोग में कर्तव्य जुड़ा हुआ है अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी विशिष्ट कानून की कानूनी स्कीम से ही दिए जाने की आवश्यकता है । लार्ड कैरन्स द्वारा **जूलियस** बनाम **लार्ड बिशप ऑफ आक्सफोर्ड**[1] वाले मामले में निर्वचन के सिद्धांतों को अधिकथित किया गया है जहां लार्ड कैरन्स ने कानूनी निर्वचन के सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया :-

"किसी कार्य की प्रकृति में ऐसा कुछ हो सकता है जिसे करने

[1] (1874-80) ऑल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 43.

की शक्ति प्राप्त हो, उस उद्देश्य में कुछ हो सकता है जिसके लिए वह किया जाना है, उन शर्तों में कुछ हो सकता है जिनके अधीन वह किया जाना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के, जिनके फायदे के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, हक में ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें शक्ति के साथ कोई कर्तव्य जुड़ा हो और वह शक्ति उसे उस व्यक्ति का, जिसे वह शक्ति दी जाती है, यह कर्तव्य बनाती है कि वह उस शक्ति का तब प्रयोग करे जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए ।

जहां किसी लोक अधिकारी को, विनिर्दिष्ट रूप से इंगित ऐसे व्यक्तियों के फायदे के लिए प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई शक्ति प्रदान की जाती है, जिनके संबंध में विधान-मंडल द्वारा उन शर्तों की परिभाषा दी जाती है जिन्हें पूरा करने पर वे उसका प्रयोग करने की अपेक्षा करने के हकदार होते हैं, वहां उस शक्ति का प्रयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए और न्यायालय यह अपेक्षा करेगा कि उसका प्रयोग किया जाए ।

जब कभी शक्ति का उद्देश्य किसी विधिक अधिकार को प्रभावशील करना होता है तब समर्थकारी शब्दों का अर्थान्वयन अनिवार्य रूप में किया जाता है ।"

18. अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **जोगेन्द्र सिंह**[1] और **रामजी मिस्सर और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के प्रति निर्देश किया । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **जोगेन्द्र सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनिक अधिकरण) नियम, 1947 के नियम 4(2) में 'मे' शब्द का प्रयोग किए जाने के संबंध में विचार किया । उपर्युक्त संबंध में, पैरा 8 में निम्न प्रकार कथन किया गया है :–

"8. नियम 4(2) राजपत्रित सरकारी सेवकों के वर्ग के संबंध में है और इसमें उन्हें राज्यपाल को यह अनुरोध करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि उपनियम (1) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत उनके मामले अधिकरण को निर्देशित किए जाने चाहिएं । हमारे विनिश्चयार्थ प्रश्न यह है कि क्या नियम 4(1) में

[1] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1618.
[2] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1088.

'मे' (सकेगा) शब्द की तरह, जो कि राज्यपाल को विवेकाधिकार प्रदत्त करता है, उपनियम (2) में प्रयुक्त 'मे' शब्द उसे विवेकाधिकार प्रदान करता है या उपनियम (2) में प्रयुक्त 'मे' शब्द से वास्तव में 'शैल' (करेगा) या 'मस्ट' (अवश्य करना चाहिए) अभिप्रेत है ? इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि साधारणतया 'मे' शब्द से 'मस्ट' या 'शैल' अभिप्रेत नहीं होता है । किन्तु यह सुस्थापित है कि 'मे' शब्द से संदर्भ के प्रकाश में 'मस्ट' या 'शैल' अभिप्रेत हो सकता है । यह भी स्पष्ट है कि जहां किसी लोक प्राधिकारी को कोई ऐसा विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है जिससे कोई बाध्यता संयोजित होती है तो 'मे' शब्द का, जो विवेकाधिकार द्योतित करता है, अर्थान्वयन आदेश के अर्थ में किया जाना चाहिए । कभी-कभी, विधान-मंडल, उस प्राधिकारी की, जिसे शक्ति और बाध्यता प्रदत्त या अधिरोपित की जानी आशयित है, उच्च हैसियत के सम्मानस्वरूप 'मे' शब्द का प्रयोग करता है । प्रस्तुत मामले में, संदर्भ ही विनिश्चायक है । यदि उक्त नियम में 'मे' शब्द का अर्थान्वयन वही किया जाता है जो कि उपनियम (1) में उसका है तो नियम 4(2) का संपूर्ण प्रयोजन ही विफल हो जाएगा । यह इस कारण है कि राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में राज्यपाल को यह विवेकाधिकार पहले ही प्रदान किया गया था कि उनके मामलों को अधिकरण को निर्देशित किया जाए, इसलिए नियम बनाने वाला प्राधिकारी उनकी बाबत ऐसा विशेष उपबंध करना चाहता था जो कि नियम 4(1) और नियम 4(2) के अधीन आने वाले अन्य सरकारी सेवकों के लिए विहित नियम से सुभिन्न हो अन्यथा नियम 4(2) पूर्णतः अनावश्यक हो जाएगा । दूसरे शब्दों में, नियम 4(2) को अधिनियमित करने का साधारण और सुस्पष्ट उद्देश्य राजपत्रित सरकारी सेवकों को यह विकल्प प्रदान करना है कि वह राज्यपाल को यह अनुरोध कर सकें कि उनके मामलों का विचारण किसी अधिकरण द्वारा न कि अन्यथा किया जाना चाहिए । संभवतः नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने यह सोचा कि राजपत्रित सरकारी सेवकों की प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान करना विधिसम्मत होगा । अतः, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस मत को स्वीकार करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है कि नियम 4(2) राज्यपाल पर यह बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा की गई इस प्रार्थना को स्वीकार करे कि उसका मामला नियमों के अधीन अधिकरण को निर्देशित किया

जाना चाहिए । ऐसा अनुरोध, स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी द्वारा किया गया था और उसे स्वीकार नहीं किया गया है । अतः, हमारा यह समाधान हो गया है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के मामले को नियमों के अधीन अधिकरण को निर्देशित करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाहियों को अभिखंडित करके सही किया था ।"

19. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 4(2) में 'मे' शब्द का प्रयोग एक बाध्यता प्रदत्त करता है और सरकारी सेवकों को राज्यपाल को अनुरोध करने का अधिकार देता है । इस प्रकार, उपर्युक्त मामले में, 'मे' शब्द के साथ कर्तव्य जुड़ा था, जिसे बाध्यकारी अभिनिर्धारित किया गया था ।

20. **रामजी मिस्सर और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय ने पुनः अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 11(1) और धारा 6(2) पर विचार किया । इस न्यायालय ने पैरा 16 में निम्नलिखित रूप में अधिकथित किया :–

"16. यद्यपि 'मे' शब्द से प्रायिक वाक्यांश "इट शैल बी लॉफुल" के अर्थों में मात्र एक समर्थकारी या अनुज्ञात्मक शक्ति द्योतित हो सकती है तथापि, वह इस प्रकार अर्थान्वयन किए जाने के लिए भी सक्षम है कि उसके द्वारा एक बाध्यकारी कर्तव्य के प्रति-निर्देश किया गया है विशेषकर तब जब वह किसी न्यायालय या अन्य न्यायिक प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रतिनिर्देश करता है । जैसा कि मैक्सवेल ऑन स्टेट्यूट में मताभिव्यक्ति की गई है –

ऐसे कानूनों से, जो व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं या जैसा कि उनमें कभी-कभी लोक भलाई या न्याय को अग्रसर करने के लिए कहा जाता है, प्रायः तब संविवाद उत्पन्न हुए हैं जब साधारणतया उनमें समर्थकारी न कि आज्ञापक निबंधनों में प्राधिकार प्रदत्त किया जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनों में यह अधिनियमित करते समय कि वे ऐसे कार्य कर सकेंगे (may), करेंगे (shall) यदि वे उपयुक्त समझें (if they think fit) या उन्हें यह शक्ति होगी(shall have power) या यह कि उनके लिए यह विधिपूर्ण होगा (it shall be lawful), मात्र

अनुज्ञा की भाषा का प्रयोग किया जाता है किन्तु इसे इतना अधिक विनिश्चित किया गया है कि अब यह स्वयंसिद्ध हो गया है कि ऐसे मामलों में ऐसी अभिव्यक्तियों का कम से कम बाध्यकारी बल हो सकता है ।"

21. इस न्यायालय ने यह अवेक्षा की है कि 1958 के अधिनियम में न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देशों के रूप में कतिपय कसौटियां अधिकथित की गईं हैं । न्यायालय ने इस निवेदन को नामंजूर कर दिया कि अपील न्यायालय को धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त है । उपर्युक्त मामला एक ऐसा मामला भी था जहां न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग कतिपय दिशानिर्देशों और कसौटियों के अधीन किया जाना था, जो कि विवेकाधिकार का एक ऐसा मामला था, जिसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ था ।

22. इस न्यायालय ने **केरल राज्य और अन्य** बनाम **कंडथ डिस्टीलियरीज़**[1] वाले मामले में केरल आबकारी अधिनियम, 1902 में 'मे' अभिव्यक्ति के प्रयोग पर विचार किया । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अभिव्यक्ति आयुक्त को वैवेकिक शक्ति प्रदत्त करती है और इस शक्ति के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ नहीं है । पैरा 29 में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई है :–

"29. धारा 14 में "आयुक्त, 'सरकार के अनुमोदन से' कर सकेगा" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, इसी प्रकार नियम 4 में भी "आयुक्त, 'यदि उसका समाधान हो गया है', 'ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे', अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा" । धारा 14 और नियम 4 में प्रयुक्त ये सभी अभिव्यक्तियां आयुक्त तथा राज्य सरकार को वैवेकिक शक्तियां प्रदत्त करती हैं न कि ऐसी वैवेकिक शक्ति, जिसके साथ कर्तव्य संयोजित है....... ।"

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 ऐसे किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती । न्यायालय को दी गई वैवेकिक शक्ति ऐसे व्यक्ति की उस न्यायालय में या ऐसे किसी अन्य न्यायालय में जहां मामला विचारण के लिए अंतरित किया जा सकता है, उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजन और उद्देश्य के लिए है । न्यायालय को धारा 88 के अधीन दिया गया विवेकाधिकार ऐसे किसी

---

[1] (2013) 6 एस. सी. सी. 573.

व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता बल्कि यह न्यायालय को दी गई ऐसी शक्ति है जिससे कि उसकी उपस्थिति सुकर बनाई जा सके, जिससे स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि 'मे' शब्द का प्रयोग वैवेकिक है और यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह जब भी स्थिति की मांग हो, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे । इसके अलावा, यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि धारा 88 में प्रयुक्त "कोई व्यक्ति" शब्दों का व्यापक अर्थान्वयन किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो मामले में अभियुक्त भी नहीं हैं और वे साक्षी के रूप में हाजिर हुए हैं ।

24. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के प्रतिनिर्देश किया है, अर्थात्, **न्यायालय, स्वप्रेरणा से** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] । उपर्युक्त मामले में, न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 और धारा 170 के संदर्भ में कतिपय साधारण निदेश जारी किए गए थे । उक्त मामला ऐसा मामला नहीं था जिसमें ऐसा विवाद्यक, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 से संबंधित प्रस्तुत मामले में उद्भूत हुआ है, अंतर्वलित था । **संजय चतुर्वेदी** बनाम **राज्य**[2] वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का पश्चात्वर्ती निर्णय भी एक ऐसा मामला था जिसमें **न्यायालय, स्वप्रेरणा से** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय का अनुसरण किया गया था । उक्त मामले में भी धारा 88 का किसी भी रीति में उस प्रकार निर्वचन अंगीकृत नहीं किया गया था, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दलील दी गई है ।

25. दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय द्वारा, जो कि तारीख 23 मई, 2011 को विनिश्चित **संजय चन्द्रा** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** वाले मामले में 2011 के जमानत आवेदन सं. 509 के संबंध में था, विद्वान् अपर महासालिसिटर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन शक्ति के संबंध में किए गए निवेदन को समर्थन मिलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 में प्रयुक्त 'मे' शब्द आज्ञापक नहीं है और यह एक न्यायिक विवेकाधिकार का मामला है । निर्णय का पैरा 20, 21 और 22 निम्नलिखित रूप में है :–

---

[1] (2003) 109 दिल्ली ला टाइम्स 494.

[2] (2006) 132 दिल्ली ला टाइम्स 692.

"20. अभियुक्त संजय चन्द्रा की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी और श्री के. टी. एस. तुलसी, अभियुक्त विनोद गोयनका की ओर से उपस्थित होने वाले ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, अभियुक्त गौतम दोषी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सोली सोराबजी और श्री रंजीत कुमार, अभियुक्त हरी नायर की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव नायर और अभियुक्त सुरेन्द्र पिपारा की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने प्रारंभ में यह दलील दी है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश का तारीख 20 अप्रैल, 2011 का वह आदेश, जिसके द्वारा याचियों की जमानत नामंजूर की गई थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधिदेश का अतिक्रमणकारी है । यह दलील दी गई है कि स्वीकृततः याचियों को न तो अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया था और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अधीन यथा-प्रकल्पित आरोप पत्र के साथ अभिरक्षा में पेश किया गया था । इसलिए, विचारण न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बंधपत्र की ईप्सा करके याचियों को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए था । अतः, इस बात पर जोर दिया गया कि केवल इसी आधार पर याची जमानत के लिए हकदार हैं ।

21. याचियों द्वारा जो निर्वचन करने की ईप्सा की गई है वह भ्रामक है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के गलत पठन पर आधारित है, जिसे निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है –

> '**88. हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति** – जब कोई व्यक्ति, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र, प्रतिभूओं सहित या रहित, निष्पादित करे ।'

22. उपर्युक्त का पठन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 द्वारा न्यायालय को अपने न्यायिक

विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे किसी व्यक्ति से, जो न्यायालय में उपस्थित है, हाजिर होने के लिए बंधपत्र की ईप्सा करने के लिए सशक्त किया गया है । इस धारा में यह उपबंध भी किया गया है कि उपर्युक्त शक्ति अनिर्बंधित नहीं है और इसका प्रयोग केवल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है जिनकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए जमानत आवेदन सं. 508/2011, 509/2011, 510/2011, 511/2011 और 512/2011, पृष्ठ 21/34 में न्यायालय समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है । इस धारा में प्रयुक्त शब्द "उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह बंधपत्र निष्पादित करे" ऐसे किसी व्यक्ति के लिए हैं, जो न्यायालय में उपस्थित है । 'मे' शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 आज्ञापक नहीं है और यह न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार का मामला है । "कोई व्यक्ति" शब्द इस बात के सूचक हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन परिभाषित न्यायालय की शक्ति केवल विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्तों के संबंध में नहीं है बल्कि इसका प्रयोग अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है जैसे कि ऐसा साक्षी, जिसकी न्यायालय में उपस्थिति जांच या विचारण के प्रयोंजनार्थ आवश्यक समझी जाए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 का सावधानीपूर्वक पठन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह न्यायालय की शक्ति को परिभाषित करने वाला एक साधारण उपबंध है किन्तु इसमें इस संबंध में उपबंध नहीं है कि इस वैवेकिक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार और किस रीति में किया जाना है । याची गैर-जमानतीय अपराध कारित करने के अभियुक्त हैं । अतः, जमानत के लिए उनका मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अंतर्गत आता है, जो कि गैर-जमानतीय अपराधों के मामलों में किसी अभियुक्त को जमानत मंजूर करने संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध है । अतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 और धारा 437 का संयुक्त रूप से पठन करने से यह स्पष्ट होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 एक स्वतंत्र धारा नहीं है और यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अध्यधीन है । अतः, मुझे इस दलील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है कि याचियों को जमानत देने से इनकार करने वाला विद्वान् विशेष न्यायाधीश का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 का अतिक्रमणकारी होने के कारण अवैध है ।"

26. इस संदर्भ में जो एक अन्य निर्णय सुसंगत है, वह **डा. आनन्द देव सिंह** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय है । इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 पर विचार किया था, जहां पैरा 18 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "18. मेरी सुविचारित राय में, संहिता की धारा 88 एक समर्थकारी उपबंध है, जो कि मजिस्ट्रेट में यह विवेकाधिकार निहित करता है कि वह उक्त धारा के अधीन जमानतीय मामलों या तुच्छ मामलों में किसी व्यक्ति को केवल हाजिरी के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की मांग संबंधी अपनी शक्ति का प्रयोग करे और गंभीर अपराधों की दशा में इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है । संहिता की धारा 436 में स्वतः यह उपबंधित है कि केवल जमानतीय अपराधों के मामलों में ही बंधपत्र की मांग की जाए ।"

27. इस न्यायालय को **मधु लिमये और एक अन्य** बनाम **वेद मूर्ति और अन्य**[2] वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 91 पर विचार करने का अवसर मिला, जो कि 1973 की संहिता की वर्तमान धारा 88 के समरूप है और धारा 91 के संदर्भ में निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां की गईं थीं :–

> "........ वास्तव में, धारा 91 ऐसे व्यक्ति को लागू होती है जो कि न्यायालय में उपस्थित है और वह इसलिए मुक्त है क्योंकि इसमें न्यायालय के समक्ष किसी अन्य दिवस को उसे हाजिर होने के लिए बाध्य होने की बात कही गई है । इससे यह दर्शित होता है कि वह व्यक्ति इस संबंध में स्वतंत्र कर्ता होना चाहिए कि चाहे वह हाजिर हो अथवा नहीं । यदि कोई व्यक्ति पहले ही गिरफ्तारी और अभिरक्षा में है, जैसे कि याची थे, तो उनकी हाजिरी उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं थी बल्कि उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर थी जिसकी अभिरक्षा में वे थे । अतः, यह धारा अनुपयुक्त थी और मामले के समर्थन में उद्धृत किया गया निर्णय गलत रूप में विनिश्चित किया गया था जैसा कि विशेष न्यायपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था .... ।"

28. अपीलार्थी द्वारा जिस एक अन्य निर्णय का अवलंब लिया गया है

---

[1] (2000) 2 पटना ला जर्नल रिपोर्ट्स 686.

[2] (1970) 3 एस. सी. सी. 739.

वह **अरुण शर्मा** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय है । उक्त मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 पर विचार किया । उपर्युक्त संदर्भ में, पैरा 11 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है :–

"11. इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 से असंगत किसी बात के अभाव में, जब कोई व्यक्ति समन या वारंट द्वारा आदेशिका जारी करने के अनुसरण में धन-शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया हाजिर होता है और न्यायालय के समक्ष आगे हाजिर होने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है तब ऐसा बंधपत्र प्रस्तुत करने संबंधी उसके आवेदन पर किसी प्रकार से विचार करना आवश्यक रूप से धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 द्वारा शासित होगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 निम्नलिखित रूप में है –

'**88. हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति** – जब कोई व्यक्ति, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र, प्रतिभूओं सहित या रहित, निष्पादित करे ।'

यह धारा 88 (जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 91 के तद्नुरूप है) ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी जिसकी हाजिरी उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है बल्कि जिसे प्राधिकारियों द्वारा अभिरक्षा में लाया जाता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने मधु लिमये **बनाम** वेद मूर्ति (ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2481) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि –

'........ वास्तव में, धारा 91 ऐसे व्यक्ति को लागू होती है

[1] (2016) 3 आर. सी. आर. (दांडिक) 883.

> जो कि न्यायालय में उपस्थित है और वह इसलिए मुक्त है क्योंकि इसमें न्यायालय के समक्ष किसी अन्य दिवस को उसे हाजिर होने के लिए बाध्य होने की बात कही गई है । इससे यह दर्शित होता है कि वह व्यक्ति इस संबंध में स्वतंत्र कर्ता होना चाहिए कि चाहे वह हाजिर हो अथवा नहीं । यदि कोई व्यक्ति पहले ही गिरफ्तारी और अभिरक्षा में है, जैसे कि याची थे, उनकी हाजिरी उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं थी बल्कि उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर थी जिनकी अभिरक्षा में वे थे..... ।'

अतः, इस प्रकार की स्थिति में जहां अभियुक्त व्यक्तियों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें संज्ञान लेने के लिए अभिरक्षा में पेश नहीं किया गया था वहां विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से हाजिर होने पर आगे हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 लागू होगी ।"

29. प्रस्तुत मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त एक मुक्त अभिकर्ता था कि वह हाजिर हो अथवा नहीं । उसके विरुद्ध पहले ही गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए थे तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन कार्यवाही भी संस्थित की गई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, वह धारा 88 के फायदे का हकदार नहीं था ।

30. पंजाब-हरियाणा वाले मामले में, उच्च न्यायालय ने **मधु लिमये** बनाम **वेद मूर्ति** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 88 लागू होगी क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और संज्ञान लेने के लिए उन्हें अभिरक्षा में नहीं लिया गया था । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिस बात को अनदेखा कर दिया वह यह है कि इस न्यायालय ने उसी पैराग्राफ में यह मत व्यक्त किया था "इससे यह दर्शित होता है कि वह व्यक्ति इस बारे में मुक्त कर्ता होना चाहिए कि वह हाजिर हो अथवा नहीं" । जब अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने के लिए गिरफ्तारी-वारंट जारी किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई थी तब उसे न्यायालय में हाजिर होने या न होने के लिए मुक्त अभिकर्ता अभिनिर्धारित नहीं किया जा

सकता है । अतः, हमारा यह मत है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में धारा 88 को सही रूप में लागू नहीं किया है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

31. अतः, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 88 में प्रयुक्त 'मे' शब्द न्यायालय को इस संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करता है कि वह न्यायालय में हाजिर होने वाले अभियुक्त व्यक्ति से बंधपत्र स्वीकार करे अथवा नहीं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग न करने के लिए अकाट्य कारण दिए हैं । हम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके रिहा किए जाने का हकदार नहीं था । अतः, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं ।

32. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी ने **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] (2018 की दांडिक अपील सं. 227) वाले मामले में इस न्यायालय के तारीख 6 फरवरी, 2018 के हाल ही के निर्णय का अवलंब लिया । अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी है कि इस न्यायालय ने जमानत मंजूर करने या उससे इनकार करने से संबंधित सिद्धांतों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है । इस न्यायालय ने पैरा 6 और पैरा 7 में निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां की हैं :–

> "6. जमानत से संबंधित उपबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नीकेश ताराचंद शाह **बनाम** भारत संघ [(2017) 13 स्केल 609] वाले मामले में दिए गए हाल ही के विनिश्चय में विस्तृत और सुबोधगम्य रूप से स्पष्ट किया गया है, जिसमें मैग्ना कार्टा के समय का उल्लेख किया गया है । उस विनिश्चय में, गुरबख्श सिंह सिब्बिया **बनाम** पंजाब राज्य [(1980) 2 एस. सी. सी. 565] वाले मामले के प्रति निर्देश किया गया है, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि बहुत पहले नागेन्द्र **बनाम** किंग एम्परर (ए. आई. आर. 1924 कलकत्ता

[1] (2018) 3 एस. सी. सी. 22.

476) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना है । एम्परर **बनाम** हचिन्सन (ए. आई. आर. 1931 इलाहाबाद 356) वाले मामले के प्रति भी निर्देश किया गया था जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि जमानत मंजूर करना नियम है और उससे इनकार करना अपवाद है । अतः जमानत से संबंधित उपबंध प्राचीन है और जमानत से संबंधित उपबंध का उदार निर्वचन करना लगभग एक शताब्दी पुराना है जो कि औपनिवेशिक काल का है ।

7. तथापि, हमारे कहने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि जमानत प्रत्येक मामले में मंजूर की जानी चाहिए । जमानत मंजूर करना या उससे इनकार करना संपूर्णतः उस न्यायाधीश के विवेकाधिकार के भीतर आता है जो मामले की सुनवाई कर रहा है और यद्यपि वह विवेकाधिकार निरंकुश है तथापि, इसका प्रयोग न्यायसम्मत रूप से और मानवीय रीति में और सहानुभूतिपूर्वक किया जाना चाहिए । इसके अलावा, जमानत मंजूर करने से संबंधित शर्तें इतनी कठोर नहीं होनी चाहिएं जिससे कि उनका अनुपालन करना अक्षम हो, जिससे जमानत मंजूर करना अवास्तविक हो जाए ।"

33. उपर्युक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को जमानत मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए था । इस न्यायालय ने, उपर्युक्त परिस्थितियों में उस मामले में के अपीलार्थी को जमानत मंजूर कर दी । इस न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने या उससे इनकार करने के संबंध में यथा-अधिकथित प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है जो कि सुस्थापित हैं । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में अधिकथित किया गया है, जमानत मंजूर करने संबंधी विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसम्मत रूप से और मानवीय रीति में तथा सहानुभूतिपूर्वक किया जाना चाहिए ।

34. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी ने यह निवेदन किया है कि चूंकि अपीलार्थी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष भी बंधपत्र स्वीकार करके उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध किया है इसलिए अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाए । उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी ऐसा व्यक्ति

है जो कि 60 प्रतिशत निःशक्त है । उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि जिस हानि का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन किया गया है वह सुरक्षित है और यह न्यायालय अपीलार्थी की जमानत मंजूर करने में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है ।

35. प्रस्तुत कार्यवाही में दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम अपीलार्थी के इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी की जमानत के मामले पर विचार किया जाए । प्रथमतः, इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती दो अवसरों पर अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी और अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया है और उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके उसे रिहा करने पर जोर दिया है । द्वितीयतः, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, सर्वप्रथम विचारण न्यायालय को अपीलार्थी की जमानत मंजूर करने संबंधी प्रार्थना पर विचार करना है । अतः, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी जैसे ही कोई जमानत आवेदन फाइल करता है, विचारण न्यायालय द्वारा उस पर निःशक्तता संबंधी उसके दावे और अन्य सुसंगत आधारों पर विचार करने के पश्चात्, जिन पर अपीलार्थी द्वारा जोर दिया जाता है या उसके समक्ष जोर दिया जा सकता है, तुरंत विचार किया जाएगा ।

36. इन मताभिव्यक्तियों के साथ, इस अपील का निपटारा किया जाता है ।

तद्नुसार अपील का निपटारा किया गया ।

ग्रो.

भरतकुमार रमेशचंद्र बरोट

बनाम

गुजरात राज्य

तारीख 26 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 377 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302] – राज्य द्वारा अभियुक्त के दंडादेश में वृद्धि के लिए उच्च न्यायालय में अपील – जहां दोषसिद्ध अभियुक्त को अपील की दस्ती सूचना तामील की गई हो और इसके बावजूद वह न्यायालय में उपसंजात न हुआ हो और अपनी दोषमुक्ति या दंडादेश में कमी करने के लिए कोई अपील भी फाइल न की हो, तो उच्च न्यायालय द्वारा न्याय-मित्र की नियुक्ति करने के पश्चात् मामले के गुणागुण के आधार पर दंडादेश में वृद्धि करते हुए पारित किए गए निर्णय को अवैध, अधिकारिता रहित या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं कहा जा सकता है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 377] – हत्या – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना – 10 वर्ष का दंडादेश दिया जाना – जहां सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को हत्या कारित करने के अपराध के लिए धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो, तो विधि के अधीन जो एकमात्र दंड दिया जा सकता है वह या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास को बढ़ाकर आजीवन कारावास करना न्यायोचित है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त को हत्या कारित करने के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था और अंततोगत्वा सेशन न्यायालय, महसाणा (गुजरात) द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया । तथापि, सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन

हत्या का अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध करने के बावजूद उसे जुर्माने सहित 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया और जहां तक बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन अपराध का संबंध है, अपीलार्थी को जुर्माने सहित तीन माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । राज्य ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से कमतर दंड दिए जाने से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि करने के लिए उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । अपीलार्थी पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील की सूचना दस्ती तामील की गई । तथापि, अपीलार्थी (अभियुक्त) दस्ती सूचना तामील होने के बावजूद उपसंजात नहीं हुआ और न ही गुणागुण के आधार पर अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए कोई दांडिक अपील फाइल की । अतः, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थी) की ओर से उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए न्याय-मित्र की नियुक्ति की और राज्य की अपील को मंजूर करते हुए धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध के लिए दिए गए दंडादेश को "10 वर्ष" से बढ़ाकर "आजीवन कारावास" कर दिया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 377 का उद्देश्य यह है कि जब राज्य सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत कारावास के दंडादेश में वृद्धि की ईप्सा करते हुए अपील फाइल करता है, तो अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिए बिना कारावास के दंडादेश में वृद्धि नहीं की जा सकती है । अभियुक्त भी अपनी दोषमुक्ति के लिए या कमतर दंड देने की प्रार्थना करने के लिए हकदार है । यदि अभियुक्त सूचना तामील होने के पश्चात् यह अभिवाक् करने में असफल रहता है, तब उच्च न्यायालय के लिए राज्य की अपील का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करना न्यायोचित होगा और यह केवल कारावास के दंडादेश में वृद्धि तक सीमित है । अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 377(3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया था और यह न्यायालय इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है । (पैरा 22 और 23)

जब एक बार सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का अपराध करने के लिए दोषी

पाया था, तो विधि में जो एकमात्र दंड दिया जा सकता है वह या तो "मृत्यु-दंड" या "आजीवन कारावास" तथा "जुर्माना" है । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में स्पष्ट शब्दों में यह उपबंधित है कि जो कोई हत्या करेगा वह "मृत्यु" या "आजीवन कारावास" से दंडित किया जाएगा और "जुर्माने" के लिए भी दायी होगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में विहित अनुसार, यदि किसी न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से अन्यून दंड अधिनिर्णीत किया जाता है, तो वह स्वतः अवैध और विधि के प्राधिकार के बिना है । वास्तव में, न्यायालय को वह दंड अधिनिर्णीत करने के सिवाय जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विहित है और जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, कोई दंड अधिनिर्णीत करने का ऐसा विवेकाधिकार नहीं है । उच्च न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश में की गई वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत है । वास्तव में, हैरानी की बात है कि सेशन न्यायाधीश अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का अपराध कारित करने के लिए कैसे 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता था । यह बिल्कुल अनोखी बात है । पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दिए गए कारावास के दंडादेश को उपांतरित करके न्यायोचित किया है और अपीलार्थी (अभियुक्त) को सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए "10 वर्ष" के कारावास के दंडादेश के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड देते हुए दंडादेश में ठीक ही वृद्धि की गई है । (पैरा 25, 26, 27, 24 और 28)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 448.

2014 की दांडिक अपील सं. 1303 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के तारीख 8 अक्तूबर, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अभिषेक सिंह और समीर अली खान

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वसुश्री ममता सिंह, जेसल वाही, हिमांतिका वाही और विशाखा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील अभियुक्त द्वारा 2014 की दांडिक अपील (दंडादेश में वृद्धि के लिए) सं. 1303 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा तारीख 6 अक्तूबर, 2015 को पारित किए गए उस अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 377 के अधीन फाइल की गई अपील मंजूर की और विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी (अभियुक्त) पर अधिरोपित 10 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया ।

3. इस मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं और इस अपील में अंतर्वलित विवाद्यक भी संक्षिप्त ही हैं, जो कि इसमें नीचे उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा ।

4. अपीलार्थी को दिलीपभाई रतनजी नामक मृतक की हत्या करने के लिए 2012 के सेशन मामला सं. 71 में अभियोजित किया गया था और अंततोगत्वा तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, महसाणा (गुजरात) द्वारा तारीख 4 सितम्बर, 2014 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भारतीय दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था ।

5. तथापि, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का संबंध है, सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था और जहां तक बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन अपराध का संबंध है, अपीलार्थी को तीन माह का साधारण कारावास और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था ।

6. राज्य अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से कमतर 10 वर्ष का दंड दिए जाने से व्यथित हुआ और संहिता की धारा 377 के अधीन दांडिक अपील फाइल की, जिससे यह

अपील उद्भूत हुई है जिसमें दंड में वृद्धि करने और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में विनिर्दिष्ट दंड के अनुरूप करने की प्रार्थना की गई है ।

7. अपीलार्थी पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील की सूचना दस्ती तामील की गई थी । तथापि, अपीलार्थी (अभियुक्त) दस्ती सूचना तामील होने के बावजूद उपसंजात नहीं हुआ और न ही गुणागुण के आधार पर अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए कोई दांडिक अपील फाइल की । अतः, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थी) की ओर से उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए श्री यू. ओझा, अधिवक्ता को न्याय-मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने हेतु नियुक्त किया ।

8. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा राज्य की अपील मंजूर की और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध के लिए दिए गए दंडादेश को "10 वर्ष" से बढ़ाकर "आजीवन कारावास" कर दिया । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने दंडादेश में वृद्धि की और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उपबंधित अनुसार "आजीवन कारावास" का दंडादेश दिया । जहां तक जुर्माने के अधिरोपण का संबंध है, इसे कायम रखा गया ।

9. अपीलार्थी (अभियुक्त) उच्च न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित हुआ और उसके विरुद्ध इस न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की ।

10. अपीलार्थी (अभियुक्त) की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अभिषेक सिंह और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री ममता सिंह को सुना ।

11. अपीलार्थी (अभियुक्त) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अभिषेक सिंह ने आक्षेपित निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए मुख्य रूप से एक मुद्दे पर तर्क दिए ।

12. विद्वान् काउंसेल ने संहिता की धारा 377(3) को निर्दिष्ट करते हुए यह तर्क दिया कि राज्य द्वारा कारावास के दंडादेश में वृद्धि करने के लिए फाइल की गई अपील में अपीलार्थी (अभियुक्त) को अपनी प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए आक्षेपित निर्णय संहिता की धारा 377 की उपधारा (3) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना पारित किए जाने के कारण विधि की दृष्टि से दूषित हो जाता है ।

13. दूसरे शब्दों में, विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि अपीलार्थी को संहिता की धारा 377(3) के अधीन उपबंधित अनुसार अपील का विरोध करने के उसके अधिकार के साथ-साथ अपनी दोषमुक्ति के आधारों का समर्थन करने के उसके अधिकार से भी वंचित किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह आग्रह किया कि यही कारण है कि उच्च न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश में की गई वृद्धि अवैध और अधिकारिता रहित हो जाती है ।

14. विद्वान् काउंसेल ने यह भी आग्रह किया कि विद्वान् न्याय-मित्र को मामले की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था । यह आग्रह किया गया कि इस बात से भी अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

15. उत्तर में, प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के तर्काधार और निष्कर्ष का समर्थन किया और यह दलील दी कि इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है ।

16. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर हम इस अपील को खारिज करने के लिए तैयार हैं क्योंकि, हमारी राय में, इसमें कोई गुणागुण नहीं है ।

17. पहले इस दलील पर विचार करते हैं कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 377(3) की अपेक्षाओं का कोई अननुपालन किया गया है या नहीं । हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 377(3) की अपेक्षाओं का सम्यक् अनुपालन किया गया है और इसलिए जहां तक संहिता की धारा 377(3) के अनुपालन का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्काधार और निकाले गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती है । हम यह बात निम्नलिखित कारणों से कह रहे हैं ।

18. प्रथमतः, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को (जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी था) दस्ती सूचना तामील की थी । इसलिए अपील की सूचना अपीलार्थी पर सम्यक् रूप से तामील की गई थी । दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी का भी यह पक्षकथन नहीं है कि उसे सूचना तामील नहीं की गई थी या राज्य द्वारा उसके विरुद्ध फाइल की गई अपील के बारे में उसे जानकारी नहीं थी या अपील की सूचना तामील करने में कोई कमी थी जिससे अपील में की कार्यवाहियां विधि की दृष्टि से दूषित थीं ।

19. द्वितीयतः, अपीलार्थी पर व्यक्तिगत रूप से सूचना तामील किए जाने के बावजूद वह उपसंजात नहीं हुआ । यद्यपि, अपीलार्थी को अपील करने का स्वतंत्र अधिकार था किंतु उसने हत्या का अपराध कारित करने के लिए उसे दोषसिद्ध करने वाले सेशन न्यायाधीश के आदेश की वैधता को प्रश्नगत करते हुए कोई नियमित अपील फाइल नहीं की ।

20. तृतीयतः, उच्च न्यायालय ने जब यह पाया कि अपीलार्थी पर व्यक्तिगत रूप से सूचना तामील होने के बावजूद उसकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा अपीलार्थी के हित के रक्षोपाय के लिए और साथ ही न्यायालय की सहायता करने के लिए एक वकील को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त करना न्यायोचित था ।

21. चतुर्थतः, न्याय-मित्र ने उच्च न्यायालय में उसे मामले की तैयारी करने के लिए अधिक समय न देने की कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी । यहां तक की इस अपील में भी न्याय-मित्र ने इस आशय का कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया है । इसलिए न्याय-मित्र द्वारा दी गई यह दलील आधारहीन है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

22. अतः हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 377(3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया था और हम इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं ।

23. संहिता की धारा 377 का उद्देश्य यह है कि जब राज्य सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत कारावास के दंडादेश में वृद्धि की ईप्सा करते हुए अपील फाइल करता है, तो अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिए बिना कारावास के दंडादेश में वृद्धि नहीं की जा सकती है । अभियुक्त भी अपनी दोषमुक्ति के लिए या कमतर दंड देने की प्रार्थना करने के लिए हकदार है । यदि अभियुक्त सूचना तामील होने के पश्चात् यह अभिवाक् करने में असफल रहता है, तब उच्च न्यायालय के लिए राज्य की अपील का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करना न्यायोचित होगा और यह केवल कारावास के दंडादेश में वृद्धि तक सीमित है । अतः, हम अपील की पुनः सुनवाई करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित करने का कोई आधार नहीं पाते हैं ।

24. उच्च न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश में की गई वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् हम उच्च न्यायालय के तर्काधार से सहमत हैं । वास्तव में, हम यह जानकर हैरान हैं कि सेशन न्यायाधीश

अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का अपराध कारित करने के लिए कैसे 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता था । यह बिल्कुल अनोखी बात है ।

25. जब एक बार सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का अपराध करने के लिए दोषी पाया था, तो विधि में जो एकमात्र दंड दिया जा सकता है वह या तो "मृत्यु-दंड" या "आजीवन कारावास" तथा "जुर्माना" है ।

26. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में स्पष्ट शब्दों में यह उपबंधित है कि जो कोई हत्या करेगा वह "मृत्यु" या "आजीवन कारावास" से दंडित किया जाएगा और "जुर्माने" के लिए भी दायी होगा ।

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में विहित अनुसार, यदि किसी न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से अन्यून दंड अधिनिर्णीत किया जाता है, तो वह स्वतः अवैध और विधि के प्राधिकार के बिना है । वास्तव में, न्यायालय को वह दंड अधिनिर्णीत करने के सिवाय जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विहित है और जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, कोई दंड अधिनिर्णीत करने का ऐसा विवेकाधिकार नहीं है ।

28. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दिए गए कारावास के दंडादेश को उपांतरित करके न्यायोचित किया है और अपीलार्थी (अभियुक्त) को सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए "10 वर्ष" के कारावास के दंडादेश के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड देते हुए दंडादेश में ठीक ही वृद्धि की गई है ।

29. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा उस मुद्दे के सिवाय जिस पर इस न्यायालय द्वारा ऊपर विचार किया गया है, किसी अन्य मुद्दे पर तर्क नहीं दिया गया है और हमने उसमें कोई गुणागुण नहीं पाया है ।

30. इस प्रकार, यह अपील असफल होती है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

सरोज रंजन रथ और एक अन्य

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 6 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति (डा.) डी. पी. चौधरी

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) – धारा 7 और 16(1)(क) – कतिपय खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध – शास्तियां – खुले डिब्बे में रखे हुए चिली पाउडर का अपमिश्रित पाया जाना – बिक्री के लिए रखे जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव – कैंटीन में पाए गए खुले डिब्बे में रखा हुआ चिली पाउडर अपमिश्रित तो पाया गया किन्तु यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वह डिब्बा बेचने के लिए रखा गया था, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित नहीं है ।

अभियोजन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार अभिकथन किया गया है कि तारीख 19 अगस्त, 2005 को एन. एन. दास नाम के एक खाद्य निरीक्षक ने बालासोर अलॉइज लिमिटेड के परिसर में बनी कैंटीन का निरीक्षण किया और उस समय याची सं. 1 उस कैंटीन के प्रभारी के रूप में वहां मौजूद था । खाद्य निरीक्षक ने विक्रय के लिए भंडार की गई खाद्य पदार्थ की जांच की । इसके पश्चात् एक खुले डिब्बे में पिसी हुई मिर्च (चिली पाउडर) पर अपमिश्रित होने का संदेह करते हुए शिकायतकर्ता ने उस पाउडर से एक नमूना ले लिया और उसे लोक विश्लेषक के पास रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दिया । रासायनिक विश्लेषण के पश्चात्, चिली पाउडर अपमिश्रित पाया गया और तद्नुसार अभियोजन रिपोर्ट मंजूर किए जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16 के अधीन फाइल की गई । अभियोजन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलंब लेते हुए तारीख 13 जुलाई, 2006 के आदेश द्वारा याचियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया । उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन वर्तमान याचिका फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बालासोर अलॉइज लिमिटेड की कैंटीन में पाए गए खुले डिब्बे में रखा हुआ चिली पाउडर रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपमिश्रित था, यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह डिब्बा लोगों को बेचने के लिए रखा हुआ था क्योंकि उस समय कोई भी कारबार संबंधी गतिविधि नहीं चल रही थी जिसके दौरान चिली पाउडर पाया गया । कैंटीन में विक्रय से अन्यथा भोजन बनाने के लिए ऐसे पाउडर के मात्र रखने से इस अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध गठित नहीं होता है जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विनिश्चय दिया है । यदि यह चिली पाउडर किसी भी किरयाने की दुकान या मानव उपभोग के लिए अन्य किसी दुकान पर विक्रय के लिए रखा हुआ पाया जाता और वह अपमिश्रित अवस्था में होता तब अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध गठित हो जाता । किन्तु इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विक्रय से अन्यथा रखे हुए अपमिश्रित चिली पाउडर के आधार पर अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध नहीं बनता । इस प्रकार, याचियों के विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता की दलील में बल है । दूसरी ओर, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना इस मामले में संज्ञान लिया था जो कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । तद्नुसार, 2006 के मामला सं. 2 में विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीलगिरि द्वारा तारीख 13 जुलाई, 2006 को पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है । (पैरा 11)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1390 : **रूपक कुमार** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	4
[1976]	(1976) 1 एस. सी. सी. 546 : **दिल्ली नगर निगम** बनाम **लक्ष्मीनारायण टंडन और अन्य** ।	4

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2007 का दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 1826.

2006 के मामला सं. 2 में विद्वान् उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीलगिरि द्वारा तारीख 13 जुलाई, 2006 को पारित संज्ञान लेने के आदेश

के विरुद्ध याचिका ।

याचियों की ओर से	सर्वश्री एस. डी. दास (ज्येष्ठ अधिवक्ता), डी. नायक, आर. के. प्रधान, एस. के. दास, बी. के. दास और जी. दास
प्रत्यर्थी की ओर से	अपर स्थायी काउंसेल

आदेश

याचियों ने यह याचिका 2006 के मामला सं. 2 में विद्वान् उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीलगिरि द्वारा तारीख 13 जुलाई, 2006 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की है जिसके अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 16 के अधीन याचियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है ।

तथ्य

2. अभियोजन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार अभिकथन किया गया है कि तारीख 19 अगस्त, 2005 को एन. एन. दास नाम के एक खाद्य निरीक्षक ने बालासोर अलॉइज लिमिटेड के परिसर में बनी कैंटीन का निरीक्षण किया और उस समय याची सं. 1 उस कैंटीन के प्रभारी के रूप में वहां मौजूद था । खाद्य निरीक्षक ने विक्रय के लिए भंडार की गई खाद्य पदार्थ की जांच की । इसके पश्चात् एक खुले डिब्बे में पिसी हुई मिर्च (चिली पाउडर) पर अपमिश्रित होने का संदेह करते हुए शिकायतकर्ता ने उस पाउडर से एक नमूना ले लिया और उसे लोक विश्लेषक के पास रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दिया । रासायनिक विश्लेषण के पश्चात्, चिली पाउडर अपमिश्रित पाया गया और तद्नुसार अभियोजन रिपोर्ट मंजूर किए जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16 के अधीन फाइल की गई । अभियोजन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलंब लेते हुए तारीख 13 जुलाई, 2006 के आदेश द्वारा याचियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया । उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन वर्तमान याचिका फाइल की गई है ।

दलीलें

3. याचियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. डी. दास ने यह निवेदन किया है कि याची बालासोर अलॉइज लिमिटेड के कर्मचारी हैं और बालासोर अलॉइज लिमिटेड के खाद्य निरीक्षक ने उक्त कारखाने का मुआयना किया जहां उसने देखा कि एक खुले डिब्बे में पिसी हुई मिर्च है । खाद्य निरीक्षक ने उस पिसी हुई मिर्च पर संदेह करते हुए कि वह अपमिश्रित हो सकती है, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन विरचित नियमों के अनुसार अभिगृहीत कर लिया ।

4. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री दास ने यह भी दलील दी है कि उक्त चिली पाउडर कैंटीन में उपभोग के लिए रखा गया था न कि विक्रय किए जाने हेतु । उनके अनुसार अभियोजन के लिए, लिए गए मंजूरी आदेश से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि उस चिली पाउडर को मानव उपभोग के लिए भंडार किया गया था न कि विक्रय के लिए । विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री दास ने यह भी दलील दी है कि धारा 7 के साथ पठित धारा 16(1) (क) में उल्लिखित भंडार शब्द का अर्थ केवल उस खाद्य पदार्थ से है जो मानव उपभोग से अन्यथा है । चूंकि वर्तमान मामले में चिली पाउडर कैंटीन से अभिगृहीत किया गया है जहां पर उसके विक्रय किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, बल्कि वह खाना बनाने हेतु प्रयोग में लाने के लिए भंडार किया गया था और इस प्रकार इस अधिनियम के शास्तिक उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, चूंकि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय विवेक से काम नहीं लिया है इसलिए यह आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है । विद्वान् काउंसेल ने निवेदन करते हुए **रूपक कुमार** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] और **दिल्ली नगर निगम** बनाम **लक्ष्मीनारायण टंडन और अन्य**[2] वाले मामलों में दिए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया है ।

5. विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने यह दलील दी है कि खाद्य निरीक्षक को अभिग्रहण करने का प्राधिकार प्राप्त है और उसने संदिग्ध पदार्थ को अभिगृहीत किया है और वह इस कार्य के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है जिसने बालासोर अलॉइज लिमिटेड की कैंटीन का मुआयना किया है और यह पाया कि पिसी हुई मिर्च (चिली पाउडर) खुली हुई रखी हुई थी । चूंकि इस मिर्च का प्रयोग कैंटीन में मानव उपभोग के लिए किया

---

[1] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1390

[2] (1976) 1 एस. सी. सी. 546

जा रहा था, और यह विक्रय के लिए नहीं थी फिर भी कंपनी के लोगों के उपभोग के लिए मिर्च का यह पाउडर अपमिश्रित पाया गया है और तद्नुसार विद्वान् निचले न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेकर ठीक ही किया है । विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि जहां तक याचियों की कैंटीन से चिली पाउडर के पकड़े जाने और अभिगृहीत किए जाने का संबंध है इस अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों का प्रयोग परम रूप से किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि उक्त चिली पाउडर का परीक्षण रासायनिक परीक्षक द्वारा किया गया है और यह रिपोर्ट दी गई है कि यह पाउडर अपमिश्रित है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियोजन किए जाने के लिए समुचित रूप से मंजूरी ली गई है जिसके अनुसार याचियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है, अतः वर्तमान दांडिक प्रकीर्ण रिट आवेदन खारिज किए जाने योग्य है ।

चर्चा

6. यह स्वीकृत तथ्य है कि याची बालासोर अलॉइज लिमिटेड, बालगोपालपुर, जिला बालासोर के कर्मचारी हैं । यह विवादित नहीं है कि तारीख 10 अगस्त, 1976 को खाद्य निरीक्षक, बालासोर ने बालासोर अलॉइज लिमिटेड का मुआयना किया था और वहां चिली पाउडर का एक खुला हुआ डिब्बा पाया । रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि चिली पाउडर में विहित मानक से नीचे अर्थात् 3-4 कोटि का अपमिश्रण पाया गया है ।

7. अधिनियम की धारा 7,10 और 16 निम्न प्रकार हैं :–

" धारा 7. **कतिपय खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध** – कोई व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित का विक्रयार्थ विनिर्माण, या भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा –

(i) कोई अपमिश्रित खाद्य;

(ii) कोई मिथ्या छाप वाला खाद्य;

(iii) कोई खाद्य पदार्थ जिसके विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति विहित की गई है, उस अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार से अन्यथा;

(iv) कोई खाद्य पदार्थ जिसका तत्समय विक्रय सार्वजनिक

स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है;

(v) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में, कोई खाद्य पदार्थ ; या

(vi) कोई अपद्रव्य ।

स्पष्टीकरण – यदि कोई व्यक्ति किसी अपमिश्रित खाद्य या मिथ्या छाप वाले खाद्य अथवा खण्ड (iii) या खण्ड (iv) या खण्ड (v) में निर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ का, उससे विक्रयार्थ किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के लिए, भंडारकरण करता है तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे खाद्य का भंडारकरण किया है ।

धारा 10. **खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां** – (1) खाद्य निरीक्षक की निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) निम्नलिखित से किसी खाद्य पदार्थ के नमूने लेना –

(i) ऐसे पदार्थ का विक्रय करने वाला कोई व्यक्ति ;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे पदार्थ को किसी क्रेता या परेषिती के पास पहुंचाने, उसे परिदान करने या परिदान के लिए तैयार करने में लगा है ;

(iii) कोई परेषिती जब कोई ऐसा पदार्थ उसे परिदत्त हो गया हो ; और

(ख) ऐसे नमूने को उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसके अन्दर ऐसा नमूना लिया गया है, लोक विश्लेषक के पास विश्लेषणार्थ भेजना ;

(ग) संबंधित स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिषिद्ध करना ।

स्पष्टीकरण – जो व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ को अपने ही उपभोग के लिए क्रय करता है या प्राप्त करता है, वह खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए "परेषिती" के अन्तर्गत नहीं है ।

(2) कोई खाद्य निरीक्षक किसी स्थान में जहां कोई खाद्य पदार्थ विनिर्मित किया जाता है या विक्रय के लिए भंडार में रखा जाता है अथवा विक्रय के लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के लिए भंडार में रखा जाता है अथवा विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रदर्शित किया जाता है अथवा जहां कोई अपद्रव्य विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, प्रवेश कर सकेगा, और उसका निरीक्षण कर सकेगा तथा ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के नमूने विश्लेषण के लिए ले सकेगा :

परन्तु यदि कोई खाद्य पदार्थ, जो प्राथमिक खाद्य पदार्थ है, ऐसे खाद्य के रूप में विक्रय के लिए आशयित नहीं है तो इस उपधारा के अधीन उसका कोई नमूना नहीं लिया जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (क) और उपधारा (2) के अधीन कोई नमूना लिया गया है, वहां उस दर पर, जिस पर वह पदार्थ लोगों को प्रायः विक्रीत किया जाता है उसका परिकलित दाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे वह लिया गया है ।

(4) यदि खाद्य के लिए आशयित कोई पदार्थ किसी खाद्य निरीक्षक को अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला प्रतीत हो, तो वह ऐसे पदार्थ को इसलिए अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा, या विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकेगा कि उसके बारे में ऐसी कार्यवाही की जा सके जैसी इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, और इनमें से प्रत्येक दशा में वह ऐसे पदार्थ का नमूना लेगा और उसे विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा :

परन्तु जहां खाद्य निरीक्षक ऐसे पदार्थ को विक्रेता के सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है वहां वह ऐसे पदार्थ के मूल्य के बराबर धनराशि के लिए एक या अधिक प्रतिभुओं सहित जैसा खाद्य निरीक्षक ठीक समझे एक बंधपत्र देने के लिए विक्रेता से अपेक्षा कर सकेगा और विक्रेता तद्नुसार बंधपत्र देगा ।

(4क) जहां उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत किया गया कोई खाद्य पदार्थ विनश्वर प्रकृति का है और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे पदार्थ का इतना क्षय हो गया है कि वह मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं है वहां उक्त प्राधिकारी विक्रेता को लिखित सूचना देकर, उसे नष्ट करा सकेगा ।

(5) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत ऐसे किसी पैकेज को, जिसमें कोई खाद्य पदार्थ अन्तर्विष्ट है, तोड़कर खोलने या ऐसे किन्हीं परिसरों के द्वार को, जहां कोई खाद्य पदार्थ विक्रयार्थ रखा है, तोड़कर खोलने की शक्ति भी है :

परन्तु पैकेज या द्वार को तोड़कर खोलने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाएगा जब, यथास्थिति, पैकेज का स्वामी या उसका भारसाधक या परिसर का अधिभोगी कोई अन्य व्यक्ति, जो वहां उपस्थित है, पैकेज या द्वार खोलने के लिए कहे जाने पर उसे खोलने से इनकार करे और इन दोनों दशाओं में से किसी में भी ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ही ऐसा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश और इसके निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने में खाद्य निरीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उन उपबंधों का यावत्साध्य अनुसरण करेगा जो उस संहिता के अधीन निकाले गए तलाशी वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबद्ध है ।

(6) खाद्य निरीक्षण किसी अपद्रव्य का, जो किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माता या वितरक या व्यवहारी के कब्जे में या उस हैसियत में उसके अधिभोगाधीन किसी परिसर में पाया जाए और जिसके कब्जे के बारे में वह खाद्य निरीक्षक को समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ हो तथा किन्हीं लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का, जो उसके कब्जे या नियंत्रण में पाई जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों, अभिगृहीत कर सकेगा और ऐसे अपद्रव्य का एक नमूना विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजा जा सकेगा :

परन्तु खाद्य निरीक्षक ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण उस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा जिसके वह शासकीय रूप से अधीनस्थ है ।

(7) जहां खाद्य निरीक्षक उपधारा (1) के खण्ड (क), उपधारा (2), उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई कार्यवाही करता है, वहां वह एक या अधिक व्यक्तियों को उस समय जब कार्यवाही की जानी है उपस्थित होने के लिए कहेगा और उसके या उनके

हस्ताक्षर कराएगा ।

(7क) जहां उपधारा (6) के अधीन किन्हीं लेखाबहियों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया जाता है वहां खाद्य निरीक्षक, अभिग्रहण की तारीख के अधिक से अधिक 30 दिन की अवधि के अन्दर उन्हें उस व्यक्ति को जिससे उनका अभिग्रहण किया गया था, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रमाणित उनकी प्रतियां उनके उद्धरण लेने के पश्चात् लौटा देगा :

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार प्रमाणित करने से इनकार करता है और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाया जाता है वहां ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजें उसको तभी लौटाई जाएंगी जब न्यायालय द्वारा प्रमाणित उनकी प्रतियां या उनके उद्धरण ले लिए गए हों ।

(7ख) जब किसी अपद्रव्य का अभिग्रहण उपधारा (6) के अधीन किया जाता है तब यह साबित करने का भार कि वह अपद्रव्य अपमिश्रण के प्रयोजनों के लिए आशयित नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसे अपद्रव्य का अभिग्रहण किया गया था ।

(8) कोई खाद्य निरीक्षक उस व्यक्ति का, जिससे कोई नमूना लिया गया है, या खाद्य पदार्थ अभिगृहीत किया गया है, सही नाम और निवास-स्थान अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 42 के अधीन पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

(9) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई ऐसा खाद्य निरीक्षक जो –

(क) तंग करने के लिए और संदेह के किन्हीं युक्तियुक्त आधारों के बिना किसी खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य को अभिगृहीत करेगा ; या

(ख) किसी व्यक्ति को क्षतिकर कोई अन्य कार्य अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना करेगा कि ऐसा कार्य उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है,

वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा

किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

धारा 16. **शास्तियां** – (1) उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि यदि कोई व्यक्ति –

(क) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे पदार्थ का –

(i) जो धारा 2 के खण्ड (iक) के उपखण्ड (ड) के अर्थ में अपमिश्रित है या उस धारा के खण्ड (ix) के अर्थ में मिथ्या छाप वाला है अथवा जिसका विक्रय इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अधीन अथवा खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के आदेश से प्रतिषिद्ध है ;

(ii) जो उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ से भिन्न है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करते हुए,

भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडारकरण, विक्रय या वितरण करेगा; या

(ख) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे अपद्रव्य का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडारकरण, विक्रय या वितरण करेगा ; या

(ग) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप से नमूने लेने से रोकेगा ; या

(घ) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा ; या

(ङ) किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता होते हुए किसी अपद्रव्य की जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है, अपने कब्जे में या अपने अधिभोगाधीन किसी परिसर में रखेगा, या

(च) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा या किसी लोक विश्लेषक द्वारा की गई किसी परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या

प्रमाणपत्र का अथवा उसके किसी उद्धरण का उपयोग किसी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए करेगा, या

(छ) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे पदार्थ के संबंध में, जो उसके द्वारा विक्रय किया गया हो, मिथ्या वारंटी विक्रेता को देगा ;

तो वह किसी शास्ति के अतिरिक्त, जिससे वह धारा 6 के उपबंधों के अधीन दंडनीय हो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा :

परन्तु यह कि –

(i) यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन है और ऐसे कारणों से, जो मानवीय नियंत्रण के बाहर हैं, अपमिश्रित ऐसे पदार्थ के संबंध में है, जो प्राथमिक खाद्य है या धारा 2 के खण्ड (ix) के उपखण्ड (ट) के अर्थ में मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थ के संबंध में है ; या

(ii) यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन है, किन्तु धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (छ) के अधीन अथवा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन के संबंध में अपराध नहीं है ,

तो न्यायालय, किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम न होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दंडित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन है तथा धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (छ) के अधीन अथवा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन के संबंध में है तो न्यायालय, किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित

कर सकेगा ।

(1क) यदि कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा –

(i) किसी खाद्य पदार्थ का जो धारा 2 के खण्ड (iक) के उपखण्ड (ङ) से लेकर उपखण्ड (ठ) तक में से किसी के अर्थ में अपमिश्रित है ; या

(ii) किसी अपद्रव्य का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है,

भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडारकरण, विक्रय या वितरण करेगा तो वह उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जिससे वह धारा 6 के उपबंधों के अधीन दंडनीय हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी किन्तु छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम न होगा, दंडनीय होगा :

परन्तु यदि ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर उसकी मृत्यु होना संभाव्य है या उसके शरीर को ऐसी हानि होना संभाव्य है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 के अर्थ में घोर उपहति होगी तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष के कम न होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

(1कक) यदि कोई व्यक्ति जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में कोई खाद्य पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन रखा गया है ऐसे पदार्थ को बिगाड़ेगा या उसमें किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करेगा तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

(1ख) यदि कोई व्यक्ति जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में कोई खाद्य पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन रखा गया है ऐसे पदार्थ का विक्रय या वितरण करेगा जो उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके समक्ष वह पेश किया जाता है धारा 2 के खण्ड (iक) के उपखण्ड (ज) के अर्थ में अपमिश्रित पाया जाता है और जिसके किसी व्यक्ति द्वारा

उपभोग किए जाने पर उसकी मृत्यु होना संभाव्य है या उसके शरीर को ऐसी हानि होना संभाव्य है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 के अर्थ में घोर उपहति होगी तो उपधारा (1कक) में किसी बात को होते हुए भी वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, दंडनीय होगा ।

(1ग) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 या धारा 14क के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

(1घ) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष कोई व्यक्ति तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा जो उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह न्यायालय, जिसके समक्ष द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि हो इस अधिनियम के अधीन उसे दी गई अनुज्ञप्ति को, यदि कोई हो, रद्द करने का आदेश दे सकता है और तब ऐसी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रद्द हो जाएगी ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष कोई व्यक्ति तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा तो उस न्यायालय के लिए जिसके समक्ष द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि हो यह विधिसम्मत होगा कि वह अपराधी के नाम और निवास-स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति के अपराधी के व्यय पर ऐसे समाचारपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराए जैसी वह न्यायालय निर्दिष्ट करे । ऐसे प्रकाशन के व्यय दोषसिद्धि पर होने वाले खर्च का भार समझे जाएंगे और उसी रीति से वसूल किए जा सकेंगे जैसे जुर्माना किया जाता है ।

8. **रूपक कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

"9. ... हमने अधिनियम की धारा 7, धारा 10 और धारा 16 के उपबंधों को निर्दिष्ट किया है और उनका संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम की आशय किसी भी प्रकार के अपमिश्रित खाद्य पदार्थ की बिक्री को रोकना और उसे

दंडनीय बनाना है । हमारी राय में भंडार शब्द का अर्थ इस संदर्भ और व्यवस्था में लिया जाएगा जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 7 और 16 में किया गया है । उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारा यह मत है कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थ का भंडार विक्रय किए जाने से अन्यथा करना इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन कारित रिष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है । **दिल्ली नगर निगम** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए प्रामाणिक निर्णय को दृष्टिगत करते हुए विस्तृत दलील दिए जाने की आवश्यकता नहीं है । उक्त मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "14. ऊपर निर्दिष्ट किए गए उपबंधों का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम का व्यापक उद्देश्य किसी भी अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के विक्रय, आयात, उत्पादन, भंडार या वितरण को प्रतिषिद्ध करना और दंडनीय बनाना है ।
>
> 'भंडार' और 'वितरण' शब्दों का अर्थ विक्रय किए जाने से अन्यथा प्रयोजन के लिए खाद्य पदार्थ के भंडार या वितरण के संबंध में इस अधिनियम की धारा 7 और 10 में उल्लिखित शब्दों से लिया गया है जो इस धारा में परिभाषित रिष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है ... ।"

9. उपरोक्त विनिश्चय के संबंध में यह प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 16 में दिए गए भंडार शब्द का अर्थ ऐसे खाद्य पदार्थ के अर्थ से है जो विक्रय किए जाने से अन्यथा है और अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन रिष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है । इसी प्रकार, **दिल्ली नगर निगम** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

> "14. ऊपर निर्दिष्ट किए गए उपबंधों का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम का व्यापक उद्देश्य किसी भी अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के विक्रय, आयात, उत्पादन, भंडार या वितरण को प्रतिषिद्ध करना और दंडनीय बनाना है । 'भंडार' और 'वितरण' शब्दों का अर्थ विक्रय किए जाने से अन्यथा प्रयोजन के लिए खाद्य पदार्थ के भंडार या वितरण के संबंध में इस अधिनियम की धारा 7 और 10 में उल्लिखित शब्दों से लिया गया है

जो इस धारा में परिभाषित रिष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है । धारा 16(1) में 'भंडार' और 'वितरण' शब्दों की रचना ठीक ही की गई है जिसे पुनः धारा 10 में स्पष्ट किया गया है । उक्त धारा के अधीन खाद्य निरीक्षक, जिसका कार्य इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त कराना है, किसी विनिर्दिष्ट कारबार के दौरान किसी विशिष्ट व्यक्ति के कब्जे से खाद्य पदार्थ नमूने लेने के लिए प्राधिकृत है । ऐसे क्रियाकलाप को करने का प्राधिकार खाद्य पदार्थ के तत्काल विक्रय के दौरान प्राप्त है । इस धारा के अधीन खाद्य निरीक्षक को उस व्यक्ति से खाद्य पदार्थ के नमूने लेने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है जो उपधारा (1) (घ) या उपधारा (2) के किसी भी उपखंड के अन्तर्गत न आता हो । उपधारा (1) के तीन उपखंड अर्थात् (क) उस व्यक्ति को लागू होंगे जो खाद्य पदार्थ को वास्तविक या संभावित विक्रेता, प्रेषक या संप्रेषक के रूप में क्रेता को या परेषिती को या उसके परेषिती को स्थानांतरित करता है । उपधारा (2) के अधीन यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल उस खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जा सकता है जिसका उत्पादन किया गया है, भंडार किया गया है और उसे बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है । यदि कोई खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए नहीं रखा गया है और वह उस व्यक्ति के कब्जे में पाया जाता है जो विक्रेता, प्रेषक, संप्रेषक, परेषिती, निर्माता या भंडारकर्ता की कोटि में नहीं आता है जैसा कि उपधारा (1)(क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन चलाए जाने के लिए खाद्य निरीक्षक को विधि के अधीन अपमिश्रित खाद्य पदार्थ का नमूना लेने का प्राधिकार प्राप्त नहीं होगा । संक्षेप में, अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित 'भंडार' अभिव्यक्ति का अर्थ विक्रय के लिए भंडार करना है और परिणामस्वरूप विक्रय से अन्यथा किसी अपमिश्रित खाद्य पदार्थ का भंडार करना इस अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध की कोटि में नहीं आएगा ।"

10. उपर्युक्त विनिश्चय पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रय से अन्यथा किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडार किया जाना इस अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध की कोटि में नहीं आएगा ।

11. वर्तमान मामले पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बालासोर अलॉइज लिमिटेड की कैंटीन में पाए गए खुले डिब्बे में रखा हुआ

चिली पाउडर रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपमिश्रित था, यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह डिब्बा लोगों को बेचने के लिए रखा हुआ था क्योंकि उस समय कोई भी कारबार संबंधी गतिविधि नहीं चल रही थी जिसके दौरान चिली पाउडर पाया गया । कैंटीन में विक्रय से अन्यथा भोजन बनाने के लिए ऐसे पाउडर के मात्र रखने से इस अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध गठित नहीं होता है जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विनिश्चय दिया है । यदि यह चिली पाउडर किसी भी किरयाने की दुकान या मानव उपभोग के लिए अन्य किसी दुकान पर विक्रय के लिए रखा हुआ पाया जाता और वह अपमिश्रित अवस्था में होता तब अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध गठित हो जाता । किन्तु इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विक्रय से अन्यथा रखे हुए अपमिश्रित चिली पाउडर के आधार पर अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16(1)(क) के अधीन अपराध नहीं बनता । इस प्रकार, याचियों के विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता की दलील में बल है । दूसरी ओर, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना इस मामले में संज्ञान लिया था जो कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । तद्नुसार, 2006 के मामला सं. 2 में विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीलगिरि द्वारा तारीख 13 जुलाई, 2006 को पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है ।

12. पूर्व में पारित किए गए अन्तरिम आदेश बातिल किए जाते हैं ।

13. तद्नुसार, दांडिक प्रकीर्ण याचिका मंजूर की जाती है ।

याचिका मंजूर की गई ।

अस.

उत्तराखण्ड राज्य

बनाम

शहजाद अली

तारीख 1 जून, 2018

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 436, 392 और 411 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – रिष्टि – लूट – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या – अभियुक्त के मन में सेवा से हटाए जाने के कारण दुर्भावना आना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य संपुष्ट पाया जाना – लूटी गई मोटरसाइकिल और चाकू का अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना – अभियुक्त-अपीलार्थी ने साक्षियों की मौजूदगी में बदला लेने की भावना से दोनों मृतकों पर चाकू से हमला किया और शोरूम में आग लगाकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया और अपराध में प्रयोग की गई सामग्री अभियुक्त से बरामद हो गई और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि एक-दूसरे के साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 53, 506 और 302 -- हत्या के लिए मृत्युदंड – विरल से विरलतम मामला – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी में दो व्यक्तियों की नृशंस हत्या – घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी – अभियुक्त-अपीलार्थी ने नौकरी से हटाए जाने के कारण मन में दुर्भावना रखते हुए उन्हीं व्यक्तियों की हत्या की है जिनके साथ वह काम करता था और साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उसने शोरूम में आग लगाई तथा घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को धमकी देते हुए मोटरसाइकिल लूटकर घटनास्थल से भागा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-अपीलार्थी का मामला विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है और हत्या के लिए मृत्यु-दंड देना ही न्यायोचित है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अनिल कुमार (अभि. सा. 1) ने तारीख 10 फरवरी, 2011 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज

कराई कि उसका भाई संजय कुमार पुत्र गुलाब सिंह एक मोटरसाइकिल-शोरूम चलाता था । अपीलार्थी उसके यहां मैकेनिक के रूप में कार्य करता था । आबिद, गुलफाम, राजेश और प्रदीप भी इसी शोरूम में काम करते थे । कुमारी ललिता पुत्री रंजीत सिंह सर्वेक्षक के रूप में काम करती थी । ललिता ने संजय से शिकायत की जिस पर अपीलार्थी को नौकरी से हटा दिया गया । अपीलार्थी ने अपने भाई से कई बार उसे पुनः नियोजित करने को कहा । तथापि, उसके भाई ने इनकार कर दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी को मन में अपने भाई के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई । तारीख 10 फरवरी, 2011 को लगभग 4.25 बजे अपराह्न में अपीलार्थी शोरूम पर आया । उसने अपने पाजामे में से चाकू निकाला और अपने भाई की गर्दन पर घातक वार किया । इसके पश्चात्, उसने ललिता का पीछा किया और उसे एक खाली प्लाट में जाकर दबोच लिया । अपीलार्थी ने ललिता के शरीर पर चाकू से कई वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अपीलार्थी वहां मौजूद व्यक्तियों को धमकी देते हुए घटनास्थल से भाग गया । तथापि, घटनास्थल से भागने के पूर्व उसने शोरूम में आग लगा दी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । शवों को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । अपराध में प्रयोग किया गया आयुध बरामद किया गया । अन्वेषण पूरा किया गया । सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 22 साक्षियों की परीक्षा कराई है । अपीलार्थी की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन भी कराई गई है । अपीलार्थी ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है । उसने अपनी प्रतिरक्षा में इमरान अली (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की परीक्षा कराई है । अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । इन परिस्थितियों में 2015 का निर्देश सं. 1 मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए भेजा गया गया है । अपीलार्थी ने अपनी दोषमुक्ति के लिए 2015 की दांडिक अपील सं. 333 फाइल की है । साथ ही सेशन न्यायालय ने मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए निर्देश भी फाइल किया है । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए और निर्देश मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी मृतक के शोरूम में काम करता था । सुश्री ललिता भी वहां पर सर्वेक्षक के रूप में कार्य कर रही थी । ललिता ने संजय गुलेरिया से अपीलार्थी के संबंध में

शिकायत की । संजय गुलेरिया ने अपीलार्थी को नौकरी से निकाल दिया जिसके कारण संजय और अपीलार्थी के बीच शत्रुता हो गई । तारीख 10 फरवरी, 2011 को अपीलार्थी घटनास्थल पर आया । उसने संजय की गर्दन पर चाकू से हमला किया और इसके पश्चात् ललिता का पीछा किया और उसने ललिता को कई क्षतियां वेधकर कारित की । संजय और ललिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अपीलार्थी घटनास्थल पर खड़ी किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल लेकर भाग गया । अपीलार्थी ने शोरूम में आग भी लगा दी । उसे गिरफ्तार किया गया । मोटरसाइकिल, जिसकी गद्दी रक्तरंजित हो गई थी और अपराध में प्रयोग किया गया आयुध अर्थात् चाकू बरामद किया गया । चाकू को रक्तरंजित मिट्टी के साथ न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । दोनों मृतकों की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व क्षतियां पाया गया जिनके परिणामस्वरूप मृतकों को आघात पहुंचा था और उनके शरीर से रक्तस्राव हुआ था । अपीलार्थी के रक्तरंजित कपड़े भी उसके घर से बरामद किए गए । अनिल (अभि. सा. 1) और प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी घटनास्थल पर आया था । उसने संजय की गर्दन पर चाकू से वार किया था । इस साक्षी ने यह भी देखा कि अपीलार्थी ने ललिता का पीछा किया और उसे चाकू से वेधकर कई क्षतियां कारित कीं । अनिल (अभि. सा. 1) मृतक संजय का भाई है । प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) इसी शोरूम में काम करते थे । ये साक्षी घटनास्थल पर मौजूद थे । अनिल (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) विश्वसनीय साक्षी हैं । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील में कोई सार नहीं है कि अनिल (अभि. सा. 1) के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अनिल (अभि. सा. 1) मृतक का सगा भाई है । वह अपने भाई के शोरूम पर 1.00 बजे अपराह्न में पहुंचा । प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) स्वतंत्र साक्षी हैं । उनकी मृतक के साथ कोई शत्रुता नहीं थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई और जैसा कि ऊपर उल्लिखित है इस रिपोर्ट पर स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए । अपीलार्थी को एक पुल के नीचे पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किया गया आयुध और मोटरसाइकिल बरामद की गई । इस आयुध को परीक्षण के

लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । (पैरा 31 और 32)

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी दी है कि अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल पर रक्त के निशानों को साबित नहीं किया है । घटनास्थल पर रक्त के न पाए जाने का सीधा कारण यह है कि अपीलार्थी ने शोरूम में आग लगा दी थी । डा. वाई. एस. थपलियाल (अभि. सा. 4) द्वारा, जिन्होंने शवों का शवपरीक्षण किया था, शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की गई हैं । इस साक्षी के अनुसार मृतकों की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व धारदार आयुध से कारित की गई वे क्षतियां हैं जिनसे मृतकों को आघात पहुंचा और उनके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ । मृत्यु शवपरीक्षण किए जाने के 18-24 घन्टे पूर्व हुई है । ललिता के शरीर पर 10 क्षतियां कारित हुई थीं । चार साक्षियों अर्थात् अनिल (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) ने अपीलार्थी को संजय और ललिता की चाकू से हत्या करते हुए देखा है ।

2015 की दांडिक अपील सं. 333

अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 302, 436, 506, 392, 411 और आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन कारित अपराध के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित किया है । तद्नुसार, अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2015 की दांडिक अपील सं. 333 में उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश को जो चुनौती दी गई है वह खारिज की जाती है ।

2015 का दांडिक निर्देश सं. 1

अपीलार्थी शहजाद अली को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, विकास नगर (देहरादून) द्वारा 2011 के सेशन विचारण मामला सं. 70 में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । अपीलार्थी संजय गुलेरिया का कर्मचारी था उसके मन में संजय गुलेरिया के प्रति दुर्भावना थी क्योंकि संजय गुलेरिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था । संजय ने शोरूम में सर्वेक्षक के पद पर कार्य करने वाली ललिता की शिकायत पर अपीलार्थी को नौकरी से हटा दिया था । घटना के दिन अपीलार्थी चाकू लेकर घटनास्थल पर आया और उसने संजय गुलेरिया की गर्दन पर घातक वार किया । अपीलार्थी ने ललिता का भी पीछा किया और एक खाली प्लाट में जाकर उसे कुल मिलाकर 10 क्षतियां पहुंचाईं और उसकी हत्या की । डा. वाई. एस. थपलियाल (अभि. सा. 4) ने शवपरीक्षण किया है । इस साक्षी के अनुसार,

मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप आघात से हुई है। अपीलार्थी ने साक्ष्य मिटाने के लिए शोरूम में आग भी लगाई है। अपीलार्थी के कब्जे से चाकू और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। उसकी चिकित्सा परीक्षा भी कराई गई है। अपीलार्थी ने चारों साक्षियों अर्थात् अनिल (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) की मौजूदगी में संजय गुलेरिया और ललिता की नृशंस हत्या की है। अपीलार्थी का यह कृत्य विरल से विरलतम मामले की कोटि के अन्तर्गत आता है। उसने कोई पाश्चाताप नहीं किया है अपितु उसने घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को यह धमकी दी कि यदि किसी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तारीख 4 सितंबर, 2015 को 2011 के सेशन विचारण मामला सं. 70 में अधिरोपित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की जाती है। दांडिक निर्देश का तद्नुसार निपटारा किया जाता है। (पैरा 34)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 333 और 2015 का दांडिक निर्देश सं. 01.

2011 के सेशन विचारण सं. 70 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, विकास नगर (देहरादून) द्वारा तारीख 4 सितंबर, 2015 को पारित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए सेशन विचारण न्यायालय की ओर से निर्देश और दोषसिद्ध अपीलार्थी द्वारा इसी आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री रामजी श्रीवास्तव (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अमित भट्ट (उप महाधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया।

न्या. शर्मा – विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, विकास नगर, देहरादून, द्वारा 2015 का दांडिक निर्देश सं. 01 सेशन विचारण सं. 70/2011 में तारीख 4 सितंबर, 2015 को अधिनिर्णीत उस दंडादेश की पुष्टि के लिए फाइल किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी शहजाद अली **उर्फ** अलीउर्रहमान को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए मृत्यु दंड और 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया है। अपीलार्थी को दंड

संहिता की धारा 436 के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया है और 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास का अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया है । दोषसिद्ध अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है । दंड संहिता की धारा 392 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए जुर्माने के संदाय जिसके व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया है । उसे दंड संहिता की धारा 411 के अधीन 2 वर्ष के कठोर कारावास का भी निदेश दिया गया है । आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25/4 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को छह मास के कठोर कारावास और 500/- रुपए जुर्माने जिसके व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक मास का कारावास भोगने का निदेश दिया गया है ।

2. तारीख 4 सितंबर, 2015 को पारित इसी निर्णय, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है, को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा 2015 की दांडिक अपील सं. 333 फाइल की गई है ।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अनिल कुमार (अभि.सा. 1) ने तारीख 10 फरवरी, 2011 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई संजय कुमार पुत्र गुलाब सिंह एक मोटरसाइकिल-शोरूम चलाता था । अपीलार्थी उसके यहां मैकेनिक के रूप में कार्य करता था । आबिद, गुलफाम, राजेश और प्रदीप भी इसी शोरूम में काम करते थे । कुमारी ललिता पुत्री रंजीत सिंह सर्वेक्षक के रूप में काम करती थी । ललिता ने संजय से शिकायत की जिस पर अपीलार्थी को नौकरी से हटा दिया गया । अपीलार्थी ने अपने भाई से कई बार उसे पुनः नियोजित करने को कहा । तथापि, उसके भाई ने इनकार कर दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी को मन में अपने भाई के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई । तारीख 10 फरवरी, 2011 को लगभग 4.25 बजे अपराह्न में अपीलार्थी शोरूम पर आया । उसने अपने पाजामे में से चाकू निकाला और अपने भाई की गर्दन पर घातक वार किया । इसके पश्चात्, उसने ललिता का पीछा किया और उसे एक खाली प्लाट में जाकर दबोच लिया । अपीलार्थी ने ललिता के शरीर पर चाकू से कई वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अपीलार्थी वहां मौजूद व्यक्तियों को धमकी देते हुए घटनास्थल से भाग गया । तथापि,

घटनास्थल से भागने के पूर्व उसने शोरूम में आग लगा दी ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । शवों को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । अपराध में प्रयोग किया गया आयुध बरामद किया गया । अन्वेषण पूरा किया गया । सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया ।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 22 साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

6. अपीलार्थी की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन भी कराई गई है । अपीलार्थी ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है । उसने अपनी प्रतिरक्षा में इमरान अली (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की परीक्षा कराई है ।

7. अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । इन परिस्थितियों में 2015 का निर्देश सं. 1 मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए भेजा गया गया है । अपीलार्थी ने अपनी दोषमुक्ति के लिए 2015 की दांडिक अपील सं. 333 फाइल की है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और आक्षेपित निर्णय तथा मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

9. इस घटना के 4 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिनमें अनिल कुमार (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) हैं ।

10. अनिल कुमार (अभि. सा. 1) संजय का भाई है । इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि उसका भाई संजय कुमार शोरूम और कार्यशाला हरिओम आटोमोबाइल के नाम से चलाता है । अपीलार्थी वहां मैकेनिक के रूप में कार्य करता था । आबिद, गुलफाम, राजेश और प्रदीप इसी शोरूम में काम करते थे । ललिता सुपरवाइजर थी । ललिता ने अपीलार्थी के विरुद्ध उसके भाई से शिकायत की । अपीलार्थी को काम पर से हटा दिया गया । अपीलार्थी ने अपने भाई से उसे पुनः काम पर लगाने को कहा । अपीलार्थी के मन में अपने भाई के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई । तारीख 10 फरवरी, 2011 को अपीलार्थी उसके भाई के शोरूम पर लगभग 4.25 बजे अपराह्न में आया । उसने चाकू निकाला और अपने भाई की गर्दन पर वार किया । इसके पश्चात् उसने ललिता का पीछा किया । ललिता ने बचकर भागने का प्रयास किया । अपीलार्थी ने ललिता को दबोच लिया और उस

पर कई वार किए । घटनास्थल पर कोलाहल उत्पन्न हो गया । अपीलार्थी ने चाकू लहराया और वहां मौजूद व्यक्तियों को धमकाया । अपीलार्थी ने वहां से फरार होने के पूर्व शोरूम में आग भी लगा दी । अपीलार्थी ने मोटरसाइकिल ली और घटनास्थल से भाग गया । शोरूम के बाहर उसके भाई की मृत्यु हो गई । संजय और ललिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अनिल कुमार ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि संजय और अपीलार्थी के बीच कुछ बातचीत हुई थी । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने चाकू निकाला और उसने अपने भाई और ललिता पर हमला किया । उसने अग्निशमन दल को सूचित किया । उसने 108 नम्बर पर काल नहीं की थी क्योंकि उसके भाई और ललिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी । जिस मोटरसाइकिल को लेकर अपीलार्थी फरार हुआ था वह हरीशचन्द्र की थी ।

11. प्रदीप (अभि. सा. 2) भी एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । वह शोरूम में काम करता था । तारीख 10 फरवरी, 2011 को लगभग 4 बजे अपराह्न में गुलफाम और आबिद घटनास्थल पर थे । संजय, अनिल और ललिता शोरूम में थे और उनके साथ वहां पर कुछ ग्राहक भी मौजूद थे । अपीलार्थी घटनास्थल पर 4.15 बजे पहुंचा । उसने अपने भाई पर हमला किया । इसके पश्चात् वह ललिता के पीछे गया और उसे खाली प्लाट में जाकर दबोच लिया और उस पर चाकू से कई वार किए ।

12. रनदीप गुलेरिया (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 10 फरवरी, 2011 को वह शोरूम पर था । उसे यह सूचना मिली कि संजय की हत्या कर दी गई है । वह घटनास्थल पर पहुंचा । वहां पर मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई । घटनास्थल से पुलिस द्वारा रक्तरंजित मिट्टी प्राप्त की गई ।

13. डा. वाई. एस. थपलियाल (अभि. सा. 4) ने ललिता के शव का शवपरीक्षण किया है । उन्होंने शव पर निम्न क्षतियां देखीं :–

> 1. अवटु-उपास्थि के ठीक ऊपर ग्रीवा के सामने की ओर 3 सेमी. × 9 सेमी. माप का छिन्न घाव है जो कंठनाल, श्वास नली, बाह्य और आन्तरिक कंठ्य-शिरा और बाह्य और आन्तरिक ग्रैवीय धमनी और मांसपेशी को काटता है ।
>
> 2. वक्ष के दाईं ओर 3 सेमी. × 2 सेमी. माप का छिन्न घाव है जो मांसपेशी तक गहरा है ।

3. 7वीं अन्तःपर्शुका में वक्ष के दाईं ओर 3 सेमी. × 2 सेमी. माप का वेधित घाव जिसकी गहराई गुहा तक है । इस घाव से रक्त निकलकर कांख के मध्य में जमा हुआ है ।

4. कांख के मध्य में 5वीं पसली के बाईं ओर 3 सेमी. × 2 सेमी. माप का वेधित घाव है जो गुहा तक गहरा है ।

5. बाईं छाती पर 4 सेमी. × 2 सेमी., 5 सेमी. × 2 सेमी. और 3 सेमी. × 2 सेमी. माप के तीन छिन्न घाव हैं जिनकी गहराई मांसपेशी तक है ।

6. बाएं प्रबाहु पर 5 सेमी. × 2 सेमी. माप का छिन्न घाव है जो मांसपेशी तक गहरा है ।

7. बाईं हथेली पर 10 सेमी. × 2 सेमी. माप का छिन्न घाव है ।

8. दाईं कोहनी के पीछे की ओर 2 सेमी. × 10 सेमी. माप का छिन्न घाव है जिसकी गहराई मांसपेशी तक है ।

9. दाईं हथेली के पृष्ठ तल पर 2 सेमी. × 1 सेमी. माप का छिन्न घाव है ।

10. बाएं अंगूठे के पृष्ठ तल पर 2 सेमी. × 1 सेमी. माप का छिन्न घाव है ।

ललिता की श्वास नली कटी हुई पाई गई है । फेफड़े सिकुड़े हुए पाए गए हैं । हृदय छिद्रयुक्त है । मृत्यु का कारण अत्यधिक स्राव और आघात है । मृत्यु-पूर्व क्षतियों के कारण ललिता की मृत्यु हुई है । यह मृत्यु शवपरीक्षण के 18-24 घन्टे पूर्व हुई है ।

14. डा. वाई. एस. थपलियाल (अभि. सा. 4) ने संजय गुलेरिया के शव का भी शवपरीक्षण किया है । उन्होंने निम्न क्षतियां देखीं :–

> 'ग्रीवा के सामने और दाईं ओर 30 सेमी. × 10 सेमी. माप का छिन्न घाव है । बाह्य और आन्तरिक ग्रैवीय शिरा में कटाव है जो अस्थि तक गहरा है । बाह्य और आन्तरिक ग्रैवीय धमनी, कंठनाल, श्वासनाल क्षतिग्रस्त है और ग्रीवा के दाईं ओर सामने की ओर मांसपेशी में कटाव हैं जिनके किनारे मुड़े हुए हैं ।'

संजय गुलेरिया की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व की वे क्षतियां हैं जिनसे

अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और आघात पहुंचा है ।

इस मृतक की मृत्यु शवपरीक्षण किए जाने से 18-24 घन्टे पूर्व हुई है । डा. थपलियाल (अभि. सा. 4) ने शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की है ।

15. कांस्टेबल लोकेन्द्र सिंह (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे तारीख 10 फरवरी, 2011 को सेलाकुई चौकी पर कांस्टेबल के रूप में तैनात किया गया था । संबंधित थानाध्यक्ष को अपीलार्थी की मौजूदगी की सूचना दी गई । इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस दल पहुंचा । जब वे सरकारी मानसिक रोग अस्पताल, सेलाकुई के निकट पहुंचे अपीलार्थी मोटरसाइकिल पर बैठा पाया गया । अपीलार्थी को पकड़ लिया गया । उसके कब्जे से रक्तरंजित चाकू बरामद किया गया । मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली गई ।

16. कांस्टेबल नितिन कुमार (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किया गया आयुध भी बरामद किया गया था ।

17. हरकेश सिंह (अभि. सा. 7) ने यह साक्ष्य दिया है कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी थी । अपीलार्थी को मोटरसाइकिल और चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था ।

18. जय सिंह (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ललिता उसकी भतीजी थी । वह संजय गुलेरिया एजेंसी में काम करती थी । तारीख 10 फरवरी, 2011 को उसकी हत्या हो गई ।

19. सुभाष चन्द्र (अभि. सा. 9) ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे अपने चचेरे भाई और ललिता की मृत्यु के बारे में सूचना मिली थी । वह घटनास्थल पर पहुंचा । उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए ।

20. राजेश कुमार (अभि. सा. 10) ने भी सरदार सिंह (अभि. सा. 11) और तिलक राज शर्मा (अभि. सा. 12) के साथ मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे ।

21. गुलफाम (अभि. सा. 13) भी एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 10 फरवरी, 2011 को वह शोरूम में मैकेनिक के रूप में कार्य कर रहा था । वहां पर 4.00-4.15 अपराह्न के बीच संजय गुलेरिया मौजूद था । अपीलार्थी ने संजय की गर्दन पर घातक वार किए । इसके पश्चात् उसने ललिता का पीछा करके उसकी

हत्या की । इसके पश्चात् अपीलार्थी भाग गया ।

22. ब्रज राज (अभि. सा. 14) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने बरामदगी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ।

23. सुशील कुमार (अभि. सा. 15) भी घटना की खबर सुनने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था । इस साक्षी की मौजूदगी में मोटरसाइकिल बरामद की गई । मोटरसाइकिल की गद्दी पर रक्त के धब्बे लगे पाए गए ।

24. उपनिरीक्षक ठाकुर सिंह रावत (अभि. सा. 16) घटनास्थल पर अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ पहुंचा । इस साक्षी ने उच्चतर प्राधिकारियों को सूचित किया । उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की । शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया ।

25. हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इस साक्षी के साक्ष्य से अनिल कुमार (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2) और गुलफाम (अभि. सा. 13) के कथनों की संपुष्टि होती है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने संजय और ललिता पर चाकू से हमला किया था और शोरूम में भी आग लगाई । पुलिस ने अपीलार्थी का रक्तरंजित पाजामा कब्जे में लिया ।

26. उप निरीक्षक ललित सिंह (अभि. सा. 18) ने मोटरसाइकिल की तकनीकी परीक्षा की है ।

27. उप निरीक्षक मनोज कुमार नयनवाल (अभि. सा. 19) ने रक्तरंजित और सादा मिट्टी कब्जे में ली । अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया । उसके कब्जे से चाकू बरामद किया गया । अपीलार्थी का गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया । हरीशचन्द्र की पैंट कब्जे में ली गई । अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा भी कराई गई । अपीलार्थी के रक्तरंजित वस्त्रों को कब्जे में लिया गया । इन वस्त्रों को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । दोनों शव एक दूसरे के निकट पड़े हुए थे ।

28. तत्कालीन मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिंह (अभि. सा. 20) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन आबिद अली के कथन अभिलिखित किए हैं । इस साक्षी ने हरीशचन्द्र, आबिद और प्रदीप के कथन भी अभिलिखित किए । इस साक्षी ने यह साबित किया है कि ये कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए हैं ।

29. डा. उमेश चन्द्र (अभि. सा. 21) ने अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की है । इस साक्षी ने अपीलार्थी के शरीर पर क्षतियां पाईं हैं ।

30. उप निरीक्षक प्रवीण सिंह (अभि. सा. 22) औपचारिक साक्षी है ।

31. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी मृतक के शोरूम में काम करता था । सुश्री ललिता भी वहां पर सर्वेक्षक के रूप में कार्य कर रही थी । ललिता ने संजय गुलेरिया से अपीलार्थी के संबंध में शिकायत की । संजय गुलेरिया ने अपीलार्थी को नौकरी से निकाल दिया जिसके कारण संजय और अपीलार्थी के बीच शत्रुता हो गई । तारीख 10 फरवरी, 2011 को अपीलार्थी घटनास्थल पर आया । उसने संजय की गर्दन पर चाकू से हमला किया और इसके पश्चात् ललिता का पीछा किया और उसने ललिता को कई क्षतियां वेधकर कारित की । संजय और ललिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अपीलार्थी घटनास्थल पर खड़ी किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल लेकर भाग गया । अपीलार्थी ने शोरूम में आग भी लगा दी । उसे गिरफ्तार किया गया । मोटरसाइकिल, जिसकी गद्दी रक्तरंजित हो गई थी और अपराध में प्रयोग किया गया आयुध अर्थात् चाकू बरामद किया गया । चाकू को रक्तरंजित मिट्टी के साथ न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । दोनों मृतकों की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व क्षतियां पाया गया जिनके परिणामस्वरूप मृतकों को आघात पहुंचा था और उनके शरीर से रक्तस्राव हुआ था । अपीलार्थी के रक्तरंजित कपड़े भी उसके घर से बरामद किए गए । अनिल (अभि. सा. 1) और प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी घटनास्थल पर आया था । उसने संजय की गर्दन पर चाकू से वार किया था । इस साक्षी ने यह भी देखा कि अपीलार्थी ने ललिता का पीछा किया और उसे चाकू से वेधकर कई क्षतियां कारित कीं । अनिल (अभि. सा. 1) मृतक संजय का भाई है । प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) इसी शोरूम में काम करते थे । ये साक्षी घटनास्थल पर मौजूद थे । अनिल (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) विश्वसनीय साक्षी हैं ।

32. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील में कोई सार नहीं है कि अनिल (अभि. सा. 1) के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अनिल (अभि. सा. 1) मृतक का सगा भाई है । वह अपने भाई के शोरूम

पर 1.00 बजे अपराह्न में पहुंचा । प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) स्वतंत्र साक्षी हैं । उनकी मृतक के साथ कोई शत्रुता नहीं थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई और जैसा कि ऊपर उल्लिखित है इस रिपोर्ट पर स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए । अपीलार्थी को एक पुल के नीचे पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किया गया आयुध और मोटरसाइकिल बरामद की गई । इस आयुध को परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया ।

33. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि घातक वार के पश्चात् मृतक संजय शोरूम से बाहर नहीं आ सकता था । इस दलील में कोई सार नहीं है कि संजय गुलेरिया की गर्दन पर वार किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी को ललिता की हत्या करने से रोकने के लिए बाहर आया था ।

34. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी दी है कि अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल पर रक्त के निशानों को साबित नहीं किया है । घटनास्थल पर रक्त के न पाए जाने का सीधा कारण यह है कि अपीलार्थी ने शोरूम में आग लगा दी थी । डा. वाई. एस. थपलियाल (अभि. सा. 4) द्वारा, जिन्होंने शवों का शवपरीक्षण किया था, शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की गई हैं । इस साक्षी के अनुसार मृतकों की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व धारदार आयुध से कारित की गई वे क्षतियां हैं जिनसे मृतकों को आघात पहुंचा और उनके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ । मृत्यु शवपरीक्षण किए जाने के 18-24 घन्टे पूर्व हुई है । ललिता के शरीर पर 10 क्षतियां कारित हुई थीं । चार साक्षियों अर्थात् अनिल (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) ने अपीलार्थी को संजय और ललिता की चाकू से हत्या करते हुए देखा है ।

2015 की दांडिक अपील सं. 333

अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 302, 436, 506, 392, 411 और आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन कारित अपराध के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित किया है । तद्नुसार, अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2015 की दांडिक अपील सं. 333 में उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश को जो चुनौती दी गई है वह खारिज की जाती है ।

2015 का दांडिक निर्देश सं. 1

अपीलार्थी शहजाद अली को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, विकास नगर (देहरादून) द्वारा 2011 के सेशन विचारण मामला सं. 70 में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । अपीलार्थी संजय गुलेरिया का कर्मचारी था उसके मन में संजय गुलेरिया के प्रति दुर्भावना थी क्योंकि संजय गुलेरिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था । संजय ने शोरूम में सर्वेक्षक के पद पर कार्य करने वाली ललिता की शिकायत पर अपीलार्थी को नौकरी से हटा दिया था । घटना के दिन अपीलार्थी चाकू लेकर घटनास्थल पर आया और उसने संजय गुलेरिया की गर्दन पर घातक वार किया । अपीलार्थी ने ललिता का भी पीछा किया और एक खाली प्लाट में जाकर उसे कुल मिलाकर 10 क्षतियां पहुंचाईं और उसकी हत्या की । डा. वाई. एस. थपलियाल (अभि. सा. 4) ने शवपरीक्षण किया है । इस साक्षी के अनुसार, मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप आघात से हुई है । अपीलार्थी ने साक्ष्य मिटाने के लिए शोरूम में आग भी लगाई है । अपीलार्थी के कब्जे से चाकू और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं । उसकी चिकित्सा परीक्षा भी कराई गई है । अपीलार्थी ने चारों साक्षियों अर्थात् अनिल (अभि. सा. 1), प्रदीप (अभि. सा. 2), गुलफाम (अभि. सा. 13) और हरीश चन्द्र (अभि. सा. 17) की मौजूदगी में संजय गुलेरिया और ललिता की नृशंस हत्या की है । अपीलार्थी का यह कृत्य विरल से विरलतम मामले की कोटि के अन्तर्गत आता है । उसने कोई पश्चाताप नहीं किया है अपितु उसने घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को यह धमकी दी कि यदि किसी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तारीख 4 सितंबर, 2015 को 2011 के सेशन विचारण मामला सं. 70 में अधिरोपित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की जाती है । दांडिक निर्देश का तद्नुसार निपटारा किया जाता है ।

35. इस निर्णय और आदेश की एक प्रति निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ संबद्ध न्यायालय को अनुपालन के लिए भेजी जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

तौसीफ उर्फ **तौसीफ अहमद**

बनाम

कर्नाटक राज्य

तारीख 13 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति रविमालीमठ और न्यायमूर्ति जोन माइकेल कुंहा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304 भाग I – हत्या – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – हेतु – अभियुक्त द्वारा मृतका पर आग लगाया जाना – मृतका को 95 प्रतिशत दाह क्षतियां पहुंचना – अभियुक्त द्वारा मृतका के सतीत्व पर संदेह करना – साक्षियों द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर मिट्टी के तेल का कैन और दियासलाई का डिब्बा पकड़े हुए देखा जाना तथा अभियुक्त द्वारा मृतका को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लाने के बहाने से घटनास्थल से भाग जाना – यदि साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त ने साशय मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और अभियोजन पक्ष ने मृतका की हत्या करने के लिए अभियुक्त के हेतु को साबित किया है तो दंड संहिता की धारा 304, भाग I के अधीन अपराध नहीं बनता है बल्कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि उचित है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब – हत्या का अपराध – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने से पूर्व घटनास्थल पर पुलिस का पहुंचना – साक्षियों ने संगत रूप से यह कथन किया है कि अस्पताल में डाक्टर और मृतका के नातेदार मौजूद नहीं थे – मृतका का उपचार करने में पुलिस की व्यस्तता थी – साक्षियों की अभियुक्त और मृतका से नातेदारी न होना – यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी सम्मिलित करने में जानबूझकर विलंब किया गया – अभियोजन पक्षकथन के लिए विलंब घातक नहीं है ।

अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतका सुंदरम्मा परशुराम सड़क के नजदीक अपनी पुत्री के साथ 5 माह पूर्व से रह रही है । जब शिकायतकर्ता तारीख 30 नवंबर, 2010 को लगभग 9.45 बजे अपराह्न

अपने घर में था तब नेग राजू नाम का स्थानीय निवासी ने उसे बताया कि मृतका को उसके निवास में आग पकड़ गई थी औरर वह चीख-पुकार कर रही थी । वह तत्काल घटनास्थल पर गया और उसने देखा कि मृतका के शरीर पर आग लगी हुई थी और वह चीख-पुकार कर रही है । पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया था । एक व्यक्ति जो घटनास्थल पर मौजूद था, ने यह कथन किया कि वह मृतका को अस्पताल में ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जा रहा है । मृतका दर्द के मारे निरंतर चिल्ला रही थी । इसके पश्चात् शिकायतकर्ता ने अपने मित्र सतीश की सहायता से मृतका को के. आर. अस्पताल मैसूर पर ले गया था । अस्पताल जाने वाले रास्ते पर शिकायतकर्ता ने घटना के बारे में मृतका से पूछा । उसने उसे बताया कि उसका लगभग 15 वर्ष पूर्व टी नरसीपूरा के ग्राम मादिनाकोच्चाल्लु के महादेवा किसान से विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री है । वह लगभग 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री के साथ में मैसूर पर आई और दसवीं क्रास अशोकपुरम में मैसूर पर स्थित मकान पर रहने लगी थी । वह काम के लिए शहर की ओर जा रही थी तब उसकी तौसीफ नामक अभियुक्त व्यक्ति से जान पहचान हो गई । उनके अवैध संबंध बन गए थे । उसने के. एन. पुरा परशुराम रोड में किराए का मकान लिया था जहां वह रह रही थी । तौसीफ पहले ही विवाहित था और उसकी एक पुत्री थी । वह आलमनगर में अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रहता था । वह कारों के लेनदेन का व्यापार करता था । घटना के एक दिन पूर्व अर्थात् 30 नवंबर, 2012 को वह तौसीफ के साथ वरा पहाड़ी मंदिर पर गई थी । वे लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न वापस लौटे । तौसीफ ने उसे रिंग रोड के नजदीक छोड़ दिया था । वहां से वह ऑटो रिक्शा से घर पर पहुंची । तौसीफ ने लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न उसे लैंड लाइन से फोन किया था । वह फोन पर उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि वह नहा रही थी । इसके पश्चात्, वह दोपहर में उसके पास आया और उसे भद्दी भाषा में गालियां दीं तथा यह कथन किया कि वह सभी मुद्दों को तय करने के लिए शाम को आएगा । तौसीफ उससे उसके सतीत्व के बारे में निरंतर ताने मारकर प्रश्न पूछा करता था । उसने उस पर हमला भी किया । वह तारीख 30 नवंबर, 2010 को लगभग 8.00 बजे अपराह्न शराब पीकर उसके घर पर पहुंचा और उसकी स्वामिभक्ति पर संदेह करके उससे झगड़ा किया तथा उसे भद्दी भाषा में गालियां भी दी तथा उसे थप्पड़ भी मारा । इसके पश्चात्, उसने रसोई घर से मिट्टी का तेल लाकर उसके शरीर पर छिड़क दिया और उसे

आग लगाई । उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया । तौसीफ घर से बाहर चला गया । वहां पर लोग एकत्रित हो गए । अभियोजन का आगे पक्षकथन यह है कि मृतका की तारीख 30 नवंबर, 2010 की रात्रि में अर्थात् तारीख 1 दिसंबर, 2010 को लगभग 2.55 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई । शिकायत प्रदर्श पी-1 के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 2010 का अपराध सं. 228 में मामला दर्ज किया और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रस्तुत की । आरोप पत्र फाइल किया गया था । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 19 साक्षियों की परीक्षा की, प्रदर्श पी-1 से 15 (क) और 6 तात्विक वस्तुओं पर चिह्न डाले । आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंड दिया गया है । अभियुक्त ने उससे व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – (क) आगे यह दलील दी गई थी कि अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 18) ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा था । इसलिए, यह दलील दी गई कि अभियुक्त को आग बुझाते समय क्षतियां पहुंची थी और इसलिए उस बात को अभियोजन पक्ष द्वारा छुपा दिया गया था । अभियुक्त द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि मृतका ने आत्महत्या की । अतः, यह दलील दी गई कि चूंकि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षतियों के संबंध में साक्ष्य का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए, अभियोजन पक्षकथन स्वीकार नहीं किया जा सकता । (ख) हमारा यह मत है कि ऐसी दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है । अन्वेषक अधिकारी द्वारा किया गया कथन यह है कि अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । जहां तक इस दलील का संबंध है, यह अभि. सा. 1, 2 और 4 के साक्ष्य के प्रतिकूल है जिन्होंने अपराध के स्थान पर अभियुक्त को देखा था । उन्होंने उसे मिट्टी का तेल का कैन और दियासलाई का डिब्बा लिए हुए देखा था कि वह अभियुक्त था जिसने उन्हें यह बताया कि वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जाएगा । इसके पश्चात्, वह घटनास्थल से गायब हो गया । जहां तक अभियुक्त द्वारा दिए गए सुझाव कि मृतका

ने आत्महत्या की, का संबंध है, किसी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा मृतका के शरीर पर लगी हुई आग के बुझाने के बारे में किए गए प्रयासों के बारे में नहीं बताया । वास्तव में अभियुक्त का आचरण स्वयं में संदेहपूर्ण है क्योंकि जब मृतका जल रही थी तब उसने आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि घटनास्थल से वह भाग गया और उसने यह बहाना किया कि वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जा रहा है । (ग) इस साक्षी ने यह भी कथन नहीं किया और न उसके प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि क्या उनकी जानकारी में अभियुक्त को पहुंची क्षति आई । उन्होंने अभियुक्त को पहुंची किसी भी क्षति के बारे में नहीं बताया । इसलिए, यह बात भी संदेह पूर्ण रह जाती है कि क्या अभियुक्त को घटना के दौरान वास्तव में क्षतियां पहुंची थी या किसी अन्य घटना में । इन परिस्थितियों के अधीन हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का और अभिलेख की सामग्री का सही रूप से मूल्यांकन किया है । इस प्रक्रम पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि यद्यपि अभियोजन पक्षकथन स्वीकार किया जाता है तो भी उस पर दंड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होती है और अधिक से अधिक मामले में दंड संहिता की धारा 304(1) लागू होती है । तथापि, दलील तथा अभिलेख की सामग्री पर विचार करते हुए हम उस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । अपीलार्थी का यह अभिवाक् कि ऐसा अचानक क्रोध के कारण हुआ था और घटना अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के प्रतिकूल घटित हुई थी । अभि. सा. 1, 2 और 4 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतका पर साशय मिट्टी का तेल छिड़का था और उसे आग लगाई थी । जहां तक पूरे प्रक्रम पर अभियुक्त का मृतका को बचाने की कोशिश का संबंध है न बचाने के उसके बारे में कोई पश्चाताप नहीं है । इसके प्रतिकूल वह अपराध के स्थान से भाग गया । अपीलार्थी की यह दलील कि उसने अत्यधिक सहानुभूति से मामले में विचार किया, यह उपदर्शित करने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य था कि अभियुक्त द्वारा मृतका को बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया था । उस प्रक्रम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । साक्षियों ने अपराध के स्थान से उसे भागते हुए देखा था । अतः अपीलार्थियों की दलील को स्वीकार करना कठिन होगा कि दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन कम अपराध उसे लागू होता है । हम

विचारण न्यायालय द्वारा समनुदेशित कारणों में कोई प्रतिकूलता नहीं पाते हैं । परिणामस्वरूप, तारीख 5 जनवरी, 2012 का निर्णय जिसे 2011 के सेशन मामला सं. 81 में अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय-III मैसूर द्वारा पारित किया गया जिसमें अभियुक्त को दोषसिद्ध करके आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया, की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी शेष अवधि का दंड भी भोगेगा । वह इस मामले में पहले भोगे गए निरोध की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा पाने का हकदार होगा । (पैरा 17, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	आई. एल. आर. 2013 कर्नाटक राज्य 992 : **एच. सी. कारीगौड़ा** उर्फ **श्री निवासन और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य ;**	15
[1994]	1994 सप्ली. (1) (क्रिमिनल) 590 = ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2644 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **पुनाती रामालु और अन्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 108.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री हाश्मथ पासा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विजय कुमार, मजाजे, अपर ज्येष्ठ लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रविमालीमठ ने दिया ।

न्या. रविमालीमठ – अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतका सुंदरम्मा परशुराम सड़क के नजदीक अपनी पुत्री के साथ 5 माह पूर्व से रह रही है । जब शिकायतकर्ता तारीख 30 नवंबर, 2010 को लगभग 9.45 बजे अपराह्न अपने घर में था तब नेग राजू नाम का स्थानीय निवासी ने उसे बताया कि मृतका को उसके निवास में आग पकड़ गई थी और वह चीख-पुकार कर रही थी । वह तत्काल घटनास्थल पर गया और उसने देखा कि मृतका के शरीर पर आग लगी हुई थी और वह चीख-पुकार

कर रही है । पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया था । एक व्यक्ति जो घटनास्थल पर मौजूद था, ने यह कथन किया कि वह मृतका को अस्पताल में ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जा रहा है । मृतका दर्द के मारे निरंतर चिल्ला रही थी । इसके पश्चात् शिकायतकर्ता ने अपने मित्र सतीश की सहायता से मृतका को के. आर. अस्पताल मैसूर पर ले गया था ।

2. अस्पताल जाने वाले रास्ते पर शिकायतकर्ता ने घटना के बारे में मृतका से पूछा । उसने उसे बताया कि उसका लगभग 15 वर्ष पूर्व टी नरसीपूरा के ग्राम मादिनाकोच्चाल्लु के महादेवा किसान से विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री है । वह लगभग 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री के साथ में मैसूर पर आई और दसवीं क्रास अशोकपुरम में मैसूर पर स्थित मकान पर रहने लगी थी । वह काम के लिए शहर की ओर जा रही थी तब उसकी तौसीफ नामक अभियुक्त व्यक्ति से जान पहचान हो गई । उनके अवैध संबंध बन गए थे । उसने के. एन. पुरा परशुराम रोड में किराए का मकान लिया था जहां वह रह रही थी । तौसीफ पहले ही विवाहित था और उसकी एक पुत्री थी । वह आलमनगर में अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रहता था । वह कारों के लेनदेन का व्यापार करता था ।

3. घटना के एक दिन पूर्व अर्थात् 30 नवंबर, 2012 को वह तौसीफ के साथ वरा पहाड़ी मंदिर पर गई थी । वे लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न वापस लौटे । तौसीफ ने उसे रिंग रोड़ के नजदीक छोड़ दिया था । वहां से वह ऑटो रिक्शा से घर पर पहुंची । तौसीफ ने लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न उसे लैंड लाइन से फोन किया था । वह फोन पर उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि वह नहा रही थी । इसके पश्चात्, वह दोपहर में उसके पास आया और उसे भद्दी भाषा में गालियां दीं तथा यह कथन किया कि वह सभी मुद्दों को तय करने के लिए शाम को आएगा । तौसीफ उससे उसके सतीत्व के बारे में निरंतर ताने मारकर प्रश्न पूछा करता था । उसने उस पर हमला भी किया । वह तारीख 30 नवंबर, 2010 को लगभग 8.00 बजे अपराह्न शराब पीकर उसके घर पर पहुंचा और उसकी स्वामिभक्ति पर संदेह करके उससे झगड़ा किया तथा उसे भद्दी भाषा में गालियां भी दीं तथा उसे थप्पड़ भी मारा । इसके पश्चात्, उसने रसोई घर से मिट्टी का तेल लाकर उसके शरीर पर छिड़क दिया और उसे आग लगाई । उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया । तौसीफ घर से बाहर चला गया । वहां पर लोग एकत्रित हो गए । अभियोजन का आगे पक्षकथन यह है कि मृतका

की तारीख 30 नवंबर, 2010 की रात्रि में अर्थात् तारीख 1 दिसंबर, 2010 को लगभग 2.55 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई ।

4. शिकायत प्रदर्श पी-1 के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 2010 का अपराध सं. 228 में मामला दर्ज किया और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रस्तुत की । आरोप पत्र फाइल किया गया था । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 19 साक्षियों की परीक्षा की, प्रदर्श पी-1 से 15 (क) और 6 तात्विक वस्तुओं पर चिन्ह डाले । आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंड दिया गया है । अभियुक्त ने उससे व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है ।

5. (क) अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करके गलती की है । मामले में अपरराध कारित किए जाने के लिए कोई हेतु नहीं है । यह उपदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़का था । अभिकथित मौखिक मृत्युकालिक कथन पर विश्वास किया जा सकता है । यद्यपि पुलिस को पहले दिन से घटना के बारे में पता था और उसे उनके द्वारा दबाया गया था । इसलिए अभियोजन पक्षकथन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(ख) अभियोजन पक्षकथन द्वारा दुर्घटना रजिस्टर और दाह वर्ल्ड से मामले के पन्ने पेश भी नहीं किए गए । मृतका को पहुंची क्षतियां का अभियोजन पक्ष द्वारा भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए, उसने यह अभिवाक् किया है कि विचारण न्यायालय ने गलत रूप से मामले का परिशीलन किया है और अभियुक्त को गलत रूप से दोषसिद्ध किया गया है, इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति की ईप्सा करता है ।

6. दूसरी ओर विद्वान् अपर ज्येष्ठ लोक अभियोजक ने उस पर विश्वास किया है । उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त का अपराध कारित करने का हेतु था और यह वही व्यक्ति था जिसने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़का था और उसे आग लगाई । मृतका ने उस रीति का कथन

किया है जिसमें अपराध किया गया था जबकि मृतका को अस्पताल भी ले जाया गया था । दुर्घटना रजिस्टर तथा दाह वर्ल्ड के रजिस्टर को पेश नहीं किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई अन्य सामग्री से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि उन्होंने अपने पक्षकथन को पूर्ण रूप से साबित किया है । विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई प्रतिकूलता नहीं है जिससे मामले में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो इसलिए उन्होंने यह अभिवाक् किया कि अपील को खारिज किया जाए ।

7. विद्वान् काउंसेल को सुना गया और अभिलेखों की परीक्षा की गई ।

8. (क) अभि. सा. 1 शिकायतकर्ता है । उसने यह कथन किया कि घटना की तारीख को वह मृतका के घर के नजदीक स्थित अपने मकान में था । तारीख 30 नवंबर, 2010 को लगभग 9.45 बजे अपराह्न निंगराज (अभि. सा. 3) वहां पहुंचा और उसने उसे यह बताया कि मृतका को आग लगी हुई है और वह सिसकियां ले रही है । वह अभि. सा. 3 के साथ तुरन्त घटनास्थल पर गया जब वे मृतका के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मृतका आग की लपटों में थी । उन्होंने चादर से उसके शरीर को लपेटा । उस वक्त उसके मकान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था । उसके पश्चात् एम्बुलेंस बुलाई गई थी और वह अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 उसके साथ एम्बुलेंस में मौजूद थे तथा मृतका से इस बारे में पूछताछ की कि यह घटना कैसे घटी । उसने यह बताया कि वह लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न महादेश्वर-हिल-टेम्पल से वापस लौट रही थी और जब वह स्नान करने के लिए गई थी तब फोन की घंटी बजी परन्तु वह टेलीफोन को नहीं उठा सकी चूंकि वह स्नान कर रही थी । अभियुक्त द्वारा दोपहर के बाद उससे इस बारे में पूछताछ की गई थी कि उसने टेलीफोन क्यों नहीं उठाया । उसने उसे गाली देकर उस पर हमला किया । इसके पश्चात् उसने उसके शरीर पर मिट्‌टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । दूसरे दिन जब अभि. सा. 1 अस्पताल गया था तब उसने यह बताया कि पीड़िता की मृत्यु हो गई । इसने मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि जब वह अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साथ था और मृतका के घर की ओर जा रहे थे तब अभियुक्त जो वहां मौजूद था उसने उसे बताया कि वह मृतका को सुन्दरम्मा अस्पताल में ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जा रहा है, तत्पश्चात् वह वापस नहीं लौटा ।

(ख) यह दलील दी गई कि अभियुक्त की मौजूदगी के बारे में अभि. सा. 1 के साक्ष्य में विभेद है और यह बात प्रतिपरीक्षा में प्रकट हुई है, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अभियुक्त की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । जब साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा था, तब आगे परीक्षा में उसने यह कथन किया है कि इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य पर जहां तक अभियुक्त की मौजूदगी का संबंध है, विश्वास नहीं किया जा सकता ।

(ग) अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को वह अपनी दुकान बंद करने के पश्चात् अभि. सा. 1 के मकान पर गया, उस समय निंगराज (अभि. सा. 3) ने गुप्त तरीके से उसे यह बताया कि मृतका आग में जल रही थी । इसलिए, वह अभि. सा. 1 के साथ तत्काल सुन्दरम्मा के मकान पर गया । जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने यह देखा कि सुन्दरम्मा को आग लगी हुई है और वहां खड़े व्यक्तियों ने आग बुझाने के लिए चादर से उसे ढका था । उस समय अभियुक्त जो वहां पर मौजूद था, उसने यह कथन किया कि वह ऑटो लेने के लिए जाएगा और वह अपराध के स्थान से चला गया । तथापि, वह वापस नहीं लौटा । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने एम्बुलेंस बुलाई और वे मृतका को एम्बुलेंस में ले गए । रास्ते में मृतका ने यह बताया कि जब वे स्नान करने के लिए गई थी तब अभियुक्त ने उसे टेलीफोन किया था परन्तु उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह स्नान कर रही थी और उसके द्वारा इस बात पर उससे प्रश्न पूछा गया था । मृतका ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उस पर हमला किया और उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी । इस साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए प्रतिपरीक्षा में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है ।

(घ) निंगराज (अभि. सा. 3) अभियोजन पक्षकथन के लिए पक्षद्रोही घोषित हो गया । तथापि, अभि. सा. 1 की सूचना को छोड़कर शेष उसका कथन अभियोजन पक्षकथन के प्रतिकूल है ।

(ङ) अभि. सा. 4 एक महिला है जो सुन्दरम्मा के नाम से बुलाई जाती है । उसने अभियुक्त के साथ मृतका के संबंधों के बारे में अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका अभियुक्त के साथ रुकी हुई थी और उनके बीच निरंतर झगड़ा होता रहता था । तारीख 30 नवंबर, 2010 की रात्रि को भी अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था । इसके पश्चात् उसने मृतका के रोने की आवाज सुनी । इसके पश्चात्

वह गोवारम्मा और गीता के साथ मृतका के मकान पर गई । उसने देखा कि मृतका आग की लपटों में थी और अभियुक्त ने मिट्टी के तेल के कैन को पकड़ रखा था और उसके हाथ दियासलाई भी थी । जब हमने सुन्दरम्मा से इस बारे में पूछताछ की कि यह घटना कैसे घटी तब अभियुक्त ने यह कहा कि वह सुन्दरम्मा को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो लेने जाएगा तथा इसके पश्चात् वह किसी प्रकार भी वापस नहीं लौटा । आग को चादर से बुझाया गया था । तब अभि. सा. 1, 2 और 3 अन्य लोग वहां पर पहुंचे । एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था और सुन्दरम्मा को उसमें ले जाया गया था । अभि. सा. 1 और 3 भी एम्बुलेंस में थे । उसने प्रतिपरीक्षा से इस सुझाव से इनकार किया है कि कई व्यक्ति वहां पर आए और मृतका के घर पर गए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह मृतका के मकान पर गई तब मृतका के सिवाय मकान पर कोई नहीं था । उसने यह भी कथन किया कि सुन्दरम्मा को शरीर के निचले भाग पर जलाया गया था और उसके कपड़ों पर भी आग लगी हुई थी जब जल रही थी तो वह खड़ी थी । उसने पानी लाने के लिए कहा । उसके चेहरे पर कोई आग का निशान नहीं था । कमरे का दरवाजा भी खोला गया था । उसे एम्बुलेंस में ले जाने से पूर्व पुलिस वहां पर पहुंची । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि मृतका ने आत्महत्या की है । उसने इस बात से इनकार किया है कि घटना की तारीख को अभियुक्त को नहीं देखा ।

(च) श्रीमती गीता (अभि. सा. 7) पड़ोसी है जिसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने तारीख 30 नवंबर, 2010 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न मृतका के मकान में लड़ाई-झगड़े होने की बात सुनी जब वह मृतका के मकान पर गई तो उसने देखा कि मृतका मकान के दाहिनी कोने पर दर्द से रो रही थी । उस समय अभियुक्त के पास मिट्टी के तेल का कैन और एक दियासलाई का डिब्बा था । जब अभियुक्त ने उन्हें देखा तब वह मिट्टी के तेल के कैन और माचिस के डिब्बे को फेंक कर भाग गया और यह कथन किया कि वह पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जाएगा । उसने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अपराध के स्थान पर किसी व्यक्ति को नहीं देखा ।

(छ) श्री राकेश (अभि. सा. 8) एन. जी. ओ. पर कार्य करता था

उसने यह कथन किया कि उसकी जानकारी में यह आया है कि मृतका ने स्वयं अपने को जलाया है और वह पंचनामा और मृत्यु समीक्षा महाजर का साक्षी है ।

(ज) श्री सुरेश (अभि. सा. 11) जो मकान का मालिक है जिसमें मृतका निवास करती थी । उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब किराया इकरारनामा का मृतका के नाम निष्पादन किया गया था तब अभियुक्त भी वहां पर मौजूद था ।

(झ) श्री नगेश (अभि. सा. 12) मकान मालिक (अभि. सा. 11) का भतीजा है । उसने यह कथन किया है कि मृतका अभियुक्त उक्त मकान में एक साथ रूके हुए थे । उनके अवैध संबंध पर संदेह होने के कारण उसने उनसे उक्त मकान को खाली करने के लिए कहा था ।

(ञ) श्री मंजुनाथ डी. एस. (अभि. सा. 13) एम्बुलेंस में पुरुष नर्स है जिसने मृतका का उपचार किया जब उसे घर से अस्पताल ले जाया जा रहा था । उसने यह कथन किया है कि मृतका से घटना के बारे में प्रश्न पूछा गया था । तथापि, मृतका ने 'हां' और 'ना' में उत्तर दिया था । प्रतिपरीक्षा में यह उपदर्शित हुआ है कि मृतका की हालत को देखते हुए उसके चेहरे पर आक्सीजन मास्क रखा गया था । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि उसने के. आर. अस्पताल मैसूर पर मृतका को भर्ती किया है ।

(ट) श्री मन्नु कुमार (अभि. सा. 14) एम्बुलेंस का ड्राइवर है ।

(ठ) डा. चन्द्रशेखर (अभि. सा. 15) डाक्टर है जिन्होंने शवपरीक्षण परीक्षा की । उसने यह कथन किया कि सिर और पैर का तलवा जला हुआ था । मृतका का शरीर 95 प्रतिशत जला हुआ था ।

(ड) श्री रमेश एस. (अभि. सा. 16) पुलिस कांस्टेबल है जो मजिस्ट्रेट के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 को ले गया था ।

(ढ) श्री गोविंदानायक (अभि. सा. 17) हैड कांस्टेबल है जिसने तारीख 3 दिसंबर, 2010 को अर्थात् घटना के तीसरे दिन के पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।

(ण) श्री आर. श्रीकांत (अभि. सा. 18) जो पुलिस उप निरीक्षक है, ने तारीख 1 दिसंबर, 2010 को अगले दिन 11.45 बजे पूर्वाह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की ।

(त) श्री मैथ्यू थामस (अभि. सा. 19) अन्वेषक अधिकारी है । उसने उस रीति का कथन किया है जिसमें अन्वेषण किया गया था । चूंकि मृतक के शव का किसी व्यक्ति ने दावा नहीं किया और शव को शव गृह में रखा गया था । अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । उसने प्रतिपरीक्षा से इस सुझाव से इनकार किया है कि मृतका ने आत्महत्या की । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसा रहा है ।

9. इन साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय का यह मत रहा था कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे सिद्ध किया है । यह भी मत व्यक्त किया गया था कि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़का था और उसे आग लगाने के पश्चात् वह घटनास्थल से भाग गया । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा घटनास्थल पर उसके मौजूद होने को देखा था । अभि. सा. 1, 2 और 4 ने उस रीति के बारे में कथन किया है जिसमें घटना घटी । अभि. सा. 1 द्वारा उस बात की संपुष्टि की गई है । अभियुक्त की जली हुई पेंट की बरामदगी से यह उपदर्शित होता है कि घटनास्थल पर पंखे की प्लास्टिक के जले हुए टुकड़े पाए गए थे जो कमरे में लगा हुआ पाया गया था जहां घटना घटी । घटनास्थल के महाजर से यह भी उपदर्शित होता है कि कमरे में लगा हुआ पंखा पूरी तरह जला हुआ था । वहां पर प्लास्टिक के टुकड़े गिरे हुए पाए गए थे ।

10. (क) अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने प्रथम यह दलील दी है कि अपीलार्थी का अपराध करने का कोई हेतु नहीं था । अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य अर्थात् अभि. सा. 4, 5 और 6 ने अभियुक्त और मृतका के बीच संबंध होने के बारे में बताया । अभि. सा. 1 और 3 ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को उन्होंने घटनास्थल पर अभियुक्त को देखा था और वह रीति जिसमें घटना घटी, उसके बारे में मृतका द्वारा यह वृत्तांत दिया गया है कि प्रातः वे मंदिर पर गए थे और उसके पश्चात् वे वापस लौटे जब अभियुक्त ने लैंड लाइन पर बात की तब उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह स्नान करने गई हुई थी । उसके पश्चात् अभियुक्त उसके मकान पर आया और उससे स्वामिभक्ति के बारे में पूछा कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया और

उसने उस पर हमला कर दिया ।

(ख) अभिलेख पर प्रकट सामग्री से यह उपदर्शित होता है कि मृतका और अभियुक्त एक साथ रह रहे थे और उनके बीच संबंध रहे थे । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वे अजनबी थे । मृतका के सतीत्व पर प्रश्न किया गया था । अभियुक्त इसलिए गुस्से में था यद्यपि उसे फोन किया था परन्तु मृतका ने टेलीफोन नहीं उठाया । इसका आधार यह था कि अभियोजन पक्ष मृतका के विरुद्ध अपराध कारित किए जाने के लिए हेतु को सिद्ध करने में समर्थ था । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं । इसलिए, हेतु का प्रश्न अमहत्वपूर्ण हो गया ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दूसरी दलील यह है कि यह उपदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि अभियुक्त ने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़का । मृतका को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसने यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगाई थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह उपदर्शित हुआ है कि जब वह मृतका के मकान पर गई तब अभियुक्त मिट्टी का तेल का कैन और माचिस का डिब्बा क्रमशः तात्विक वस्तु 1 और 4 लिए हुए खड़ा था । इसलिए इस साक्ष्य से यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि मकान में मृतका और अभियुक्त को छोड़ कर कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था । अभियुक्त को माचिस के डिब्बे के साथ मिट्टी का तेल का कैन पकड़े हुए देखा गया था और मृतका पर आग लगी हुई थी । इसलिए यह निश्चायक रूप से साबित है कि वह एकमात्र अभियुक्त था जिसने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगाई ।

12. (क) जहां तक मौखिक मृत्युकालिक कथन का संबंध है, यह दलील दी गई कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि डाक्टर (अभि. सा. 15) के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि मृतका को 95 प्रतिशत दाह क्षतियां पहुंची थीं । इसलिए, मृतका सम्पूर्ण रीति में यह वृत्तांत नहीं दे सकी जिसमें घटना घटी थी ।

(ख) अभि. सा. 15 के साक्ष्य से उपदर्शित होता है कि यद्यपि मृतका को 95 प्रतिशत दाह क्षतियां पहुंची थीं जबकि मृतका का सिर और पैरों का तल जला हुआ नहीं था । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह उपदर्शित होता है कि मृतका के सिर पर दाह क्षतियां

पहुंची थीं । उसके शरीर के बाकी भागों पर दाह क्षतियां पहुंची थीं । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी ।

13. (क) यह भी दलील दी गई कि एम्बुलेंस में मौजूद नर्स अर्थात् अभि. सा. 13 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके चेहरे पर आक्सीजन मास्क रखा हुआ था ।

(ख) तथापि, साक्षी द्वारा ऐसा कोई वृत्तांत नहीं दिया गया है कि मृतका किसी प्रकार भी बोलने की स्थिति में नहीं थी । उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका से इस बारे में प्रश्न पूछा गया था कि घटना कैसे घटी थी और मृतका द्वारा इस बात का प्ररूप में 'हां' और 'ना' के रूप में उत्तर दिया गया था । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मौखिक मृत्युकालिक कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि सिर जला हुआ नहीं था । यह उपदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि वह बोलने की स्थिति में नहीं थी, बल्कि यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि जब भी उससे प्रश्न पूछा जा रहा था, वह उत्तर दे रही थी ।

14. (क) यह भी अभिकथन किया गया है कि पुलिस ने घटना की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दोहराया था । कि मृतका को अस्पताल ले जाने के पूर्व पुलिस मौजूद थी । अतः यह दलील दी गई कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन को दबाया गया था और अभियोजन द्वारा मामले में छेड़छाड़ की गई थी । जब पुलिस मृतका के समक्ष मौजूद थी तो वे उसे अस्पताल ले जा सकते उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया ।

(ख) अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा से यह सार प्रकट होता है कि जब मृतका को अस्पताल लाया गया था तब वहां पर कोई भी डाक्टर नहीं था इसके अतिरिक्त, वह उस समय जिन्दा भी थी । उसकी लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न अर्थात् तारीख 30 नवंबर, 2010 की रात्रि को अर्थात् तारीख 1 दिसंबर, 2010 को क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । केवल प्रातः जब अभि. सा. 1 अस्पताल पर पहुंचा तब उसे यह पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है । इसके पश्चात्, शिकायत दर्ज की गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । नर्स (अभि. सा. 18) के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि जब मृतका को अगले दिन अस्पताल

लाया गया था तब वहां पर उसका कोई नातेदार नहीं था ।

(ग) साक्ष्य में विचार करते हुए हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया था और न किसी तरह की हेरफेर की गई थी । यद्यपि, पुलिस के बारे में यह कहा गया था कि वे मृतका के समक्ष मौजूद थे जब मृतका को अस्पताल ले जाया जा सका और जब मृतका को अस्पताल में भर्ती किया गया था तब उसके उपचार देने के समय पर पुलिस मौजूद थी और अस्पताल में मृतका को उपचार देने के लिए कोई डाक्टर नहीं था । फिर भी वह जीवित थी और मृतका की मृत्यु रात्रि में हुई थी । इसके पश्चात् शिकायत दर्ज की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि चूंकि शव के बारे में किसी ने दावा नहीं किया था, इसलिए इसे शव गृह में रखा गया था । इसलिए, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को किसी प्रकार दबाया गया । साक्षियों ने संगत रूप से यह कथन किया है कि न केवल डाक्टर अनुपस्थित थे बल्कि मृतका का कोई नातेदार भी उपस्थित नहीं था ।

15. (क) अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **एच. सी. कारीगौड़ा** उर्फ **श्री निवासन और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय का अवलंब लिया जो मामला होलेनारासिपुरा टावन पुलिस का है, वाले मामले के पैरा सं. 18 और 19 का निर्देश देते हुए यह दलील दी गई कि यदि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् शिकायत रजिस्ट्रीकृत की गई और दर्ज शिकायत विचार विमर्श और चर्चा करने के पश्चात् दर्ज की गई है तो ऐसी शिकायत को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता, इसे केवल अन्वेषण के दौरान कथन के रूप में माना जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रतिकूल है । इसमें वर्णित तथ्यों में यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस घटना के स्थान पर प्रदर्श पी-2 जिसे अस्पताल में तैयार किया गया था, के अस्तित्व में आने से पूर्व घटनास्थल पर पहुंची थी । इसलिए, प्रदर्श पी-2 के अस्तित्व में आने से पूर्व मामले में तेजी आई थी । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, दो मृतकों के भाई और नातेदारों के अलावा कोई नहीं थे । इसलिए खंड न्यायपीठ ने मामले में यह निष्कर्ष निकाला कि विलंब जो अभियोजन

---

[1] आई. एल. आर. 2013 कर्नाटक राज्य 292.

पक्ष द्वारा किया गया, उससे प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों को अधिरोपित करने में उनको मदद मिली है जो मृतक के भाई और नातेदार के अलावा कोई दूसरे नहीं थे । पूर्वोक्त निर्णय में जिसका अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा अवलंब लिया गया अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास करने का कारण था । अविश्वास करने का यह कारण था कि अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के भाईयों और नातेदारों को साक्षी के रूप में अधिरोपित किया गया था । इसलिए उनके साक्ष्य पर अविश्वास किया गया था । तथापि, यहां पर ऐसा मामला प्रकट नहीं होता है ।

(ख) **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **पुनाती रामालु और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया गया । निर्णय के पैरा 5 के निर्देश में यह कहा गया है कि तथ्य के समरूप प्रश्नों पर अभि. सा. 1, 2 और 3 मृतक के नातेदार थे । इसलिए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में हुए विलंब को संदेह की दृष्टि से देखा गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने मृतक के नातेदारों को मामले में गढ़ा जो हितबद्ध साक्षी थे ।

(ग) वर्तमान मामले के तथ्य भिन्न हैं । यह भी उपधारणा की गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में या शिकायत को दर्ज करने में विलंब हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला बनाया था । साक्षी जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया, मृतका के नातेदार नहीं हैं । किसी भी साक्षी की मृतका या अभियुक्त के साथ नातेदारी नहीं थी । माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय में विलंब के बारे में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घातक होना अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सम्मिलित किया गया वे मृतक के नातेदार थे । इस परिस्थिति के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह उपधारणा की कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों को तैयार करने जानबूझकर विलंब किया गया है । स्वीकृततः यह ऐसा मामला नहीं है । अभियुक्त और मृतका के बीच नातेदार साक्षियों का अभाव और इसमें विलंब होने से अभियोजन का पक्षकथन संदेहपूर्ण नहीं हो जाता ।

16. (क) आगे यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्षकथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दाह वार्ड के दुर्घटना रजिस्टर

---

[1] 1994 सप्ली. (1) (क्रिमिनल) 590 = ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2644.

तथा केस शीट को पेश करने में विफल हुए हैं ।

(ख) अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि जब मृतका को अस्पताल में लाया गया था तब वह जीवित थी । इसके पश्चात् तारीख 1 दिसंबर, 2010 को लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न उसकी मृत्यु हुई । अस्पताल में किसी भी व्यक्ति ने उसे भर्ती नहीं किया था । इसलिए, नर्स (अभि. सा. 13) का साक्ष्य कि उसने उसे अस्पताल में भर्ती किया । उसकी मृत्यु के पश्चात् किसी भी व्यक्ति ने उसके शव को लेने का दावा नहीं किया । अतः शव को शव गृह में रखा गया था । इसलिए, दाह वार्ड से दुर्घटना रजिस्टर या केस शीट को पेश करना अप्रमाणिक हो गया । यद्यपि उन्हें पेश नहीं किया गया, यह बात मृतका को पहुंची क्षतियों के बारे में अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह अभियोजन पक्षकथन को प्रभावित नहीं करती है तथा इसके साथ ही साथ अभियुक्त की मौजूदगी तथा अपराध के स्थान से उसका भाग जाना भी अभियोजन पक्षकथन को प्रभावित नहीं करता है ।

17. (क) आगे यह दलील दी गई थी कि अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 18) ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा था । इसलिए, यह दलील दी गई कि अभियुक्त को आग बुझाते समय क्षतियां पहुंची थीं और इसलिए उस बात को अभियोजन पक्ष द्वारा छुपा दिया गया था । अभियुक्त द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि मृतका ने आत्महत्या की । अतः, यह दलील दी गई कि चूंकि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गईं क्षतियों के संबंध में साक्ष्य का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए, अभियोजन पक्षकथन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(ख) हमारा यह मत है कि ऐसी दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है । अन्वेषक अधिकारी द्वारा किया गया कथन यह है कि अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । जहां तक इस दलील का संबंध है, यह अभि. सा. 1, 2 और 4 साक्षियों के साक्ष्य के प्रतिकूल है जिन्होंने अपराध के स्थान पर अभियुक्त को देखा था । उन्होंने उसे मिट्टी का तेल का कैन और दियासलाई का डिब्बा लिए हुए देखा था कि वह अभियुक्त था जिसने उन्हें यह बताया कि वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जाएगा । इसके पश्चात्, वह घटनास्थल से गायब हो गया । जहां तक

अभियुक्त द्वारा दिए गए सुझाव कि मृतका ने आत्महत्या की, का संबंध है, किसी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा मृतका के शरीर पर लगी हुई आग के बुझाने के बारे में किए गए प्रयासों के बारे में नहीं बताया । वास्तव में अभियुक्त का आचरण स्वयं में संदेहपूर्ण है क्योंकि जब मृतका जल रही थी तब उसने आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि घटनास्थल से वह भाग गया और उसने यह बहाना किया कि वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जा रहा है ।

(ग) इस साक्षी ने यह भी कथन नहीं किया और न उसके प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि क्या उनकी जानकारी में अभियुक्त को पहुंची क्षति आई । उन्होंने अभियुक्त को पहुंची किसी भी क्षति के बारे में नहीं बताया । इसलिए, यह बात भी संदेहपूर्ण रह जाती है कि क्या अभियुक्त को घटना के दौरान वास्तव में क्षतियां पहुंची थीं या किसी अन्य घटना में । इन परिस्थितियों के अधीन हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का और अभिलेख की सामग्री का सही रूप से मूल्यांकन किया है ।

18. इस प्रक्रम पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि यद्यपि अभियोजन पक्षकथन स्वीकार किया जाता है तो भी उस पर दंड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होती है और अधिक से अधिक मामले में दंड संहिता की धारा 304(1) लागू होती है । तथापि, दलील तथा अभिलेख की सामग्री पर विचार करते हुए हम उस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । अपीलार्थी का यह अभिवाक् कि ऐसा अचानक क्रोध के कारण हुआ था और घटना अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के प्रतिकूल घटित हुई थी । अभि. 1, 2 और 4 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतका पर साशय मिट्टी का तेल छिड़का था और उसे आग लगाई थी । जहां तक पूरे प्रक्रम पर अभियुक्त का मृतका को बचाने की कोशिश का संबंध है न बचाने के बारे में उसे कोई पश्चाताप नहीं है । इसके प्रतिकूल वह अपराध के स्थान से भाग गया । अपीलार्थी की यह दलील कि उसने अत्यधिक सहानुभूति से मामले में विचार किया, यह उपदर्शित करने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य था कि अभियुक्त द्वारा मृतका को बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया था । उस प्रक्रम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । साक्षियों ने अपराध के स्थान से उसे भागते हुए देखा था । अतः

अपीलार्थियों की दलील को स्वीकार करना कठिन होगा कि दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन कम अपराध उस पर लागू होता है ।

19. हम विचारण न्यायालय द्वारा समनुदेशित कारणों में कोई प्रतिकूलता नहीं पाते हैं । परिणामस्वरूप, तारीख 5 जनवरी, 2012 का निर्णय जिसे 2011 के सेशन मामला सं. 81 में अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय-III मैसूर द्वारा पारित किया गया जिसमें अभियुक्त को दोषसिद्ध करके आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया, की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी शेष अवधि का दंड भी भोगेगा । वह इस मामले में पहले भोगे गए निरोध की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा पाने का हकदार होगा ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

(2018) 2 दा. नि. प. 398 **गुवाहाटी**

बिपिन घटोवर

बनाम

असम राज्य और एक अन्य

तारीख 8 मई, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति अजीत सिंह और न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार डेका

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 134] – हत्या – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – अभियुक्तों द्वारा लाठी और दाउ से हमला किए जाने का अभिकथन – किसी भी साक्षी द्वारा यह साक्ष्य नहीं दिया गया है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक की पत्नी मृतक के साथ घटनास्थल पर थी और उसने मृतक पर हमला होते हुए देखा था, साथ ही इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पति मृतक पर किस रीति में हमला किया गया था, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार भरत (आहत) श्याम (अभि. सा. 1)

और रूपेश (अभि. सा. 6) का पिता था । तारीख 29 अगस्त, 2010 की रात्रि में श्याम और रूपेश दोनों ने काशीनाथ के साथ पूजा के कार्यक्रम में भाग लिया जिसका आयोजन बिक्रम सिंह के घर पर किया गया था । तथापि, अर्धरात्रि में वापस आते समय काशीनाथ की श्याम और रूपेश के साथ कहासुनी हो गई । जैसे ही काशीनाथ अपने घर पहुंचा, उसने श्याम और रूपेश से बाहर प्रतीक्षा करने को कहा । इसके पश्चात् काशीनाथ अन्दर गया और धारदार हथियार लेकर आया । उसके साथ उसका छोटा भाई (अपीलार्थी) भी लाठी से लैस होकर आया । इसके तत्काल पश्चात् काशीनाथ और अपीलार्थी ने श्याम और रूपेश पर हमला करने का प्रयास किया किन्तु वे भाग गए । काशीनाथ और अपीलार्थी भी उनके पीछे दौड़े किन्तु उन्हें पकड़ न सके । शोरगुल सुनकर भरत काशीनाथ के घर गया और उससे चीख-पुकार न करने को कहा । किन्तु काशीनाथ और अपीलार्थी ने इसके बदले में भरत पर अपने-अपने हथियारों से वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह घटना काशीनाथ के घर के सामने घटित हुई । इस घटना का इजहार (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) पुलिस थाना डिगबोई में श्याम द्वारा दर्ज कराया गया । पुलिस थाने के प्रभारी चेनीराम पगाग (अभि. सा. 11) तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े । उन्होंने गणेश चेत्री (अभि. सा. 7) और आतिश तंती (अभि. सा. 5) की मौजूदगी में शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । इस साक्षी ने अपीलार्थी को सनातन गोवाला नाम के व्यक्ति के घर से गिरफ्तार किया जहां पर अपीलार्थी छिपा हुआ था । इसके पश्चात् इस साक्षी ने एक लाठी अपीलार्थी के कथनानुसार अभिगृहीत की । इस संबंध में तैयार किया गया अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श 2) है । मनोज कुमार सिंह (अभि. सा. 8) और बगाधर महानन्द (अभि. सा. 9) लाठी अभिगृहीत किए जाने के साक्षी हैं । इसके पश्चात्, काशीनाथ ने भी पुलिस थाने में अभ्यर्पण किया जिसके पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी बिपिन घटोवर को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । एक अन्य अभियुक्त काशीनाथ घटोवर जो अपीलार्थी का भाई है, की मृत्यु विचारण के दौरान ही हो गई है, इसलिए इस अभियुक्त के संबंध में अभियोजन मामला उपशमित कर दिया गया है । दोषसिद्धि के इस आदेश

से व्यथित होकर अभियुक्त बिपिन घटोवर ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि रायमोनी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है । यह साक्षी मृतक भरत की विधवा है । रायमोनी के अनुसार, घटना की रात्रि में वह अपने पति भरत के साथ चीख-पुकार की आवाज सुनकर काशीनाथ के घर गई थी । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब भरत ने चीख-पुकार करने से मना किया, तब अपीलार्थी ने मृतक पर लाठी से और काशीनाथ ने दाउ से हमला किया । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हमला होते देखकर वह चिल्लाई और घटनास्थल पर मूर्छित हो गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि हमला किए जाने के समय पर भरत और उसके अतिरिक्त घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और चूंकि वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे पवई अस्पताल लाया गया और यह भी कथन किया है कि उसे अगले दिन प्रातःकाल भरत की मृत्यु के बारे में पता चला था । किन्तु घटनास्थल पर रायमोनी की मौजूदगी और उसका घटना को देखना, हमारी सुविचारित राय में संदिग्ध है । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब उसका अपना पुत्र श्याम जो कि इत्तिलाकर्ता है और सम्पूर्ण घटना से अवगत है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस रात्रि में जब वह रूपेश के घर से आ रहा था काशीनाथ के साथ कहासुनी हो गई थी और काशीनाथ शराब के नशे में था और अपने घर पहुंचकर काशीनाथ ने अपने भाई अर्थात् अपीलार्थी के साथ मिलकर उन पर दाउ से हमला करने का प्रयास किया । जिसमें उसके भाई अर्थात् अपीलार्थी ने भी साथ दिया । श्याम वहां से भाग गया और इसके पश्चात् अपीलार्थी और काशीनाथ ने उसके पिता भरत की हत्या कर दी जो उनके घर में था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई और उसने यह कहा है कि उसके परिवार के सदस्य ही इस संबंध में बता सकते हैं । इस साक्षी ने मुश्किल से ही इस संबंध में कोई बात कही है कि उसकी माता रायमोनी उसके पिता के साथ अपीलार्थी के घर गई थी । यदि रायमोनी भरत के साथ गई होती और वह बेहोश हुई होती, तब श्याम अवश्य ही न केवल अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इसका उल्लेख करता अपितु अन्वेषण के दौरान पुलिस को भी बताता और साथ ही न्यायालय को भी । अतः, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने,

जो कि भरत के निकट नातेदार हैं, यह कथन नहीं किया है कि रायमोनी भरत के साथ गई थी और उसने अपीलार्थी को भरत पर हमला करते हुए देखा था । रायमोनी भरत की विधवा है और इसलिए यह हितबद्ध साक्षी है । इस प्रकार, उसके परिसाक्ष्य को ऐसी स्थिति में कड़ी सावधानी के पश्चात् ही महत्व दिया जाना चाहिए जब मात्र उसके (रायमोनी) परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना हो । रायमोनी के परिसाक्ष्य पर प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के रूप में विचार करने पर हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि उसने वास्तव में यह घटना देखी है । रायमोनी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि अन्य किसी साक्षी से नहीं होती है और इस प्रकार उसके परिसाक्ष्य पर पूर्णतया अवलंब लेना उचित नहीं होगा । इस साक्षी द्वारा पुलिस को दिया गया कथन भी महत्वहीन है जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि काशीनाथ और अपीलार्थी दोनों ने लाठी और दाउ से हमला किया था जिसमें रायमोनी ने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह नहीं स्पष्ट किया था कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से हमला किया था किन्तु न्यायालय में दिए गए कथन में उसने पर्याप्त रूप से अतिरिक्त वर्णन करते हुए सुधार किए हैं । अतः, हमें इस साक्षी के साक्ष्य की सत्यता पर युक्तियुक्त संदेह है । अन्त में मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी काशीनाथ के घर में शव के मौजूद होने के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दे सका, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि वह एक अलग क्वाटर में रहता था जो घटनास्थल अर्थात् काशीनाथ के घर से थोड़ी दूरी पर ही है । इस प्रकार, अपीलार्थी से यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि वह यह स्पष्ट करे कि उसके बड़े भाई काशीनाथ के घर में भरत का शव कैसे पड़ा हुआ था । पुलिस द्वारा अपीलार्थी का कोई भी रक्तरंजित वस्त्र बरामद नहीं किया गया है और न ही लाठी को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया है ताकि अपीलार्थी को इस अपराध से संबद्ध किया जाता, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपराध में प्रयोग किया गया आयुध अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था और उसका प्रयोग अपराध कारित करने में किया गया था । अतः, हमारी सुविचारित राय में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए । (पैरा 7, 12 और 14)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 3.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस. के. अग्रवाल (न्यायमित्र)
प्रत्यर्थियों की ओर से	सुश्री स्वपना हजारिका (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने दिया ।

मु. न्या. सिंह – अपीलार्थी बिपिन घटोवर को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । एक अन्य अभियुक्त काशीनाथ घटोवर जो अपीलार्थी का भाई है, की मृत्यु विचारण के दौरान ही हो गई है, इसलिए इस अभियुक्त के संबंध में अभियोजन मामला उपशमित कर दिया गया है ।

2. इस घटना में आहत हुआ व्यक्ति भरत तांती था जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी । वह और अपीलार्थी जिला तिनसुकिया के पवाई टी एस्टेट में एक दूसरे के पड़ोसी थे ।

3. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार भरत (आहत), श्याम (अभि. सा. 1) और रूपेश (अभि. सा. 6) का पिता था । तारीख 29 अगस्त, 2010 की रात्रि में श्याम और रूपेश दोनों ने काशीनाथ के साथ पूजा के कार्यक्रम में भाग लिया जिसका आयोजन बिक्रम सिंह के घर पर किया गया था । तथापि, अर्धरात्रि में वापस आते समय काशीनाथ की श्याम और रूपेश के साथ कहासुनी हो गई । जैसे ही काशीनाथ अपने घर पहुंचा, उसने श्याम और रूपेश से बाहर प्रतीक्षा करने को कहा । इसके पश्चात् काशीनाथ अन्दर गया और धारदार हथियार लेकर आया । उसके साथ उसका छोटा भाई (अपीलार्थी) भी लाठी से लैस होकर आया । इसके तत्काल पश्चात् काशीनाथ और अपीलार्थी ने श्याम और रूपेश पर हमला करने का प्रयास किया किन्तु वे भाग गए । काशीनाथ और अपीलार्थी भी उनके पीछे दौड़े किन्तु उन्हें पकड़ न सके । शोरगुल सुनकर भरत काशीनाथ के घर गया और उससे चीख-पुकार न करने को कहा । किन्तु काशीनाथ और अपीलार्थी ने इसके बदले में भरत पर अपने-अपने हथियारों से वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह घटना

काशीनाथ के घर के सामने घटित हुई । इस घटना का इजहार (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) पुलिस थाना डिगबोई में श्याम द्वारा दर्ज कराया गया । पुलिस थाने के प्रभारी चेनीराम पगाग (अभि. सा. 11) तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े । उन्होंने गणेश चेत्री (अभि. सा. 7) और आतिश तंती (अभि. सा. 5) की मौजूदगी में शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । इस साक्षी ने अपीलार्थी को सनातन गोवाला नाम के व्यक्ति के घर से गिरफ्तार किया जहां पर अपीलार्थी छिपा हुआ था । इसके पश्चात् इस साक्षी ने एक लाठी अपीलार्थी के कथनानुसार अभिगृहीत की । इस संबंध में तैयार किया गया अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श 2) है । मनोज कुमार सिंह (अभि. सा. 8) और बगाधर महानन्द (अभि. सा. 9) लाठी अभिगृहीत किए जाने के साक्षी हैं । इसके पश्चात्, काशीनाथ ने भी पुलिस थाने में अभ्यर्पण किया जिसके पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया ।

4. डा. जयन्त भट्टाचार्यजी (अभि. सा. 10) ने भरत के शव का शव-परीक्षण किया । उन्होंने शव पर निम्न क्षतियां पाईं :–

> नासिका के निचले भाग में धारदार कटाव वाली क्षति कारित हुई है जिसके साथ ठोड़ी के बाईं ओर 5 सेमी. लंबी, 2 सेमी. गहरी और 1 सेमी. चौड़ी क्षति कारित हुई है ।
>
> नासिका के ऊपरी भाग में धारदार कटाव है जो 4 सेमी. लम्बा, 0.5 सेमी. चौड़ा और 1.5 सेमी. गहरा है जो त्वचा और नासिकीय उपास्थि तक फैला हुआ है ।
>
> करोटि के दाईं ओर विदीर्ण घाव है जो 2.5 सेमी. लम्बा, 0.5 सेमी. चौड़ा और 1.5 सेमी. गहरा है ।
>
> वक्ष के दाएं निचले भाग में रेखीय खरोंच है जिसकी माप 2 सेमी. लम्बी और 0.5 सेमी. चौड़ी है ।
>
> इसके अतिरिक्त, चिकित्सक ने करोटि में अस्थिभंग मस्तिष्क के कपालीय भाग में विदीर्ण घाव, वक्षीय भित्ती के दाएं निचले पार्श्विक भाग में खरोंच है, 10वीं, 11वीं और 12वीं पसली में अस्थिभंग है, दाएं वृक्क में छिद्रमय क्षति है जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है जो उदरीय गुहा तक भरा हुआ है । चिकित्सक ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) में इस बात की पुष्टि की है कि भरत की मृत्यु धारदार और कुन्द हथियार से क्षति कारित करने के परिणामस्वरूप हुई है ।

5. विचारण के दौरान, अपीलार्थी ने अपने दोषी होने से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया है । किन्तु विचारण न्यायालय ने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रायमोनी तंती (अभि. सा. 3) के साक्ष्य का ही अवलंब लेते हुए अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । विचारण न्यायालय ने शवपरीक्षण रिपोर्ट का भी अवलंब लिया है ।

6. अपीलार्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि विचारण न्यायालय ने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रायमोनी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करके अवैधता कारित की है विशेषकर इस आधार पर कि रायमोनी मृतक भरत की विधवा होने के कारण अत्यंत हितबद्ध साक्षी है । इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम ने विचारण न्यायालय द्वारा की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि और पारित दंडादेश का पक्ष लिया है ।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि रायमोनी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है । यह साक्षी मृतक भरत की विधवा है । रायमोनी के अनुसार, घटना की रात्रि में वह अपने पति भरत के साथ चीख-पुकार की आवाज सुनकर काशीनाथ के घर गई थी । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब भरत ने चीख-पुकार करने से मना किया, तब अपीलार्थी ने मृतक पर लाठी से और काशीनाथ ने दाउ से हमला किया । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हमला होते देखकर वह चिल्लाई और घटनास्थल पर मूर्छित हो गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि हमला किए जाने के समय पर भरत और उसके अतिरिक्त घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और चूंकि वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे पवई अस्पताल लाया गया और यह भी कथन किया है कि उसे अगले दिन प्रातःकाल भरत की मृत्यु के बारे में पता चला था । किन्तु घटनास्थल पर रायमोनी की मौजूदगी और उसका घटना को देखना, हमारी सुविचारित राय में संदिग्ध है । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब उसका अपना पुत्र श्याम जो कि इत्तिलाकर्ता है और सम्पूर्ण घटना से अवगत है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस रात्रि में जब वह रूपेश के घर से आ रहा था काशीनाथ के साथ कहासुनी हो गई थी और काशीनाथ शराब के नशे में था और अपने घर पहुंचकर काशीनाथ ने अपने भाई अर्थात् अपीलार्थी के साथ मिलकर उन पर दाउ से हमला करने का प्रयास किया । जिसमें उसके भाई अर्थात् अपीलार्थी ने भी साथ दिया । श्याम वहां से भाग गया और इसके पश्चात् अपीलार्थी और काशीनाथ ने उसके पिता भरत की हत्या

कर दी जो उनके घर में था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई और उसने यह कहा है कि उसके परिवार के सदस्य ही इस संबंध में बता सकते हैं । इस साक्षी ने मुश्किल से ही इस संबंध में कोई बात कही है कि उसकी माता रायमोनी उसके पिता के साथ अपीलार्थी के घर गई थी । यदि रायमोनी भरत के साथ गई होती और वह बेहोश हुई होती, तब श्याम अवश्य ही न केवल अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इसका उल्लेख करता अपितु अन्वेषण के दौरान पुलिस को भी बताता और साथ ही न्यायालय को भी ।

8. गायत्री तंती (अभि. सा. 2) अर्थात् भरत की भतीजी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब ग्रामवासियों ने उसे अपीलार्थी के घर में घटना घटित होने के संबंध में बताया तब वह वहां गई और उसने भरत का शव देखा । उसे यह बताया गया कि अपीलार्थी और काशीनाथ ने भरत की हत्या की है । इस प्रकार, इस साक्षी का साक्ष्य भी अनुश्रुत है और विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह साक्ष्य दिया है कि जब वह काशीनाथ के घर पहुंची, उसने वहां पर काशीनाथ की पुत्री को देखा और वहां अपीलार्थी मौजूद नहीं था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी टी-एस्टेट के एक अन्य क्वाटर में अलग रहता था जो काशीनाथ के घर से पैदल चलने पर पांच मिनट की दूरी पर था और यह घटना काशीनाथ के घर में घटित हुई है । इस साक्षी का यह भी परिसाक्ष्य है कि भरत का शव काशीनाथ के घर के बरामदे में पड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि रायमोनी भरत के साथ अपीलार्थी के घर गई थी । वह भरत के निकट नातेदार होने के कारण ऐसा अवश्य ही कहती यदि रायमोनी वास्तव में भरत के साथ गई होती और उसने घटना देखी होती किन्तु वह इस संबंध में मौन रही है ।

9. इसी प्रकार, भरत की एक अन्य भतीजी रूपा गोआला (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पूजा से लौटते समय उसका भाई रूपेश काशीनाथ से मिला था जिसने उसका पीछा किया था । रूपेश जान बचाकर इस साक्षी के घर में घुस गया और तब उसने देखा कि काशीनाथ के पास दाउ है और अपीलार्थी के पास लाठी । इसके पश्चात् इस साक्षी को यह पता चला कि भरत की हत्या कर दी गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि

भरत की हत्या किसने की । अतः, इस साक्षी के परिसाक्ष्य से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है । यह साक्षी मृतक भरत की निकट नातेदार है और इस संबंध में वह मौन रही है कि रायमोनी भरत के साथ थी या नहीं और वास्तव में उसने यह घटना देखी थी या नहीं ।

10. भरत के एक अन्य भतीजे अर्थात् आतिश तंती (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे रायमोनी से पता चला था कि अपीलार्थी और काशीनाथ ने भरत की हत्या की है और उसने इस घटना को नहीं देखा है कि किसने भरत पर हमला किया । इस प्रकार, इस साक्षी का साक्ष्य भी अनुश्रुत है और आश्चर्य की बात यह है कि इस साक्षी ने भी यह साक्ष्य नहीं दिया है कि रायमोनी भरत के साथ थी और यह कि उसने घटना देखी थी ।

11. इसी प्रकार, रूपेश ने भी यह कथन नहीं किया है कि रायमोनी ने यह घटना देखी है । रूपेश का यह परिसाक्ष्य है कि जब काशीनाथ उसका पीछा हाथ में दाउ लिए हुए कर रहा था, तब वह भागा और अपनी बहिन रूपा के घर में घुस गया जिसके पश्चात् वह अचेत हो गया । उसे यह पता नहीं है कि उसे अस्पताल लेकर कौन गया और जब उसे होश आया तब जाकर उसे पता चला कि उसके मामा भरत की हत्या कर दी गई है और उसे यह बात रायमोनी द्वारा बताई गई थी ।

12. अतः, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने, जो कि भरत के निकट नातेदार हैं, यह कथन नहीं किया है कि रायमोनी भरत के साथ गई थी और उसने अपीलार्थी को भरत पर हमला करते हुए देखा था । रायमोनी भरत की विधवा है और इसलिए यह हितबद्ध साक्षी है । इस प्रकार, उसके परिसाक्ष्य को ऐसी स्थिति में कड़ी सावधानी के पश्चात् ही महत्व दिया जाना चाहिए जब मात्र उसके (रायमोनी) परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना हो । रायमोनी के परिसाक्ष्य पर प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के रूप में विचार करने पर हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि उसने वास्तव में यह घटना देखी है । रायमोनी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि अन्य किसी साक्षी से नहीं होती है और इस प्रकार उसके परिसाक्ष्य पर पूर्णतया अवलंब लेना उचित नहीं होगा । इस साक्षी द्वारा पुलिस को दिया गया कथन भी महत्वहीन है जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि काशीनाथ और अपीलार्थी दोनों ने लाठी और दाउ से हमला किया था जिसमें रायमोनी ने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह नहीं स्पष्ट किया था कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से हमला किया था किन्तु

न्यायालय में दिए गए कथन में उसने पर्याप्त रूप से अतिरिक्त वर्णन करते हुए सुधार किए हैं । अतः, हमें इस साक्षी के साक्ष्य की सत्यता पर युक्तियुक्त संदेह है ।

13. जहां तक अपीलार्थी के कहने पर उसके घर से लाठी बरामद किए जाने का संबंध है, हमारा यह निष्कर्ष है कि यह बरामदगी भी संदिग्ध है । बरामदगी से संबंधित दोनों साक्षी अर्थात् मनोज कुमार सिंह और बगाधर महानन्द ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए थे । मनोज कुमार सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने अपने वाहन में से लाठी निकालकर दिखाई थी और जब वह अपनी दुकान में मौजूद था, वहीं पर उससे हस्ताक्षर कराए गए और बगाधर महानन्द ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कोरे कागज पर घटना के दो दिन पश्चात् कराए थे और उसे यह मालूम नहीं है कि पुलिस ने लाठी कहां से बरामद की थी । इसके अतिरिक्त, लाठी को विचारण के दौरान प्रदर्शित और साबित नहीं किया गया है । इस प्रकार, अपीलार्थी के कहने पर लाठी का बरामद किया जाना साथ ही अपीलार्थी द्वारा उस लाठी का प्रयोग किया जाना युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होता है ।

14. अन्त में मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी काशीनाथ के घर में शव के मौजूद होने के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दे सका, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि वह एक अलग क्वाटर में रहता था जो घटनास्थल अर्थात् काशीनाथ के घर से थोड़ी दूरी पर ही है । इस प्रकार, अपीलार्थी से यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि वह यह स्पष्ट करे कि उसके बड़े भाई काशीनाथ के घर में भरत का शव कैसे पड़ा हुआ था । पुलिस द्वारा अपीलार्थी का कोई भी रक्तरंजित वस्त्र बरामद नहीं किया गया है और न ही लाठी को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया है ताकि अपीलार्थी को इस अपराध से संबद्ध किया जाता, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपराध में प्रयोग किया गया आयुध अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था और उसका प्रयोग अपराध कारित करने में किया गया था । अतः, हमारी सुविचारित राय में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए ।

15. इन कारणों के आधार पर, हम विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं और आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी आरोपित अपराध का दोषी नहीं है । अतः उसे दोषमुक्त किया जाता है और उसे तत्काल छोड़े जाने का निदेश दिया जाता है ।

16. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

(2018) 2 दा. नि. प. 408 **छत्तीसगढ़**

मुकेश झाडूराम यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 27 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(1) [सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)] – बलात्संग – अनुसूचित जाति की महिला के साथ अत्याचार और शोषण का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से किए गए बलात्संग के परिणामस्वरूप अभियोक्त्री का गर्भवती होना – अभियोक्त्री का संभोग के लिए सहमत पाया जाना – अभियोक्त्री की आयु का 16 वर्ष से कम न होना – अभियोक्त्री, अपीलार्थी द्वारा ही गर्भवती हुई है, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है और यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी अभियोक्त्री के गर्भ के लिए जिम्मेदार है तब भी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियोक्त्री संभोग के लिए सहमत थी और उसकी आयु उस समय 16 वर्ष से कम नहीं थी, अतः दंड संहिता की धारा 376(1) और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के अधीन अपराध के लिए की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुचित है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – साक्ष्य

का मूल्यांकन – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विलंब – अनुचित धन पाने के लिए पुलिस द्वारा विवश किए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिकथित घटना के एक वर्ष पश्चात् और बच्चे के जन्म के दो मास पश्चात् दर्ज कराई गई है वह भी पुलिस द्वारा इस उद्देश्य से विवश किए जाने पर कि किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने पर सरकार से पैसा मिलता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 15 फरवरी, 1998 को अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) द्वारा, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) इस अभिकथन के साथ दर्ज कराई गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी की माता अभियोक्त्री की माता को उपचार के लिए नागपुर लेकर गई थी । अपीलार्थी की बहिन अपने बच्चों के साथ अपीलार्थी के मकान में रहती थी । वह अभियोक्त्री को रात में सोने के लिए अपीलार्थी के घर बुला लिया करती थी । एक दिन रात में जब अभियोक्त्री अपीलार्थी के मकान में सो रही थी वह अभियोक्त्री के पास आया और उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया और अभियोक्त्री को घसीटकर एक अन्य कमरे में ले गया और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया । भय के कारण अभियोक्त्री ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया । कुछ दिनों के बाद, अपीलार्थी ने पुनः अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को बहकाते हुए कहा कि वह उसके साथ विवाह करेगा और उसने उसके साथ 2-3 बार मैथुन किया । इस कारण अभियोक्त्री गर्भवती हो गई । जब अभियोक्त्री लगभग 7 मास का गर्भ था तब उसने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया । अभियोक्त्री के घरवालों ने अपीलार्थी के घरवालों से अभियोक्त्री के साथ विवाह करने को कहा । इस पर अपीलार्थी के घरवालों ने यह उत्तर दिया कि बच्चे के जन्म के पश्चात् वे अभियोक्त्री को अपने घर ले जाएंगे । तारीख 12 अक्तूबर, 1998 को अभियोक्त्री ने राजनन्दगांव में स्थित अपीलार्थी के मामा के घर में एक बच्चे को जन्म दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया । इस पर अभियोक्त्री ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) दर्ज कराई । अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में कोटवारी बुक (प्रदर्श पी. 6) कोटवार नाथूराम (अभि. सा. 9) से लेकर अभिगृहीत की और इस संबंध में

अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 7) तैयार किया गया । अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा (प्रदर्श पी. 5) डा. ज्योति सदानी द्वारा कराई गई जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है और न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी । अन्वेषण पूरा होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 और अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 506ख, धारा 376(1) (दो बार किए गए अपराध के लिए), धारा 417 और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) और 3(2)(v) के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराध में आलिप्त करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा कराई है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन भी अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत की गई सभी परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक् किया और मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया । उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । इसीलिए, यह अपील फाइल की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपरोक्त चर्चा से संदेह के परे यह साबित नहीं होता है कि अभियोक्त्री अपीलार्थी द्वारा गर्भवती हुई है । यदि तर्क देने के लिए यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी अभियोक्त्री के गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार है, तब भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियोक्त्री इस संबंध के लिए सहमत थी । यह साबित नहीं हुआ है कि अभिकथित अपराध के दौरान अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी । इन परिस्थितियों में, दंड संहिता की धारा 376(1) और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होता है । (पैरा 14)

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) अभिकथित घटना के एक वर्ष पश्चात् और बच्चे के जन्म के दो मास पश्चात् दर्ज कराई गई है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ग्राम में दो बार पंचायत के बैठने का पता चलता है किन्तु दोनों ही बैठकों में अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया है । यद्यपि, अभियोक्त्री के बच्चे का जन्म धनेश (अभि. सा. 7) अर्थात् अपीलार्थी के मामा के घर पर हुआ है फिर भी धनेश (अभि. सा. 7) के कथनानुसार अभियोक्त्री को प्रसव के

लिए अपीलार्थी के बड़े भाई द्वारा उसके घर पर लाया गया था । धनेश (अभि. सा. 7) द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को प्रसव के लिए उसके घर लेकर गया था न ही धनेश ने यह बताया है कि अपीलार्थी का अभियोक्त्री के साथ कोई संबंध था । अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) और उसकी माता चन्द्रवती (अभि. सा. 1) के स्वीकार किए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) इस कारण दर्ज कराई गई है कि उन्हें पुलिस द्वारा विवश किया जाता और बताया गया था कि यदि किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तब सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है । (पैरा 13)

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 238.

2002 के विशेष मामला सं. 144 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2002 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आदिल मिन्हाज

प्रत्यर्थी की ओर से श्री यू. के. एस. चंदेल (पैनल अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल – यह अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम, 1989" कहा गया है) के अधीन विशेष न्यायाधीश, राजनन्दगांव द्वारा, विशेष मामला सं. 144/2000 में तारीख 20 फरवरी, 2002 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को निम्न रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था :–

दोषसिद्धि	दंडादेश
दंड संहिता की धारा 376 (1) के अधीन (दो अपराध)	प्रत्येक अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास
अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(xii) के अधीन	5 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 15 फरवरी, 1998 को अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) द्वारा, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) इस अभिकथन के साथ दर्ज कराई गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी की माता अभियोक्त्री की माता को उपचार के लिए नागपुर लेकर गई थी । अपीलार्थी की बहिन अपने बच्चों के साथ अपीलार्थी के मकान में रहती थी । वह अभियोक्त्री को रात में सोने के लिए अपीलार्थी के घर बुला लिया करती थी । एक दिन रात में जब अभियोक्त्री अपीलार्थी के मकान में सो रही थी वह अभियोक्त्री के पास आया और उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया और अभियोक्त्री को घसीटकर एक अन्य कमरे में ले गया और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया । भय के कारण अभियोक्त्री ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया । कुछ दिनों के बाद, अपीलार्थी ने पुनः अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को बहकाते हुए कहा कि वह उसके साथ विवाह करेगा और उसने उसके साथ 2-3 बार मैथुन किया । इस कारण अभियोक्त्री गर्भवती हो गई । जब अभियोक्त्री को लगभग 7 मास का गर्भ था तब उसने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया । अभियोक्त्री के घरवालों ने अपीलार्थी के घरवालों से अभियोक्त्री के साथ विवाह करने को कहा । इस पर अपीलार्थी के घरवालों ने यह उत्तर दिया कि बच्चे के जन्म के पश्चात् वे अभियोक्त्री को अपने घर ले जाएंगे । तारीख 12 अक्तूबर, 1998 को अभियोक्त्री ने राजनन्दगांव में स्थित अपीलार्थी के मामा के घर में एक बच्चे को जन्म दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया । इस पर अभियोक्त्री ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) दर्ज कराई । अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में कोटवारी बुक (प्रदर्श पी. 6) कोटवार नाथूराम (अभि. सा. 9) से लेकर अभिगृहीत की और इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 7) तैयार किया गया । अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा (प्रदर्श पी. 5) डा. ज्योति सदानी द्वारा कराई गई जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है और न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी । अन्वेषण पूरा होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 और अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 506ख, धारा 376(1) (दो बार किए गए अपराध के लिए), धारा 417 और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) और 3(2)(v) के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए ।

3. अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराध में आलिप्त करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा कराई है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन भी अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत की गई सभी परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक् किया और मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया । उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है ।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । इसीलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

5. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । अपीलार्थी का दोष साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई भी निश्चायक साक्ष्य नहीं है । अभियोक्त्री ने अन्य किसी व्यक्ति से गर्भधारण किया है न कि अपीलार्थी से । उसने अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया है । यह भी दलील दी गई है कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) और अभियोक्त्री की माता चन्द्रवती (अभि. सा. 1) दोनों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वही बात लिखवाई जो पुलिस अधिकारियों ने उनसे लिखवाने को कहा था । इन दोनों साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि यदि किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तब उन्हें सरकार से धन प्राप्त होगा, अतः उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई । यह भी दलील दी गई है कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाए अभियोक्त्री ने अपीलार्थी से गर्भधारण किया था तब भी अभियोक्त्री ने इस संबंध में अपनी सहमति दी थी क्योंकि उसने बच्चे के जन्म के पूर्व न तो कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही कोई रिपोर्ट लिखवाई । अभिकथित घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक थी । अतः, इन परिस्थितियों में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है ।

6. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश का समर्थन किया है ।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुना है और सूक्ष्मता से अभिलेख का परिशीलन किया है ।

8. अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसकी माता, अपीलार्थी की माता का इलाज कराने के लिए उसे नागपुर साथ ले गई थी । रात में वह अपीलार्थी के मकान में सोती थी । एक रात अपीलार्थी उसके पास आया और उसे जानबूझकर डराया और अभियोक्त्री को रसोई में ले गया और उसके पश्चात् उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया । भय के कारण अभियोक्त्री ने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् भी अपीलार्थी ने उसके साथ 2-3 बार मैथुन किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई । जब अभियोक्त्री को लगभग 5-6 मास का गर्भ था, उसके माता-पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए । इसके पश्चात्, ग्राम में पंचायत बैठाई गई जिसमें अपीलार्थी से घटना के बारे में पूछताछ की गई जिस पर अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी के कारण अभियोक्त्री ने गर्भधारण किया है । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् वह अपीलार्थी के मामा के घर राजनन्दगांव चली गई जहां उसने बच्चे को जन्म दिया । बच्चे के जन्म के दो मास पश्चात् वह अपने ग्राम वापस आई । ग्राम में पुनः पंचायत बैठाई गई जिसमें अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि अभियोक्त्री ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह उसका पिता है । इसके पश्चात्, अभियोक्त्री ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) दर्ज कराई । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी से उसकी पुरानी जान-पहचान थी और अपीलार्थी ने उसकी सहमति से उसके साथ संभोग किया है । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि पुलिस अधिकारियों ने अभियोक्त्री को गैर-आदिवासी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए इस कारण विवश किया था कि सरकार द्वारा उसे धन मिल जाएगा और इस प्रकार विवश किए जाने पर अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसे गर्भपात कराने के लिए सुरेश और शिवकुमार के साथ (अपीलार्थी के साथ नहीं) राजनन्दगांव भेजा था किन्तु राजनन्दगांव में उसने बच्चे को जन्म दिया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसने बच्चे के पिता का नाम चिंटू अभिलिखित कराया । अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे सरकार से वित्तीय सहायता आंशिक रूप से मिली है और उसने अपीलार्थी के विरुद्ध इसलिए कथन दिया है कि शेष रकम इस निर्णय के पश्चात् संदाय की जानी है ।

9. अभियोक्त्री की माता चन्द्रवती (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि जब उसकी पुत्री ने यह कथन किया है कि जब अभियोक्त्री को लगभग 3-4 मास का गर्भ था, तब उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया था और वहां पर अभियोक्त्री ने अपीलार्थी को उसकी गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार के रूप में नामित किया था । इसके पश्चात् उन्होंने दो बार गांव में पंचायत बैठाई । दोनों पंचायतों में अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया । अभियोक्त्री ने पैरा 14 में यह कथन किया है कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी को नामित तब किया है जब उससे बलपूर्वक मालूम किया गया है । पैरा 20 में अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने यह कहते हुए उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था कि वह अभियोक्त्री के गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार नहीं है । अभियोक्त्री ने पैरा 21 में यह कथन किया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा विवश किए जाने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) दर्ज कराई गई थी और पुलिस को कथन दिए गए थे तथा पुलिस अधिकारियों ने जो कुछ अभियोक्त्री को समझाया, उसी प्रकार अभियोक्त्री ने न्यायालय में अपना कथन दिया ।

10. अभियोक्त्री के पिता शत्रुघन (अभि. सा. 3), राजेन्द्रपाल (अभि. सा. 4) और के. डी. सिंह (अभि. सा. 5) ग्राम बोरतालाब के निवासी हैं जहां अभियोक्त्री रहती थी । इन तीनों साक्षियों ने यह कथन किया है कि पंचायत में अभियोक्त्री ने अपीलार्थी को उसके गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार ठहराया था किन्तु अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ कोई भी संबंध होने से इनकार किया था ।

11. अभियोक्त्री की परीक्षा के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी आयु 17 वर्ष अभिलिखित की गई है । अभियोक्त्री ने अपनी आयु के संबंध में कोई भी कथन नहीं दिया है । अभियोक्त्री ने पैरा 4 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे उसकी जन्मतिथि मालूम नहीं है । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी दादी ग्राम पितेपानी में रहती है, उसका जन्म पितेपानी में हुआ है और वह कभी भी ग्राम जटकनहार में नहीं रहती थी ।

12. अपीलार्थी की माता चन्द्रवती (अभि. सा. 1) और पिता शत्रुघन (अभि. सा. 3) ने अभियोक्त्री के जन्म की तारीख या वर्ष नहीं बताया है । चन्द्रवती ने पैरा 7 में यह कथन किया है कि अभियोक्त्री का जन्म ग्राम बोरतालाब में हुआ था । कोटवार नाथूराम (अभि. सा. 9) द्वारा न्यायालय में दिए गए कथन और कोटवारी रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के अनुसार

अभियोक्त्री की जन्मतिथि 2 अप्रैल, 1983 है और उसका जन्म ग्राम जटकनहार में हुआ है और ये प्रविष्टियां पुनीत नाम के किसी व्यक्ति द्वारा की गई हैं । जैसा कि ऊपर कथन किया है कि अभियोक्त्री के अनुसार उसका जन्म ग्राम पितेपानी में हुआ था किन्तु उसकी माता के कथनानुसार अभियोक्त्री का जन्म बोरतालाब में हुआ है । अभियोक्त्री की जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित सुसंगत प्रविष्टियां करने वाले पुनीत की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई है । इन परिस्थितियों में, कोटवारी प्रविष्टियां (प्रदर्श पी. 4) स्वीकार्य नहीं हैं ।

13. उपरोक्त साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) अभिकथित घटना के एक वर्ष पश्चात् और बच्चे के जन्म के दो मास पश्चात् दर्ज कराई गई है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ग्राम में दो बार पंचायत के बैठने का पता चलता है किन्तु दोनों ही बैठकों में अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया है । यद्यपि, अभियोक्त्री के बच्चे का जन्म धनेश (अभि. सा. 7) अर्थात् अपीलार्थी के मामा के घर पर हुआ है फिर भी धनेश (अभि. सा.7) के कथनानुसार अभियोक्त्री को प्रसव के लिए अपीलार्थी के बड़े भाई द्वारा उसके घर पर लाया गया था । धनेश (अभि. सा. 7) द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को प्रसव के लिए उसके घर लेकर गया था न ही धनेश ने यह बताया है कि अपीलार्थी का अभियोक्त्री के साथ कोई संबंध था । अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) और उसकी माता चन्द्रवती (अभि. सा. 1) के स्वीकार किए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) इस कारण दर्ज कराई गई है कि उन्हें पुलिस द्वारा विवश किया जाता और बताया गया था कि यदि किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तब सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है ।

14. उपरोक्त चर्चा से संदेह के परे यह साबित नहीं होता है कि अभियोक्त्री अपीलार्थी द्वारा गर्भवती हुई है । यदि तर्क देने के लिए यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी अभियोक्त्री के गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार है, तब भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियोक्त्री इस संबंध के लिए सहमत थी । यह साबित नहीं हुआ है कि अभिकथित अपराध के दौरान अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी । इन परिस्थितियों में, दंड संहिता की धारा 376(1) और अधिनियम, 1989 की

धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होता है ।

15. परिणामतः, अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

16. निचले न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए तत्काल भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

(2018) 2 दा. नि. प. 417 **त्रिपुरा**

मोहम्मद हारु मियां

बनाम

त्रिपुरा राज्य और अन्य

तारीख 6 मार्च, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस. तालपात्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306, 107 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 113क] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – अभियुक्त और उसकी उपपत्नी (जारिणी) द्वारा पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का अभिकथन – चिकित्सीय साक्ष्य से मानव वध की पुष्टि न होना – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा दुष्प्रेरण या क्रूरता कारित किए जाने का साक्ष्य न पाया जाना – मृतका के शरीर पर बाह्‌य क्षतियों के कोई भी चिह्‌न नहीं पाए गए हैं और केवल फांसी पर लटकने से मृत्यु होने का ही प्रमाण मिलता है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा दुष्प्रेरण किए जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है अतः, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध किया जाना अनुचित होगा और दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अभियोजन का आरंभ अपीलार्थी

(अभि. सा. 1) द्वारा फाइल किए गए लिखित इजहार से हुआ, जिसमें यह प्रकट किया गया था कि उसकी पुत्री शिमा अख्तर को निकाह हारु मियां, प्रत्यर्थी सं. 2 से हुआ था । लगभग 6 (छह) मास तक उनका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक चला था, किंतु उसके पश्चात् उसे पता चला कि प्रत्यर्थी सं. 2 के "ग्राम की किसी अन्य महिला के साथ" अयुक्त संबंध है । जब उसने विरोध किया तो प्रत्यर्थी सं. 2 और उस महिला (इस संदर्भ में उसकी पहचान की संरक्षा करने के लिए उसका उल्लिखित नहीं किया गया है) ने उसे मारना-पीटना आरंभ कर दिया । इस वैवाहिक संकट को दूर करने के लिए कुछ ग्राम बैठकें भी हुई थीं, किंतु प्रत्यर्थी सं. 2 और उक्त महिला ने इत्तिला देने वाले (अभि. सा. 1) की पुत्री के साथ मार-पीट बंद नहीं की । 27 मार्च, 2013 को, जैसाकि लिखित इजहार (प्रदर्श 1) में प्रकट किया गया है, इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री के साथ गंदी भाषा में गाली-गलौज किया करता था । इसके अतिरिक्त, उस महिला ने उसे मारा-पीटा भी था । इस यातना को सहन करने में असमर्थ होकर इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । उसी तारीख को रात्रि लगभग 9.00 बजे, इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री ने, जो गर्भवती थी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । अगले दिन, इत्तिला देने वाले व्यक्ति को यह सूचना प्राप्त हुई और वह तुरंत अपनी पुत्री के दांपत्य निवास पर पहुंचा और उसने वहां पूर्वी दिशा में स्थित कुटिया में उसे फांसी पर लटका हुआ पाया । यद्यपि, यह घटना 27 मार्च, 2013 को हुई थी और इत्तिला देने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना 28 मार्च, 2013 को प्रातः प्राप्त हुई थी, किंतु उक्त लिखित इजहार मनुबाजार पुलिस थाना, साबरूम, दक्षिण त्रिपुरा के प्रभारी अधिकारी के पास तारीख 29 मार्च, 2013 को दोपहर लगभग 2.05 बजे दर्ज किया गया था । उक्त लिखित इजहार (प्रदर्श 8) के आधार पर दंड संहिता की धारा 498क/306 के अधीन मनुबाजार पुलिस थाने में 2013 का मामला सं. 18 रजिस्टर किया गया था और उसका अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण के पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 5 को दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए, उनके विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करते हुए अंतिम पुलिस रिपोर्ट फाइल की थी । पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों को, विधि के अनुसार उन पर कार्यवाही किए जाने के लिए सेशन न्यायाधीश दक्षिण त्रिपुरा, उदयपुर के न्यायालय के समक्ष रखा गया था । विचारण को सहायक सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, उदयपुर के

न्यायालय को अंतरित किया गया था, जिसने दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन पृथक् रूप से आरोप विरचित किए थे, जिसके संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 5 ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया था और विचारण किए जाने का दावा किया था । आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने 18 साक्षी प्रस्तुत किए थे, जिनमें इत्तिला देने वाला व्यक्ति और शवपरीक्षण करने वाला डाक्टर (अभि. सा. 15) भी सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त, अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श 1 से 10) को भी प्रस्तुत किया था, जिसमें लिखित इजहार, शव-परीक्षा रिपोर्ट आदि सम्मिलित थे । अभियोजन के साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रत्यर्थियों की परीक्षा की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने निर्दोष होने के अभिवाक् को दोहराया था । सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, बेलोनिया के न्यायालय ने (उल्लेखनीय है कि उक्त मामले को पुनः अंतरित किया गया था) अभियोजन और प्रतिरक्षा द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और उनके तर्कों का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को दोषमुक्त कर दिया गया था और यह लेखबद्ध किया था कि अभियोजन दंड संहिता की धारा 498क/306 के अधीन विरचित आरोपों के युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल है । राज्य ने इस दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की थी । वह पीड़ित व्यक्ति (मृतका का पिता) ही था, जिसने उक्त निर्णय और दोष मुक्ति के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस प्रश्न का उत्तर कि क्या इस मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन नितांत रूप से विकृत है, जिसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति का अयुक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला गया है, साक्ष्य के अभिलेखों से प्राप्त करना होगा और उस प्रयोजन के लिए हमें अर्थपूर्ण रीति में साक्ष्य का सर्वेक्षण करना होगा । यह प्रतीत होता है कि इत्तिला देने वाले हारु मियां (अभि. सा. 1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब उसकी पुत्री ने, उस अयुक्त संबंध, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 संलिप्त था, के बारे में अपना विरोध दर्शित किया तो उसे उक्त महिला द्वारा प्रताड़ित किया गया था। यहां तक कि मामले को ग्राम शालिश (सुलकारी बैठक) में भी ले जाया गया था । किंतु उसके पश्चात् भी उसकी पुत्री के प्रति क्रूरता कम नहीं हुई थी । इस प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली थी । इससे पूर्व कि

हम ऊपर विचार किए गए अनुसार पैरामीटरों के अधीन रहते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करें, आई.ए. शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 7) का परिशीलन किया जाए । मृतका के शरीर पर बाहरी क्षतियों के कोई चिह्न नहीं हैं । किंतु शव-परीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक क्षतियों जैसे कि फांसी पर लटकने के परिणामस्वरूप कण्ठिका के अस्थिभंग को पाया गया है । शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर ने थायराइड के स्तर पर के आस-पास गले पर बंधन के चिह्न पाए थे । चिकित्सीय राय निश्चायक और स्पष्ट है । शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी लगाने के कारण दम घुंटना है । मृत्यु के इस मामले के संबंध में किसी को भी संदेह नहीं था, न तो अन्वेषण अधिकारी को और न ही इसके अपीलार्थी को । अतः, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 की ओर से दुष्प्रेरण या और इसके परिणामस्वरूप मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । साक्ष्य में दंड संहिता की धारा 107 के अर्थांतर्गत दुष्प्रेरण की किसी विनिर्दिष्ट घटना को सामने नहीं रखा गया है और न ही साबित किया गया है, किंतु अपीलार्थी ने यह साक्ष्य दिया है कि अयुक्त संबंधों के कारण मृतका कुंठित थी और जब उसने विरोध किया तो उस पर निरंतर हमला किया गया था और उसके साथ गाली-गलौज की जाती थी और इस कारण से उसने आत्महत्या की थी । साक्ष्य में उकसाए जाने की परोक्षता या अव्यवहितत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है । इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य है कि तारीख 28 मार्च, 2013 को उसी इत्तिलाकर्ता ने मनुबाजार पुलिस थाने को अपनी पुत्री की “अप्राकृतिक” मृत्यु की सूचना दी थी । साक्ष्य में यह सामने आया है कि उसने सूचना फाइल करते समय यह प्रकट नहीं किया था कि कोई अपराध किया गया है या प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 अपराधी थी । किंतु ऊपर किए गए कथनानुसार अपराध के किए जाने के दो दिन के पश्चात्, एक लिखित इजहार फाइल की गई थी, जिसमें किसी ऐसी महिला से जो आयु में प्रत्यर्थी सं. 2 से 40 वर्ष बड़ी है, अयुक्त संबंधों के बारे में कथन किया गया था और यह भी कथन किया गया था कि चूंकि उसकी पुत्री ने इस अयुक्त संबंधों का विरोध किया था, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 नियमित रूप से उसके साथ गाली-गलौज करते थे या शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करते थे । इजहार में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि इस प्रकार के गाली-गलौज और प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या की थी, किंतु इजहार में कहीं भी और न ही विचारण के दौरान अभि. सा. 1 या अभि. सा. 2 ने अपने मौखिक कथन में यह कथन नहीं किया है कि मृतका ने किसी भी समय

इस संबंध में कोई शिकायत की थी, यद्यपि ग्राम शालिश में इसके प्रति कुछ प्रतिनिर्देश हैं, किंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपराध में फंसाने के लिए पूर्व में किए गए किसी कार्य का उल्लेख किया गया हो । साक्ष्यों के अभिलेख में ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसे यह अभिनिर्धारित करने का आधार बनाया जा सके कि दंड संहिता की धारा 498क के अर्थांतर्गत क्रूरता से संबंधित कोई साक्ष्य है । जैसाकि पहले ही कथन किया जा चुका है, जब तक कि ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य न हो, जो मृतका द्वारा किए गए कथन पर आधारित हो, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता । जहां तक मृतका के कथन का संबंध है, यह दर्शित करना होगा कि ऐसा कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन छूट प्राप्त है । किंतु इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है और इस प्रकार ये कथन सुनी सुनाई बातों संबंधी नियम के अनुसार धराशायी हो गए हैं । यदि क्रूरता के तत्व को स्थापित नहीं किया गया है तो चाहे यदि अप्राकृतिक मृत्यु विवाह के दिवस से 7 वर्ष के भीतर हुई हो, तो भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के अधीन दुष्प्रेरण की उपधारणा को नहीं बनाया जा सकता । (पैरा 19, 42, 43, 48, 49 और 52)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 11 एस. सी. सी. 215 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2018 : **सोहनराज शर्मा** बनाम **हरियाणा राज्य ;**	45
[2007]	(2007) 4 एस. सी. सी. 415 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.)111: **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य ;**	18
[2002]	(2002) 5 एस. सी. सी. 317 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1998 : **संजू** उर्फ **संजय सिंह सेंगर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ।**	46

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील (खंड न्यायपीठ) सं. 25.

2014 के सेशन विचारण मामला सं. 66 (एस.टी./एस.) में दक्षिण त्रिपुरा, बोलोनिया के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 17 सितंबर, 2015 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री एन. मजूमदार
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री एस. सरकार, लोक अभियोजक, एच. देवनाथ और यू. चंदा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. तालपात्रा ने दिया ।

न्या. तालपात्रा – 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 66 (एस.टी./एस.) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, निर्णय और दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के अधीन पीड़ित व्यक्ति द्वारा यह अपील फाइल की गई है । उक्त निर्णय और आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 5 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 498क और धारा 306 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया है ।

2. अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अभियोजन का आरंभ अपीलार्थी (अभि. सा. 1) द्वारा फाइल किए गए लिखित इजहार से हुआ, जिसमें यह प्रकट किया गया था कि उसकी पुत्री शिमा अख्तर को निकाह हारु मियां, प्रत्यर्थी सं. 2 से हुआ था । लगभग 6 (छह) मास तक उनका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक चला था, किंतु उसके पश्चात् उसे पता चला कि प्रत्यर्थी सं. 2 के "ग्राम की किसी अन्य महिला के साथ" अयुक्त संबंध है । जब उसने विरोध किया तो प्रत्यर्थी सं. 2 और उस महिला (इस संदर्भ में उसकी पहचान की संरक्षा करने के लिए उसका उल्लिखित नहीं किया गया है) ने उसे मारना-पीटना आरंभ कर दिया ।

3. इस वैवाहिक संकट को दूर करने के लिए कुछ ग्राम बैठकें भी हुई थीं, किंतु प्रत्यर्थी सं. 2 और उक्त महिला ने इत्तिला देने वाले (अभि. सा. 1) की पुत्री के साथ मार-पीट बंद नहीं की । 27 मार्च, 2013 को, जैसाकि लिखित इजहार (प्रदर्श 1) में प्रकट किया गया है, इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री के साथ गंदी भाषा में गाली-गलौज किया गया था । इसके अतिरिक्त, उस महिला ने उसे मारा-पीटा भी था । इस यातना को सहन करने में असमर्थ होकर इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ।

4. उसी तारीख को रात्रि लगभग 9.00 बजे, इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री ने, जो गर्भवती थी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । अगले

दिन, इत्तिला देने वाले व्यक्ति को यह सूचना प्राप्त हुई और वह तुरंत अपनी पुत्री के दांपत्य निवास पर पहुंचा और उसने वहां पूर्वी निवास कुटिया में उसे फांसी पर लटका हुआ पाया । यद्यपि, यह घटना 27 मार्च, 2013 को हुई थी और इत्तिला देने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना 28 मार्च, 2013 को प्रातः प्राप्त हुई थी, किंतु उक्त लिखित इजहार मनुबाजार पुलिस थाना, साबरूम, दक्षिण त्रिपुरा के प्रभारी अधिकारी के पास तारीख 29 मार्च, 2013 को दोपहर लगभग 2.05 बजे दर्ज किया गया था ।

5. उक्त लिखित इजहार (प्रदर्श 8) के आधार पर दंड संहिता की धारा 498क/306 के अधीन मनुबाजार पुलिस थाने में 2013 का मामला सं. 18 रजिस्टर किया गया था और उसका अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण के पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 5 को दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए, उनके विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करते हुए अंतिम पुलिस रिपोर्ट फाइल की थी । पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों को, विधि के अनुसार उन पर कार्यवाही किए जाने के लिए सेशन न्यायाधीश दक्षिण त्रिपुरा, उदयपुर के न्यायालय के समक्ष रखा गया था ।

6. विचारण को सहायक सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, उदयपुर के न्यायालय को अंतरित किया गया था, जिसने दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन पृथक् रूप से आरोप विरचित किए थे, जिसके संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 5 ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया था और विचारण किए जाने का दावा किया था ।

7. आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने 18 साक्षी प्रस्तुत किए थे, जिनमें इत्तिला देने वाला व्यक्ति और शवपरीक्षण करने वाला डाक्टर (अभि. सा. 15) भी सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त, अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श 1 से 10) को भी प्रस्तुत किया था, जिसमें लिखित इजहार, शव-परीक्षा रिपोर्ट आदि सम्मिलित थे ।

8. अभियोजन के साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रत्यर्थियों की परीक्षा की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने निर्दोष होने के अभिवाक् को दोहराया था । सेशन न्यायाधीश, दक्षिण त्रिपुरा, बेलोनिया के न्यायालय ने (उल्लेखनीय है कि उक्त मामले को पुनः अंतरित किया गया था) अभियोजन और प्रतिरक्षा द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और उनके तर्कों का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रत्यर्थी

सं. 2 से 5 को दोषमुक्त कर दिया गया था और यह लेखबद्ध किया था कि अभियोजन दंड संहिता की धारा 498क/306 के अधीन विरचित आरोपों के युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल है ।

9. राज्य ने इस दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की थी । वह पीड़ित व्यक्ति (मृतका का पिता) ही था, जिसने उक्त निर्णय और दोष मुक्ति के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की थी ।

10. श्री एन. मजूमदार, अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष चलाए जाने योग्य नहीं माने जा सकते क्योंकि तात्विक साक्षियों के परिसाक्ष्यों का समुचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के उपबंधों का मूल्यांकन करने में असफल रहा है, क्योंकि उक्त धारा के निबंधनानुसार कोई उपधारणा सुनिश्चित नहीं की गई है, यद्यपि अभियोजन द्वारा यह स्थापित किया गया है कि इत्तिला देने वाले व्यक्ति की उक्त पुत्री ने उसके निकाह की तारीख 7 (सात) वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की है । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके सह-निवासियों ने उसके प्रति क्रूरता कारित की है, इसलिए न्यायालय को साक्ष्य के अभिलेखों पर रखी गई सहवर्त्ती परिस्थिति को सूचना में लेने के पश्चात् यह उपधारणा बनानी चाहिए थी कि ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके सह-निवासियों ने किया है, क्योंकि इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री के प्रति प्रत्यर्थी सं. 2 के उक्त महिला के साथ अयुक्त संबंधों के संबंध में विरोध करने के लिए क्रूरता कारित की गई थी ।

11. श्री मजूमदार, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की कड़ी आलोचना की है । उसके अनुसार प्रथम इजहार को तारीख 28 मार्च, 2013 को दर्ज किया गया था, किंतु इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के नाम को अभियुक्त के रूप में उल्लिखित नहीं किया था । तारीख 29 मार्च, 2013 को फाइल की गई पश्चात्वर्ती प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) में इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने अभियुक्तों के नामों का उल्लेख किया था । प्रतिरक्षा के अनुसार यह अनुबोध की क्रिया थी, जिसे इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने अपनी पुत्री की दिल दहला देने वाली मृत्यु का प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके अन्य नातेदारों से बदला लेने के लिए किया था ।

12. श्री मजूमदार के विद्वान् काउंसेल ने यह और दलील दी है कि यदि साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि अभियोजन पक्ष ने अति सफलतापूर्वक अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लाए गए आरोप को स्थापित किया है । दूसरे पक्ष की ओर से, श्री एच. देवनाथ, प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने सुनिश्चित रूप से यह दलील दी है कि अभि. सा. 17 ने प्रतिरक्षा द्वारा की गई अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार कथन किया है :–

> "इसकी इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने तारीख 28 मार्च, 2013 को मुझे सीमा अख्तर की मृत्यु के बारे में लिखित सूचना दी थी और वह सूचना यू.डी. मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत है । इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने तारीख 28 मार्च, 2013 को किए गए इजहार में किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट नहीं किया था ।"

13. इसके अतिरिक्त, श्री देबनाथ, विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री मजूमदार द्वारा दी गई इस दलील को अस्वीकार करते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह उल्लेख किया है कि श्री शंकर साह (अभि. सा. 14) ने, जो इस मामले के अन्वेषण अधिकारियों में से एक है, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उस मामले को रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वर्ष 2013 का एक यू.डी. मामला सं. 6 विद्यमान था । वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ही उस यू.डी. मामले में इत्तिलाकर्ता था ।

14. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री देबनाथ ने यह और दलील दी है कि अभिलेखों को देखने पर यह सुस्पष्ट है कि मृतका का निकाह उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 2 से कराया गया था और यह उसके द्वारा आत्महत्या करने का संभावित कारण हो सकता था । इसके अतिरिक्त श्री देबनाथ, विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 या उनमें से किसी एक के द्वारा या तो सामूहिक रूप से अथवा व्यष्टिक रूप से आत्महत्या का दुष्प्रेरण किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है ।

15. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री देबनाथ ने यह और कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 के विरुद्ध "मृतका के साथ मारपीट करने" के सिवाय कोई अन्य आरोप नहीं है ।

किसी अतिथिपूर्ण मांग किए जाने का भी कोई आरोप नहीं था ।

15.1 विधि के विकास से अब इस बात को भलीभांति मान्यता प्राप्त है कि उच्च न्यायालय के पास दोषमुक्ति के विरुद्ध किसी अपील में ऐसे साक्ष्य का गहन पुनर्विलोकन करने की सारवान् शक्ति है, जिनके आधार पर दोषमुक्ति की गई है और वह इस संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि क्या दोषमुक्ति के आदेश को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए अथवा नहीं । किंतु उसी समय, जब निर्दोष होने की उपधारणा को दोषमुक्ति के आदेश द्वारा आगे और अधिक सुदृढ़ किया गया है, वहां उच्च न्यायालय को संदेह साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में विचारण न्यायालय के मतों को उचित महत्व और उन पर ध्यान देना चाहिए । यह उपधारणा निश्चायक रूप से इस तथ्य के कारण कमजोर नहीं होती है कि उसे विचारण में दोषमुक्त किया गया है और संदेह का फायदा लेने और अपीली न्यायालय द्वारा उस न्यायाधीश के, जिसके पास साक्षी को देखने का फायदा था, द्वारा लिए गए तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की धीमी गति भी इस उपधारणा को कमजोर नहीं करती है ।

15.2 जब किसी साक्ष्य के संबंध में दो मत सामने आते हैं तो उच्च न्यायालय को केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि उसे यह महसूस होता है कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए मत से भिन्न मत लेना चाहिए, अपितु उच्च न्यायालय को उस समय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना होगा यदि वह यह पाता है कि निर्णय प्रकट रूप से त्रुटिपूर्ण है और विचारण न्यायालय ने सारवान् अनियमितता के साथ कार्य किया है या उसके द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन में सामंजस्य की कमी है या उसने ऐसी उपधारणाएं बनाई हैं जो अनुचित है या उसका साक्ष्य का मूल्यांकन ऐसा है, जो अनुचित है या उसका साक्ष्य का मूलंकन ऐसा है, जो न्याय की भावना को ठेस पहुंचाता है ।

16. साधारणतया, दोषमुक्ति का आदेश निर्दोश होने की उपधारणा को सुदृढ़ करता है, किंतु इसके बावजूद भी उच्च न्यायालय, उपयुक्त परिस्थितियों में साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन कर सकेगा यदि अपील में साक्ष्य के मूल्यांकन में विकृति के आधार को उठाया जाता है । सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों निर्णयों में यह सावधानी बरतने के लिए आगाह किया है कि यदि विचारण न्यायालय का मत युक्तियुक्त और विश्वसनीय प्रतीत होता है तो उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति का आदेश मात्र इस आधार पर पलटना नहीं चाहिए कि साक्ष्य के संबंध में कोई भिन्न मत भी विश्वसनीय था ।

17. उच्च न्यायालय, अपीली न्यायालय के रूप में केवल उस समय हस्तक्षेप करता है जब "ऐसा करने के लिए अकाट्य और तात्विक कारण हों" । यदि आदेश "स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त है" तो यह हस्तक्षेप करने के लिए अकाट्य कारण है । अतः, उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से दोषमुक्ति के आदेश को इस आधार पर कि दो विश्वसनीय मत विद्यमान हैं, तब तक उलटना नहीं चाहिए जब तक कि विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत न हो ।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में नीचे कथित रीति में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का अवधारण करने के लिए साधारण सिद्धांत अधिकथित किए हैं :–

"(1) किसी अपीली न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनः मूल्यांकन करने और उस पर पुनः विचार करने की पूर्ण शक्ति है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है ;

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्तें अधिरोपित नहीं करती है और कोई अपीली न्यायालय उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि, दोनों के प्रश्नों पर अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाल सकता है ;

(3) भिन्न-भिन्न पदों, जैसे कि 'सारवान और अकाट्य कारण', 'उत्तम और पर्याप्त आधार', 'अत्यंत प्रबल परिस्थितियां', 'भ्रांत निष्कर्ष', 'सुस्पष्ट भूलें', आदि का आशय यह नहीं है कि दोषमुक्ति की किसी अपील में किसी अपीली न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करें । ऐसे पदों की प्रकृति अधिकथित रूप से इस प्रकार की है कि अपीली न्यायालय की दोषमुक्ति के संबंध में हस्तक्षेप करने की अपनी अनिच्छा पर बल देने के लिए 'समृद्ध भाषा का उपयोग करना है' न कि न्यायालय की साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति को कम करना है ।

(4) तथापि, किसी अपीली न्यायालय को दोषमुक्ति के किसी मामले में यह ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी अवधारणा है । प्रथमतः, दांडिक न्यायशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत के अधीन उसे उपलब्ध निर्दोष होने की यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111.

को उस समय तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न कर दिया जाए । द्वितीयतः, दोषमुक्ति का आदेश प्राप्त करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय द्वारा उसकी निर्दोषता की उपधारणा को पुनः बल मिलता है, उसकी पुनः पुष्टि होती है और वह सुदृढ़ होती है ।

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव है तो अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए ।"

19. इस प्रश्न का उत्तर कि क्या इस मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन नितांत रूप से विकृत है, जिसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति का अयुक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला गया है, साक्ष्य के अभिलेखों से प्राप्त करना होगा और उस प्रयोजन के लिए हमें अर्थपूर्ण रीति में साक्ष्य का सर्वेक्षण करना होगा । यह प्रतीत होता है कि इत्तिला देने वाले हारु मियां (अभि. सा. 1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब उसकी पुत्री ने, उस अयुक्त संबंध, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 संलिप्त था, के बारे में अपना विरोध दर्शित किया तो उसे उक्त महिला द्वारा प्रताड़ित किया गया था। यहां तक कि मामले को ग्राम शालिश (सुलकारी बैठक) में भी ले जाया गया था । किंतु उसके पश्चात् भी उसकी पुत्री के प्रति क्रूरता कम नहीं हुई थी । इस प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण इत्तिला देने वाले व्यक्ति की पुत्री ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली थी ।

20. अभि. सा. 1 ने लिखित इजहार (प्रदर्श 1) दर्ज कराई थी । वह मेमोरी कार्ड (एम. ओ. प्रदर्श 1) का भी साक्षी है । प्रतिपरीक्षा में उसने निम्नानुसार कथन किया है :–

"तारीख 28 मार्च, 2013 को, मैंने मनुबाजार पुलिस थाने को मेरी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचना दी थी । तारीख 28 मार्च, 2013 को दिए गए इजहार में मैंने अभियुक्त के रूप में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया था । तारीख 29 मार्च, 2013 को मैंने द्वितीय इजहार दर्ज किया था। द्वितीय इजहार में, मैंने हारु मियां और गोलप बीबी के विरुद्ध आरोप लगाए थे । गोलप बीबी हारु मियां की मासी है ।"

21. उसने उक्त प्रतिपरीक्षा में यह और कथन किया है कि उसने

विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया था कि उसकी पुत्री ने उसे उसके दांपत्य निवास में दी जाने वाली यातना के बारे में बताया था । उसने यह भी स्वीकार किया था कि इजहार में उसने यह उल्लेख नहीं किया था कि उसकी पुत्री उनके घर में एक मास तक रहीं थी और वह एक मास पश्चात् वापस लौटी थी । प्रतिपरीक्षा में दांपत्य 1 ने यह और स्वीकार किया है कि जैसाकि इजहार में कथित है, उसने यह कथन नहीं किया था कि नेपाल दास, एक पंचायत सदस्य और हारु मियां उसकी पुत्री को वापस ले जाने के लिए उसके घर आए थे । उसने यह और कथन किया है कि वह ग्राम शालिश में उपस्थित नहीं था किंतु नेपाल दास वहां उपस्थित था, जैसाकि स्वयं नोपाल दास द्वारा भी कथन किया गया है ।

22. अभि. सा. 1 ने महत्वपूर्ण रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने मृतका (सीमा अख्तर) का निकाह हारु मियां (प्रत्यर्थी सं. 2) के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया था । किंतु उसने इस बात से इनकार किया था कि यह आत्महत्या का कारण हो सकता था । महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षा में, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि हारु मियां की आयु लगभग 22/23 वर्ष है, जबकि उस महिला की आयु, जिसके साथ प्रत्यर्थी सं. 2 के अभिकथित रूप से अयुक्त संबंध थे, लगभग 60 वर्ष थी । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह अयुक्त संबंध में लिप्त था ।

23. श्रीमती बीना अख्तर (अभि. सा. 2) मृतका की माता है । उसने यह कथन किया है कि विवाद केवल उस समय आरंभ हुआ था जब उक्त महिला के साथ अयुक्त संबंध प्रकट हुए थे । उसने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और उक्त महिला उसकी पुत्री को यातना देते थे । एक बार उसकी पुत्री को वापस उनके घर लाया गया था और तब वह लगभग एक मास तक उनके घर में रही थी । उसके पश्चात्, उनके कुटुंब विवाद के संबंध में ग्राम शालिश की बैठक होने के पश्चात् हारु मियां और नेपाल दास उसे वापस ले गए थे । किंतु उसकी दांपत्य संबंधी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ था । उसने यह भी कथन किया है कि उक्त महिला प्रत्यर्थी सं. 2 की मासी थी ।

24. अभि. सा. 3 श्री इदू मियां, मृतका का चाचा है । उसने लगभग प्रत्यर्थी सं. 2 के कथन को दोहराया है । इसके अतिरिक्त, वह अभिग्रहण (प्रदर्श एम. ओ. 1) का भी साक्षी था । उसने हस्ताक्षर और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) की पहचान की है । किंतु प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने अपनी आंखों से यातना दिए जाने की घटना को

नहीं देखा था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त महिला, जिसके साथ अयुक्त संबंध रखने का आरोप लगाया गया है, प्रत्यर्थी सं. 2 की मासी है और उनकी आयु में बहुत बड़ा अंतर है । किंतु उसने इस बात से इनकार किया है कि जैसाकि आरोप लगाया गया है । इस प्रकार के कोई अयुक्त संबंध विद्यमान नहीं थे ।

25. अभि. सा. 4, मोहम्मद अजू मियां कोई तात्विक साक्षी नहीं है ।

26. अभि. सा. 5, मोहम्मद अब्दुल करीम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 ने एक बार उसे यह बताया था कि उक्त महिला उसकी पुत्री (सीमा अख्तर) को यातनाएं देती थी । किंतु उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि उसने इस बात का उल्लेख अन्वेषण अधिकारी को नहीं किया था ।

27. अभि. सा. 6 श्रीमती कमला खातून ने एक भिन्न कहानी प्रस्तुत की है कि उसने अभि. सा. 1 से यह सुना था कि मृतका का पति और उसकी सास उसे यातनाएं देते हो ।

28. अभि. सा. 7, आलम मियां कोई तात्विक साक्षी नहीं है क्योंकि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता ।

29. अभि. सा. 8, नूर अहमद मियां को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी इस बात से इनकार किया था कि उसने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष यह कथन किया है कि "हारु मियां और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और हारु मियां अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और उसे मर जाने के लिए कहा करता था । तारीख 27 मार्च, 2018 की दोपहर को मैंने यह देखा था कि हारु मियां अपने घर में अपनी पत्नी को पीट रहा था और उसके पश्चात् वह घर से निकल गया था । उसके पश्चात् रात्रि 9.00 बजे मैंने यह सुना कि सीमा अख्तर ने आत्महत्या कर ली है ।" उसके कथन को अन्वेषण अधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन रहते हुए (प्रदर्श 3) के रूप में चिह्नांकित किया गया था ।

30. अभि. सा. 9, श्री विश्वनाथ भौमिक मृतका के शरीर पर पहने हुए कपड़ों-जेवर आदि के अभिग्रहण का साक्षी है (प्रदर्श एम. ओ. 11 शृंखला)

31. अभि. सा. 10, श्रीमती सालेदा बेगम को भी पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था और उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । किंतु उसने न तो अपनी मुख्य परीक्षा में और न ही अपनी प्रतिपरीक्षा में कुछ तात्विक कथन किया है ।

32. अभि. सा. 11, श्री नेपाल दास, जिसने उक्त साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 2 के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 2 और मृतका के बीच सुलह कराने की पहल की थी । एक समझौता किया गया था । विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए इन परिसाक्ष्यों को पढ़ने पर, कुछ भी अर्थपूर्ण, सिवाय एक शालिश बैठक के आयोजन के, सामने नहीं आता है, किंतु प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को किसी भी रीति में अपराध में फंसाने वाले कोई ब्यौरे सामने नहीं आते हैं ।

33. अभि. सा. 12 श्री दुलाल चंद बनिक एक मुंशी है और उसका परिसाक्ष्य किसी अन्य प्रयोजन के लिए सारवान् नहीं है ।

34. अभि. सा. 13, मोहम्मद मुगल अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इत्तिला देने वाले व्यक्ति (अभि. सा. 1) ने उसे बताया था कि मृतका अपने दांपत्य निवास में दुखी थी । किंतु उसने प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को अपराध में फंसाने वाला और कोई कथन नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप, अभि. सा. 13 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था, किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में न तो अभियोजन पक्ष और न ही प्रतिरक्षा पक्ष उससे कोई ऐसा कथन करवा पाए जो उनके अपने-अपने पक्षकथनों का समर्थन करता और इस प्रकार, अभि. सा. 13 के परिसाक्ष्य का कोई तात्विक मूल्य नहीं है । अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था ।

35. अभि. सा. 14, श्री शंकर साह पुलिस का उप निरीक्षक है । उसने अन्वेषक अधिकारी के रूप में आरोप पत्र फाइल किया था, किंतु उसने मामले का कोई अन्वेषण नहीं किया था । उसने केवल आरोप पत्र के रूप में सामग्री को एकत्रित किया था ।

36. अभि. सा. 15, डा. देबज्योति मजूमदार, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 2013 के मनुबाजार पुलिस थाना के मामला सं. 06 के संबंध में मृतका (सीमा अख्तर) के शव की शव-परीक्षा की थी, ने विचारण में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि शव-परीक्षा के पश्चात् उसने उसकी रिपोर्ट तैयार की थी । रिपोर्ट के

अनुसार मृत्यु का कारण दम घुटना था । उसने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श 7) की पहचान की थी ।

37. अभि. सा. 16, श्रीमती नीरजहां बेगम **उर्फ** नजीमेन्शा ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और मृतका छोटी-मोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे ।

38. अभि. सा. 17, श्री फिरोज मियां, जिसने मनुबाजार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में साक्ष्य दिया है, ने यह कथन किया है कि उसने दंड संहिता की धारा 498/306 के अधीन 2013 का मनुबाजार पुलिस थाने का मामला सं. 18 रजिस्ट्रीकृत किया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का प्ररूप भरा था । उसने और कुछ प्रकट नहीं किया ।

39. अभि. सा. 18, श्री मनिन्दर देववर्मा, जिसने पुलिस उप निरीक्षक के रूप में मामले का अन्वेषण किया था, ने अपने परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सीमा अख्तर की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा पुलिस थाने को सूचना दी गई थी । प्रारंभ में मनुबाजार पुलिस थाने की साधारण डायरी में सं. जी.डी.ई. के संख्यांक 931 के अधीन प्रविष्टि की गई थी और उसके पश्चात् उसे तारीख 28 मार्च, 2013 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन 2013 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन 2013 के यू.डी. मामला सं. 6 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

40. अभि. सा. 18, समय को व्यर्थ किए बिना तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने मृतका के शव को झोपड़ी की लकड़ी की बीम से लटका हुआ पाया था । उसने मृत्यु समीक्षा संबंधी प्रक्रिया को पूरा किया । मृतका के शरीर पर पहनी हुई चीजों का अभिग्रहण किया और शव-परीक्षा के पश्चात् मृतका के शरीर को अभि. सा. 1 को सौंप दिया था । उसके पश्चात्, 29 मार्च, 2013 को पश्चात्वर्ती इजहार के आधार पर 2013 का मनुबाजार पुलिस थाने का मामला सं. 18 रजिस्ट्रीकृत किया गया था और उसका अन्वेषण किया गया । अन्वेषण उसके द्वारा किया गया था और उसने संक्षेप रूप में यह कथन किया है कि उसने अन्वेषण को किस प्रकार किया था । उसने घटनास्थल का एक स्कैच नक्शा तैयार किया । उसके पश्चात् उसने साक्षियों की परीक्षा आरंभ की । उसने उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए नूर मोहम्मद (अभि. सा. 8) के कथन और सालेया बेगम (अभि. सा. 10) के कथन की पुष्टि की और उसे सिद्ध किया ।

41. अभि. सा. 18 ने प्रत्यर्थी सं. 2 को गिरफ्तार किया था । उसने अकेले ही साक्षी की परीक्षा की थी किंतु वह आरोप पत्र फाइल नहीं कर सका था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह प्रकट किया है कि सालेया बेगम (अभि. सा. 10) का घर किसी दूर स्थान पर स्थित है ।

42. इससे पूर्व कि हम ऊपर विचार किए गए अनुसार पैरामीटरों के अधीन रहते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करें, हमें शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 7) का परिशीलन करना होगा । मृतका के शरीर पर बाहरी क्षतियों के कोई चिह्न नहीं हैं । किंतु शव-परीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक क्षतियों जैसे कि फांसी पर लटकने के परिणामस्वरूप कण्ठिका के अस्थिभंग को पाया गया है । शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर ने थायरॉएड के स्तर पर के आस पास गले पर बंधन के चिह्न पाए थे । चिकित्सीय राय निश्चायक और स्पष्ट है । शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी लगाने के कारण दम घुटना है ।

43. मृत्यु के इस मामले के संबंध में किसी को भी संदेह नहीं था, न तो अन्वेषण अधिकारी को और न ही इसके अपीलार्थी को । अतः, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 की ओर से दुष्प्रेरण या और इसके परिणामस्वरूप मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । साक्ष्य में दंड संहिता की धारा 107 के अर्थातर्गत दुष्प्रेरण की किसी विनिर्दिष्ट घटना को सामने नहीं रखा गया है और न ही साबित किया गया है, किंतु अपीलार्थी ने यह साक्ष्य दिया है कि अयुक्त संबंधों के कारण मृतका कुंठित थी और जब उसने विरोध किया तो उस पर निरंतर हमला किया गया था और उसके साथ गाली गलौज की जाती थी और इस कारण से उसने आत्महत्या की थी । साक्ष्य में उकसाए जाने की परोक्षता या अव्यवहितत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है ।

44. आगे बढ़ने से पूर्व, हम दंड संहिता की धारा 107 के उपबंधों पर नजर डालेंगे । दंड संहिता की धारा 107 यह उपबंध करती है कि किसी चीज के दुष्प्रेरण से क्या अभिप्रेत है । धारा 107 के सकल परिशीलन से यह समझा जा सकता है कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने की एक मानसिक प्रक्रिया या किसी व्यक्ति की जानबूझकर कोई कार्य करने के लिए सहायता करना सम्मिलित है और षड्यंत्र के मामलों में भी इसमें किसी कार्य को करने के लिए षड्यंत्र में शामिल होने की मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होगी ।

45. किसी कार्य को करने के लिए उकसाया जाना या उसमें सहायता करना अपेक्षित है । यदि इस प्रकार के घोर उकसाए जाने को सिद्ध किया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 306 के दुष्प्रेरण का अपराध किया गया है । कोई व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण तब करता है (1) जब वह किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाता है, या (2) उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करता है, या (3) जानबूझकर उस कार्य को करने में किसी कार्य का अविधिपूर्ण लोप द्वारा सहायता करता है । ये चीजें अपराध के रूप में दुष्प्रेरण को पूरा करने के लिए अनिवार्य है । **सोहनराज शर्मा** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] में रिपोर्टित ।

46. 'उकसाना' शब्द किसी उग्र या किसी ऐसे कार्य को, जिसे न करने की सलाह दी जाती है, करने के लिए प्रेरित किए जाने या भड़काए जाने या प्रोत्साहित किए जाने या प्रेरणा दिए जाने को इंगित करता है । अतः, आपराधिक मनोस्थिति की उपस्थिति उकसाने की सहवर्तिता के लिए आवश्यक है । यह सामान्य ज्ञान है कि किसी झगड़े या क्षणिक आवेश में बोले गए शब्द आपराधिक मनोस्थिति को दर्शित नहीं करते हैं क्योंकि वे क्रोध या भाववेष में कहे जाते हैं । **संजू** उर्फ **संजय सिंह सेंगर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] रिपोर्टित ।

47. अतः, इस न्यायालय को : (क) दंड संहिता की धारा 498क के अर्थांतर्गत क्रूरता और (ख) दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित किए जाने के प्रयोजन लिए दंड संहिता की धारा 107 के अधीन उदाहरण सहित सुस्पष्ट किया गया है, के कारित किए जाने के साक्ष्य का पता लगाना है ।

48. इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य है कि तारीख 28 मार्च, 2013 को उसी इत्तिलाकर्ता ने मनुबाजार पुलिस थाने को अपनी पुत्री की 'अप्राकृतिक' मृत्यु की सूचना दी थी । साक्ष्य में यह सामने आया है कि उसने सूचना फाइल करते समय यह प्रकट नहीं किया था कि कोई अपराध किया गया है या प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 अपराधी था । किंतु ऊपर किए गए कथनानुसार अपराध के किए जाने के दो दिन के पश्चात्, एक लिखित इजहार फाइल की गई थी, जिसमें किसी ऐसी महिला से जो आयु में

[1] (2008) 11 एस. सी. सी. 215 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2018.
[2] (2002) 5 एस. सी. सी. 317 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1998.

प्रत्यर्थी सं. 2 से 40 वर्ष बड़ी है, अयुक्त संबंधों के बारे में कथन किया गया था और यह भी कथन किया गया था कि चूंकि उसकी पुत्री ने इस अयुक्त संबंधों का विरोध किया था, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 नियमित रूप से उसके साथ गाली-गलौज करते थे या शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करते थे ।

49. इजहार में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि इस प्रकार के गाली-गलौज और प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या की थी, किंतु इजहार में कहीं भी और न ही विचारण के दौरान अभि. सा. 1 या अभि. सा. 2 ने अपने मौखिक कथन में यह कथन नहीं किया है कि मृतका ने किसी भी समय इस संबंध में कोई शिकायत की थी, यद्यपि ग्राम शालिश में इसके प्रति कुछ प्रतिनिर्देश हैं, किंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपराध में फंसाने के लिए पूर्व में किए गए किसी कार्य का उल्लेख किया गया हो ।

50. इस संबंध में इस तथ्य का कोई आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, जब ऐसा कोई कथन मृतका द्वारा किया गया था, वहां अभियोजन द्वारा यह स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि ऐसे कथन को मृतका का मृत्युकालीन कथन कहा जा सकता है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन मृतका के उक्त कथन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । इस प्रकार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि दुष्प्रेरण से संबंधित तथ्य को सिद्ध किया गया है ।

51. इसके अतिरिक्त, इन परिस्थितियों में तारीख 29 मार्च, 2013 को देरी से इजहार का फाइल किया जाना, लिखित इजहार में किए गए प्रकटन की सच्चाई के बारे में संदेह को और पुख्ता करता है । इसको सामूहिक रूप से पढ़े जाने पर हमें यह विश्वास हो जाता है कि लिखित इजहार में लगाए गए आरोप और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा विचारण में अपने अभिसाक्ष्य में लगाए गए आरोपों को विचारण के अभियुक्तों प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को दोषसिद्ध ठहराए जाने के लिए विश्वास में नहीं लिया जा सकता ।

52. साक्ष्यों के अभिलेख में ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसे यह अभिनिर्धारित करने का आधार बनाया जा सके कि दंड संहिता की धारा 498क के अर्थांतर्गत क्रूरता से संबंधित कोई साक्ष्य है । जैसाकि पहले ही

कथन किया जा चुका है, जब तक कि ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य न हो, जो मृतका द्वारा किए गए कथन पर आधारित हो, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता । जहां तक मृतका के कथन का संबंध है, यह दर्शित करना होगा कि ऐसे कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन छूट प्राप्त है । किंतु इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है और इस प्रकार ये कथन सुनी सुनाई बातों संबंधी नियम के अनुसार धराशायी हो गए हैं । यदि क्रूरता के तत्व को स्थापित नहीं किया गया है तो चाहे यदि अप्राकृतिक मृत्यु विवाह के दिवस से 7 वर्ष के भीतर हुई हो, तो भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के अधीन दुष्प्रेरण की उपधारणा को नहीं बनाया जा सकता ।

53. अतः, हमें विचारण न्यायालयों के निष्कर्षों में कोई शिथिलता प्रतीत नहीं होती है । इसके परिणामस्वरूप, अपील को खारिज किया जाता है । एल. सी. आर. को तुरंत वापस भेज दिया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु./पा.

(2018) 2 दा. नि. प. 436 **मध्य प्रदेश**

वचन लाल और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 1 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 अपवाद 4, 302 और 304 भाग II [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 14] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जानकारी और आशय – अभियुक्त द्वारा पूर्व वाक्कलह के कारण पीड़ितों पर हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप एक पीड़ित की मृत्यु हो जाना – पक्षकारों के बीच पूर्व दुश्मनी के कारण बिना पूर्वचिंतन के हमले की कार्यवाही – उस विशिष्ट अभियुक्त का पता नहीं चलना जिसके द्वारा मृतक पर विनिर्दिष्ट क्षति कारित की गई और लाठी की भांति किसी

कठोर और कुंद वस्तु से कारित की गई क्षति जो साधारण प्रकृति की हो तथा यदि अभियुक्तों को यह जानकारी हो कि हमले से मृतक की मृत्यु हो सकती है परंतु उनका हत्या करने का आशय न हो और घातक क्षति को किसी अभियुक्त द्वारा साशय की गई साबित नहीं किया गया हो तो अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग II में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

वर्तमान मामले के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 4 मई, 1999 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न शिकायतकर्ता देवी लाल ने इस आशय की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि वह अपने भाई मृतक माथुर और अन्य लोगों के साथ अपने चाचा के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्राम सुंज गया हुआ था । 9-10 बजे अपराह्न के बीच शिकायतकर्ता अपने भाई मृतक माथुर, राम प्रसाद, वीर सिंह और अन्य लोगों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए गया हुआ था । जब वे कुम्हार के पास से वापस लौट रहे थे तब हरि, बैज नाथ, कमला और श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसके भाई और राम प्रसाद पर हमला किया । उसके भाई माथुर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और राम प्रसाद के सिर पर क्षति पहुंची । इसके पश्चात् अपीलार्थी भाग गए । शिकायतकर्ता और अन्य लोग विवाह स्थान से शव को ले गए और अगले दिन प्रातः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थी वचन लाल, हरि और अन्य लोगों का शिकायतकर्ता के पुत्रवधु के मामले में मृतक के साथ बहुत पहले से विद्वेषपूर्ण रवैया रहा था जिसे हेतु के रूप में देखा गया है । मामले में अन्वेषण प्रारंभ हुआ था और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई थीं । मृतक का शव, शव-परीक्षा के लिए और आहत व्यक्तियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । आरोप पत्र सक्षम दांडिक अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । मामले को सुपुर्द करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तथा अनुकल्प रूप में दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 और धारा 323 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अपीलार्थियों ने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की ईप्सा की । अभियोजन पक्ष ने देवी लाल, राम प्रसाद और मुल्ला की अपने पक्षकथन के समर्थन में परीक्षा कराई जबकि प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया । सभी अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन आरोपों से इनकार किया और पहले की दुश्मनी के कारण मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । अपीलार्थियों के विद्वान्

काउंसेल ने आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश को आक्षेपित करते हुए यह निवेदन किया कि वर्तमान मामला इस प्रकार का है जहां प्रकट तथ्यों और परिस्थितियों में दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन हो सकती है परन्तु इस कारण से दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रतीत नहीं होती है कि उदर के ऊपरी भाग में एक घातक क्षति जो मृतक माथुर को कारित की गई थी और जिसकी चिकित्सा और मौखिक साक्ष्य द्वारा संपुष्टि हुई है । यह भी निवेदन किया गया कि अभि. सा. 2 और 3 अर्थात् राम प्रसाद और मुल्ला जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उन्होंने यह अभिसाक्ष्य देकर अभियोजन पक्षकथन में सुधार करने की कोशिश की कि वे लालटेन लेकर चल रहे थे जिसकी मदद से वे हमलावरों/अपीलार्थियों की अंधेरे में पहचान कर सकें । साक्षियों का लालटेन ले जाने का यह तथ्य उनके पूर्ववर्ती कथनों में विलुप्त है । अपीलार्थियों ने यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने इस आधार पर इस सुधार को त्यक्त कर दिया कि शिकायतकर्ता की ओर से यह बात नैसर्गिक रूप से प्रकट हुई थी और साक्षी जो विवाह समारोह में उपस्थित हुए थे और रात्रि के दौरान कुछ प्रकाश के स्रोत के साथ यात्रा कर रहे थे और इसलिए यद्यपि उक्त साक्षी ने लालटेन ले जाने के बारे में अपने पूर्ववर्ती कथनों में यह बात नहीं बताई । उक्त तथ्य अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय नहीं बनाता है । देवी लाल (अभि. सा. 1) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपने परिसाक्ष्य के पैरा 4 में यह कथन किया है कि हमले के दौरान जमीन पर रक्त फैल गया था । अभियोजन पक्ष ने इसी प्रकार की रक्तरंजित मिट्टी बरामद नहीं की । अंत में यह निवेदन किया कि अपीलार्थी सं. 1, 2, 3 और 4 क्रमशः 5 वर्ष तीन मास, पांच वर्ष और चार वर्ष आठ मास से तथा 4 वर्ष 8 मास से कैंसर से पीड़ित है और इसलिए उन्होंने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 भाग II में संपरिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – परस्पर पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर सोच समझ कर विचार करने के पश्चात् और निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने पर तथा निचले न्यायाधीश के अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर इस न्यायालय का विचारित मत यह है कि यह एक ऐसा मामला है जहां दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि निम्नलिखित कारणों की वजह से दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित की जाती है – (i) अभियोजन पक्षकथन का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर जिसे देवीलाल (अभि. सा. 1) राम प्रसाद (अभि. सा. 2) और मुल्ला (अभि.

सा. 3) के परिसाक्ष्य द्वारा साबित किया गया है जो सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिसमें से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, यह प्रकट हुआ है कि (पप्पू) जो विवाह में पक्षकार के रूप में मौजूद था तथा अपीलार्थी सं. 1 वचन लाल के बीच वैर-भाव था । उन दोनों के बीच वाक्‌कलह हुई थी जब शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जब अपीलार्थियों ने आहत राम प्रसाद (अभि. सा. 2) मुल्ला (अभि. सा. 3) और मृतक माथुर पर भी हमला किया । इस प्रकार हमले से यह प्रकट नहीं होता है कि हमला पूर्वचिंतन से किया गया था गाली-गलौज और वाक्‌कलह आपस में हुई थी जिस वजह से एक-दूसरे ने धैर्य खो दिया था । (ii) हमले का बहुप्रयोजन कथन जो अपीलार्थियों के संबंध में किया गया है किसी विशिष्ट अपीलार्थी द्वारा कोई विशिष्ट क्षति पहुंचाए जाने का कथन नहीं है । (iii) इसके अतिरिक्त, डा. एस. के. द्विवेदी (अभि. सा. 8) का परिसाक्ष्य जिन्होंने आहत राम प्रसाद (अभि. सा. 2), मुल्ला (अभि. सा. 3) की परीक्षा ही नहीं की परन्तु उन्होंने शव-परीक्षा भी की और उन्होंने यह पाया कि आहत के शव पर कठोर और कुंद वस्तु से साधारण क्षति पहुंचाई गई थी जबकि मृतक के शरीर पर केवल एक क्षति पहुंचाई गई थी जिसकी प्रकृति गुमटा की थी और उसमें सूजन भी थी जिसकी लम्बाई 9.4 सेंटीमीटर थी । अमाशय के बाईं ओर पाई गई थी तथा नवीं और दसवीं पसलियों का अस्थिभंग पाया गया था इसके अतिरिक्त इस क्षति के अलावा मृतक के शरीर पर कोई दूसरी क्षति नहीं पाई गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में एक क्षति हुई थी जो मृतक के लिए घातक साबित हुई जिससे उसकी प्लीहा के फटने की वजह से मृत्यु हुई थी । (iv) अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला किया और लाठी और लुहांगी से क्षति पहुंचाई गई थी न कि किसी नोकदार वस्तु द्वारा । यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभिलेख पर यह उपदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्षति की किस्म जो घातक रूप में बदल गई, वह क्षति अपीलार्थियों द्वारा वास्तविक आशय से की गई थी, इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थियों का पिटाई करने का एकमात्र आशय था और क्षति कारित करके हत्या करने का कोई आशय नहीं था । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह ऐसा मामला है जहां अपीलार्थियों की यह जानकारी मानी जा सकती है कि उनके हमले से मृतक की मृत्यु हो सकती है परन्तु हत्या करने का कोई आशय नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, घातक क्षति जिसके बारे में चिकित्सीय राय यह है कि यह क्षति

मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थी, इस बात को अपीलार्थी में से किसी के द्वारा भी आशय से कारित किया जाना साबित नहीं किया गया था । यह निष्कर्ष निकाला गया था कि साबित परिस्थितियों से अपीलार्थियों का घातक क्षति पहुंचाने का आशय नहीं माना गया है और अपीलार्थी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता । तथापि, पेश किया गया साक्ष्य और कतिपय जानकारी को सिद्ध किए जाने वाली बात जिससे कि अपीलार्थी इस बात को जानते थे कि हमले से घातक क्षति पहुंचेगी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो सकती है । इस पर हमारे मत को उच्चतम न्यायालय के कुछ विनिश्चयों के सार में अधिकथित विनिश्चयाधार द्वारा सहारा मिलता है । तद्नुसार, वर्तमान अपील इस सीमा तक मंजूर की जाती है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित किया जाता है । तद्नुसार, आजीवन दंडादेश को 5 वर्ष के कठोर कारावास में संपरिवर्तित किया जाता है जो इस न्यायालय की विचारित राय में दंडशास्त्र की अध्यपेक्षा के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा परन्तु साबित अपराध की गुरुता और सुधार की अध्यपेक्षा पर दंड की मात्रा निर्धारित होती है तथापि, दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश जिसे विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित किया गया है उसे अविघ्न छोड़ा जाता है या उस पर कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी या इसकी पुष्टि की जाती है । (पैरा 7, 8 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1994]	(1994) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 64 = 1993 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2870 : **करण सिंह** बनाम **पंजाब राज्य ;**	5
[1986]	सी. ए. आर. 1986 : **मीर धना सिधा** बनाम **गुजरात राज्य ;**	5
[1958]	ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465 : **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य ।**	9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील सं. 204.

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री अरुण बरुवा, विद्वान् काउंसेल
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री जी. एस. चौहान, विद्वान् लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी – अपीलार्थियों ने 1999 के सेशन विचारण सं. 134 में तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2000 को पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी जिसके द्वारा अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने तथा अलग-अलग 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा दंड संहिता की धारा 323 के अधीन व्यतिक्रम प्रतिबंध शर्त के क्रमशः एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का भी दंड किया गया । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश किया गया ।

2. वर्तमान मामले के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 4 मई, 1999 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न शिकायतकर्ता देवी लाल (अभि. सा. 1) ने इस आशय की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की कि वह अपने भाई मृतक माथुर और अन्य लोगों के साथ अपने चाचा के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्राम सुंज गया हुआ था । 9-10 बजे अपराह्न के बीच शिकायतकर्ता अपने भाई मृतक माथुर, राम प्रसाद, वीर सिंह और अन्य लोगों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए गया हुआ था । जब वे कुम्हार के पास से वापस लौट रहे थे तब हरि, बैज नाथ, कमला और श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसके भाई और राम प्रसाद पर हमला किया । उसके भाई माथुर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और राम प्रसाद के सिर पर क्षति पहुंची । इसके पश्चात् अपीलार्थी भाग गए । शिकायतकर्ता और अन्य लोग विवाह स्थान से शव को ले गए और अगले दिन प्रातः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थी वचन लाल, हरि और अन्य लोगों का शिकायतकर्ता के पुत्रवधु के मामले में मृतक के साथ बहुत पहले से विद्वेषपूर्ण रवैया रहा था जिसे हेतु के रूप में देखा गया है । मामले में अन्वेषण प्रारंभ हुआ था और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई थीं । मृतक का शव, शव-परीक्षा के लिए और आहत व्यक्तियों चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । आरोप पत्र सक्षम दांडिक अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । मामले को सुपुर्द करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तथा अनुकल्प रूप में दंड

संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 और धारा 323 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अपीलार्थियों ने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की ईप्सा की ।

3. अभियोजन पक्ष ने देवी लाल (अभि. सा. 1) राम प्रसाद (अभि. सा. 2) और मुल्ला (अभि. सा. 3) की अपने पक्षकथन के समर्थन में परीक्षा कराई जबकि प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया । सभी अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन आरोपों से इनकार किया और पहले की दुश्मनी के कारण मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

4. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश को आक्षेपित करते हुए यह निवेदन किया कि वर्तमान मामला इस प्रकार का है जहां प्रकट तथ्यों और परिस्थितियों में दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन हो सकती है परन्तु इस कारण से दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रतीत नहीं होती है कि उदर के ऊपरी भाग में एक घातक क्षति जो मृतक माथुर को कारित की गई थी और जिसकी चिकित्सा और मौखिक साक्ष्य द्वारा संपुष्टि हुई है । यह भी निवेदन किया गया कि अभि. सा. 2 और 3 अर्थात् राम प्रसाद और मुल्ला जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उन्होंने यह अभिसाक्ष्य देकर अभियोजन पक्षकथन में सुधार करने की कोशिश की कि वे लालटेन लेकर चल रहे थे जिसकी मदद से वे हमलावरों/अपीलार्थियों की अंधेरे में पहचान कर सकें । साक्षियों का लालटेन ले जाने का यह तथ्य उनके पूर्ववर्ती कथनों में विलुप्त है । अपीलार्थियों ने यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने इस आधार पर इस सुधार को त्यक्त कर दिया कि शिकायतकर्ता की ओर से यह बात नैसर्गिक रूप से प्रकट हुई थी और साक्षी जो विवाह समारोह में उपस्थित हुए थे और रात्रि के दौरान कुछ प्रकाश के स्रोत के साथ यात्रा कर रहे थे और इसलिए यद्यपि उक्त साक्षी ने लालटेन ले जाने के बारे में अपने पूर्ववर्ती कथनों में यह बात नहीं बताई । उक्त तथ्य अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय नहीं बनाता है ।

5. **करण सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] तथा **मीर धना सिधा** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब

---

[1] (1994) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 64 = 1993 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2870.

[2] सी. ए. आर. 1986.

लिया और यह भी निवेदन किया गया कि देवी लाल (अभि. सा. 1) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपने परिसाक्ष्य के पैरा 4 में यह कथन किया है कि हमले के दौरान जमीन पर रक्त फैल गया था । अभियोजन पक्ष ने इसी प्रकार की रक्तरंजित मिट्टी बरामद नहीं की । अंत में यह निवेदन किया कि अपीलार्थी सं. 1, 2, 3 और 4 क्रमशः 5 वर्ष तीन मास, पांच वर्ष और चार वर्ष आठ मास से तथा 4 वर्ष 8 मास से कैंसर से पीड़ित है और इसलिए उन्होंने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 भाग II में संपरिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया ।

6. दूसरी ओर राज्य के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि डा. एस. के. द्विवेदी (अभि. सा. 8) का परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर मृत्यु का कारण प्लीहा का फटना है जिस वजह से रक्तस्राव के कारण आघात पहुंचा जो हमले के कारण हुआ था और मृतक माथुर के वक्ष के निचली ओर और उदर के ऊपरी ओर हमला किया गया था । यह भी निवेदन किया गया था कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है इसलिए, दोषिसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिसे निचले न्यायालय द्वारा सही रूप से पारित किया गया है ।

7. परस्पर पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर सोच समझ कर विचार करने के पश्चात् और निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने पर तथा निचले न्यायाधीश के अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर इस न्यायालय का विचारित मत यह है कि यह एक ऐसा मामला है जहां दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि निम्नलिखित कारणों की वजह से दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित की जाती है :–

> "(i) अभियोजन पक्षकथन का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर जिसे देवी लाल (अभि. सा. 1) राम प्रसाद (अभि. सा. 2) और मुल्ला (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य द्वारा साबित किया गया है जो सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिसमें से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, यह प्रकट हुआ है कि (पप्पू) जो विवाह में पक्षकार के रूप में मौजूद था तथा अपीलार्थी सं. 1 वचन लाल के बीच वैर-भाव था । उन दोनों के बीच वाक्‌कलह हुई थी जब शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जब अपीलार्थियों ने आहत राम प्रसाद (अभि. सा. 2) मुल्ला (अभि. सा. 3) और मृतक

माथुर पर भी हमला किया । इस प्रकार हमले से यह प्रकट नहीं होता है कि हमला पूर्वचिंतन से किया गया था गाली-गलौज और वाक्‌कलह की आपस में हुई थी जिस वजह से एक-दूसरे ने धैर्य खो दिया था ।

(ii) हमले का बहुप्रयोजन कथन जो अपीलार्थियों के संबंध में किया गया है किसी विशिष्ट अपीलार्थी द्वारा कोई विशिष्ट क्षति पहुंचाए जाने का कथन नहीं है ।

(iii) इसके अतिरिक्त, डा. एस. के. द्विवेदी (अभि. सा. 8) का परिसाक्ष्य जिन्होंने आहत राम प्रसाद (अभि. सा. 2), मुल्ला (अभि. सा. 3) की परीक्षा ही नहीं की परन्तु उन्होंने शव-परीक्षा भी की और उन्होंने यह पाया कि आहत के शव पर कठोर और कुंद वस्तु से साधारण क्षति पहुंचाई गई थी जबकि मृतक के शरीर पर केवल एक क्षति पहुंचाई गई थी जिसकी प्रकृति गुमटा की थी और उसमें सूजन भी थी जिसकी लम्बाई 9.4 सेंटीमीटर थी । अमाशय के बाईं ओर पाई गई थी तथा नवीं और दसवीं पसलियों का अस्थिभंग पाया गया था इसके अतिरिक्त इस क्षति के अलावा मृतक के शरीर पर कोई दूसरी क्षति नहीं पाई गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में एक क्षति हुई थी जो मृतक के लिए घातक साबित हुई जिससे उसका प्लीहा के फटने की वजह से मृत्यु हुई थी ।

(iv) अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला किया और लाठी और लुहांगी से क्षति पहुंचाई गई थी न कि किसी नोकदार वस्तु द्वारा । यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभिलेख पर यह उपदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्षति की किस्म जो घातक रूप में बदल गई जो अपीलार्थियों द्वारा वास्तविक आशय से की गई थी, इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थियों का पिटाई करने का एकमात्र आशय था और क्षति कारित करके हत्या करने का कोई आशय नहीं था । उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए निचले न्यायालय ने करण सिंह **बनाम** पंजाब राज्य, 1993 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2870 मामले में प्रकट उच्चतम न्यायालय के मत से समर्थन लिया है ।"

8. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह ऐसा मामला है जहां अपीलार्थियों की यह जानकारी मानी जा सकती है कि उनके हमले से मृतक की मृत्यु हो सकती है परन्तु हत्या करने का कोई आशय नहीं हो

सकता । इसके अतिरिक्त, घातक क्षति जिसके बारे में चिकित्सीय राय यह है कि यह क्षति मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थी, इस बात को अपीलार्थी में से किसी के द्वारा भी आशय से कारित किया जाना साबित नहीं किया गया था । यह निष्कर्ष निकाला गया था कि साबित परिस्थितियों से अपीलार्थियों का घातक क्षति पहुंचाने का आशय नहीं माना गया है और अपीलार्थी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता । तथापि, पेश किया गया साक्ष्य और कतिपय जानकारी को सिद्ध किए जाने वाली बात जिससे कि अपीलार्थी इस बात को जानते थे कि हमले से घातक क्षति पहुंचेगी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो सकती है । इस पर हमारे मत को उच्चतम न्यायालय के कुछ विनिश्चयों के सार में अधिकथित विनिश्चयाधार द्वारा सहारा मिलता है ।

9. **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 23 में यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

> "23. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने एम्परर **बनाम** सरदार खान, ए. आई. आर. 1916 बम्बई 191 वाले मामले का हमारे समक्ष उल्लेख किया है जिसमें वीमेन न्यायमूर्ति ने यह कहा है कि –
>
> > जहां एकल प्रहार से मृत्यु हुई है, इसमें हमेशा अत्यधिक कठिनाई होती है कि पूर्ण रूप से यह निश्चित किया जाना कि शारीरिक क्षति की कौन सी मात्रा अपराधी ने आशयित की ।
>
> विद्वान् न्यायाधीश का सम्मान करते हुए जिन्होंने क्षति की अपेक्षित गंभीरता को आशय से जोड़ा है और कि हमने यह देखा है कि इसमें कौन सी धारा अपेक्षित है । दो मामले जब पूर्णतया अलग-अलग हैं और सुभिन्न हैं । यद्यपि उनके बारे में साक्ष्य का कुछ अंश तक छिपा रह सकता है । प्रश्न यह नहीं है कि क्या कैदी का गंभीर क्षति पहुंचाने का आशय था या कोई छोटी-मोटी क्षति पहुंचाने का आशय था परन्तु क्या उसके क्षति पहुंचाने का आशय था जिसे साबित होना चाहिए । यदि उसके क्रियाकलाप से यह दर्शित हो सका है कि उसने ऐसा नहीं किया या संपूर्ण परिस्थितियों को न्याय संगत रूप देने के निष्कर्ष में पहुंचने के लिए इस क्रम में कि अपेक्षित धारा को साबित नहीं किया गया है, परन्तु यदि क्षति के अलावा कुछ भी नहीं है और यह तथ्य कि अपीलार्थी ने इसे कारित किया कि तब

[1] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465.

केवल संभवतः यह अनुमान निकाला जा सकता है कि उसका उस क्षति को कारित करने का आशय था । क्या उसने गंभीरता से या गंभीर आशय से उसे कारित किया । जहां तक प्रश्नगत आशय का संबंध है कि ऐसा नहीं है कि उसका हत्या करने का आशय था या गंभीरता की कोई विशिष्ट मात्रा से क्षति कारित करने का उसका आशय था परन्तु क्या उसने प्रश्नगत क्षति साशय कारित की ; और क्षति की विद्यमानता कारित करने के इस आशय के साथ साबित होती है तब यह उपधारणा की जाएगी जब तक साक्ष्य या परिस्थितियों से विरोधी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । परन्तु कि क्या ऐसी क्षति कारित किए जाने में आशय प्रकट होता है या नहीं यह एक तथ्य का प्रश्न है न कि विधि का । क्या घाव गंभीर था या यदि गंभीर घाव किया गया तो उसकी गंभीरता पूर्ण रूप से पृथक और सुभिन्न है । इस प्रश्न से इसका कुछ भी लेन देन नहीं है कि क्या कैदी का प्रश्नगत क्षति कारित करने का आशय था ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है ।)

दयानंद **बनाम** हरियाणा राज्य, (2008) 15 एस. सी. सी. 717 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1823 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया है –

"14. 15. इस बारे में निर्णायक प्रश्न यह है कि जिसमें समुचित उपबंध को लागू किया जाना था । दंड संहिता की स्कीम में अपराधी मानव वध वास्तविक रूप में और हत्या इसकी एक किस्म है । सभी 'हत्या' आपराधिक मानव वध है परंतु न कि इसके विपरीत । सामान्यतया यह कहा गया है कि 'आपराधिक मानव वध हत्या का विशेष लक्षण है जो हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है' । दंड को नियत करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अपराध की गुरुता का आनुपातिक खास तौर पर आपराधिक मानव वध की तीन मात्राओं की पहचान की गई है । 'प्रथम यह है कि क्या प्रथम मात्रा का आपराधिक मानव वध कहा जा सकता है' । यह आपराधिक मानव वध का गुरुतर रूप है जिसे 'हत्या' के रूप में धारा 300 में परिभाषित किया गया है । दूसरा द्वितीय डिग्री का आपराधिक मानव वध की शब्दावली तब इसे रखा जा सकता है । यह धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय है । तीसरी डिग्री के आपराधिक मानव वध में रखा जा सकता है और यह आपराधिक मानव वध निम्न

प्रकार है तथा इसके लिए उपबंधित दंड तीसरे ग्रेड के लिए उपबंधित दंडों के बीच सबसे कम है । इस डिग्री का आपराधिक मानव वध धारा 304 के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय है ।

16. 'हत्या' और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के बीच शैक्षणिक सुभिन्नता हमेशा न्यायालयों के लिए विवादग्रस्त रहा है और इसमें तब भ्रम पैदा हुआ है यदि न्यायालय ने इसके सही क्षेत्र की अनदेखी की है और विधान-मंडल द्वारा इन धाराओं में प्रयुक्त शब्दावली के अर्थ की भी अनदेखी की है । उन्हें इस बात की अनुमति दी गई है कि वे इनका सार प्रस्तुत करें । इस निर्वचन पर दृष्टिकोण अपनाने का सुरक्षित रास्ता और इन उपबंधों को लागू करना धारा 299 और धारा 300 के भिन्न खंडों में प्रयुक्त मुख्य शब्दों को ध्यान में रखा जाना प्रतीत होता है । निम्नलिखित तुलनात्मक सारणी दो अपराधों के बीच सुभिन्नता के प्रश्न का मूल्यांकन करने में मदद करेगा ।

धारा 299	धारा 300
कोई व्यक्ति जिसके द्वारा आपराधिक मानव वध कारित किया जाता है यदि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाती है ।	कतिपय अपवादों के अध्यधीन आपराधिक मानव वध हत्या है यदि ऐसा कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित हो जाती है ।
आशय	
(क) मृत्यु कारित किए जाने के आशय के साथ ; या	(1) मृत्यु कारित करने के आशय के साथ ; या
(ख) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय के साथ जिससे संभवतया मृत्यु हो जाए ; या	(2) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय के साथ जिसके बारे में अपराधी यह जानता हो कि जिस व्यक्ति को क्षति पहुंचा रहा हो संभवतया उसकी मृत्यु हो जाए ।

	(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित किए जाने के आशय के साथ और शारीरिक क्षति जो साशय कारित की गई है, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त है ; या
जानकारी	
(ग) इस जानकारी के साथ कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित हो जाना संभव हो ।	(4) यदि कार्य करने वाले व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी यदि अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वतर रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

17. धारा 299 का खंड (ख) धारा 300 का खंड (2) और (3) के समरूप है । खंड 2 के अधीन अध्यपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति के लक्षण से सुभिन्न है, अपराधी द्वारा ऐसी विशिष्ट दशा में विशिष्ट पीड़ित के बारे में यह जानकारी रखी जाती है या उसके स्वास्थ्य की दशा के बारे में कि आंतरिक क्षति जो उसे पहुंचाई जाएगी संभवतया इतनी घातक होगी, इस तथ्य के होते हुए भी ऐसी क्षति के साधारण अनुक्रम में सामान्य स्वास्थ्य के व्यक्ति की मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त हो जाए । यह ध्यान देने योग्य है कि मृत्यु कारित करने का आशय खंड 2 के आवश्यक अध्यपेक्षा में नहीं है । शारीरिक क्षति कारित करने का केवल आशय जो अपराधी की जानकारी के साथ ऐसी क्षति के संभावना से विशिष्ट पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु कारित हो

जाए तो इसे इस खंड की परिधि के भीतर हत्या में लाया जाना पर्याप्त है । खंड 2 का यह पहलू भी धारा 300 की परिशिष्ट दृष्टांत (ख) द्वारा प्रकट किया गया है ।

18. धारा 299 का खंड (ख) अपराधी की ओर से कोई ऐसी जानकारी मानी नहीं गई है । धारा 300 के खंड 2 के अधीन आने वाले मामलों के दृष्टांत ऐसे भी हो सकते हैं जहां हमलावर यह जानते हुए साशय मुक्कों से प्रहार करके मृत्यु कारित करता है कि पीड़ित व्यक्ति का यकृत या प्लीहा बढ़ा हुआ है या वह हृदय रोगी है तथा ऐसे प्रहार से उस विशिष्ट व्यक्ति की या यकृत या प्लीहा के फटने के कारण, हृदय का फेल हो जाने के कारण, यथास्थिति, मृत्यु कारित हो जाना संभव है यदि हमलावर को पीड़िता की विशेष बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी और न या मृत्यु कारित करने या शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त है तब अपराध हत्या का नहीं माना जाएगा, यद्यपि ऐसी क्षति जिससे मृत्यु हो जाती है, साशय की गई थी । धारा 300 का खंड 3 में मृत्यु होने की संभावना शब्द के बजाय धारा 299 के समरूप खंड ख में प्रकट है, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किया जाना पर्याप्त शब्दों का प्रयोग किया गया है । सुस्पष्टतया शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो और ऐसी क्षति जिससे प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाना पर्याप्त हो, के बीच सुभिन्नता है । यह सुभिन्नता उत्तम रूप में और वास्तविक है तथा यदि इसकी अनदेखी की जाए जिससे न्याय की अपहानि होगी । धारा 299 का खंड (ख) और धारा 300 का खंड 3 मृत्यु की संभावना की एक डिग्री के रूप में है जो आशय के साथ शारीरिक क्षति का परिणाम है । इस पर अधिक व्यापक रूप से विचार करने पर मृत्यु की यह संभावना की डिग्री है जिससे यह निर्धारित होता है कि क्या आपराधिक मानव वध मध्यम गुरुतर या निम्नतर डिग्री का है । धारा 299 का खंड ख में संभावना शब्द संव्यापकता की संवेदना के अन्तर्गत है जिसका कि मात्र संव्यापकता से विभेद किया जा सकता है, शरीरिक क्षति शब्द प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त शब्द से यह अभिप्रेत है कि मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप अत्यधिक संभावित था । इससे यह अभिप्रेत है कि

प्रकृति के साधारण अनुक्रम की बात को ध्यान में रखा गया है ।

19. खंड 3 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का मृत्यु कारित करने का आशय रहा जब तक कि मृत्यु साशय शारीरिक या क्षतियां पहुंचाने से प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त न हो । राजवंत सिंह **बनाम** केरल राज्य वाले मामले में इस प्रश्न का दृष्टांत दिया गया है ।

10. तद्नुसार, वर्तमान अपील इस सीमा तक मंजूर की जाती है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित किया जाता है । तद्नुसार, आजीवन दंडादेश को 5 वर्ष के कठोर कारावास में संपरिवर्तित किया जाता है जो इस न्यायालय की विचारित राय में दंडशास्त्र की अध्यपेक्षा के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा परन्तु साबित अपराध की गुरुता और सुधार की अध्यपेक्षा पर दंड की मात्रा निर्धारित होती है तथापि, दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश जिसे विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित किया गया है उसे अविघ्न छोड़ा जाता है या उस पर कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी या इसकी पुष्टि की जाती है ।

11. दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास उपरोक्त और दंड संहिता की धारा 323 के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास का दंडादेश साथ-साथ चलेंगे यदि अपीलार्थियों में से कोई 5 वर्ष के कठोर कारावास की पहले ही अभिरक्षा भोग चुका है तब उन्हें उनके जमानत बंधपत्र पर उन्मोचित करके तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा । तथापि, ऐसी दशा में यदि किसी अपीलार्थी ने यहां पर अधिरोपित दंड से कम मात्रा का दंड भोगा है तब उनके बंधपत्र रद्द किए जाएंगे ताकि वे अभ्यर्पण कर सकें और उपांतरित बाकी दंड को भोगेंगे ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

गतांक से आगे........

अध्याय 6

प्रकीर्ण

25. **अननुपालन के लिए शास्ति** – जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

26. **प्रत्यायोजित करने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

27. **केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारी उपाय कर सकेगी ।

28. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, भी प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कोई ऐसी राज्य अधिनियमिति विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अर्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित की जाती है, जिसके अधीन गृहस्थी की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे न्यूनतर नहीं हैं, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई है, वहां राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता, संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती ।

29. **अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति** – (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

30. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद,

अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

31. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(ग) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मदों की लागत को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न से संबंधित नियम ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

32. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वे निबंधन और शर्तें जिन पर धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बेकारी भत्ते के लिए पात्रता अवधारित की जा सकेगी ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(घ) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत प्रतितोष तंत्र और धारा 19 के अधीन ऐसे मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य निधि को प्रशासित कर सकेगा और वह रीति जिसमें वह राज्य निधि को धारित करेगा ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन श्रमिकों के नियोजन के बही खाते और व्यय रखे जाने की रीति ;

(ज) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रबंध ;

(झ) वह प्ररूप और रीति जिसमें स्कीम के लेखाओं को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रखा जाएगा ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

33. **नियमों और स्कीमों का रखा जाना** – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के

पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमंडल के, जहां दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

34. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची 1

[धारा 4 (3) देखिए]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

[1][1. धारा 4 के अधीन सभी राज्यों द्वारा, अधिसूचित स्कीम का संक्षिप्त नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' होगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)' का उल्लेख होगा ।

1क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसमें इसके पश्चात् 'महात्मा गांधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के प्रति किसी संदर्भ को 'महात्मा गांधी नरेगा' कहा जाएगा ।]

[2][1ख. स्कीम का केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसका पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयां, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है ;

(ii) सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण है) ;

(iii) सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;

(iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध ;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है ;

(vi) भूमि विकास ;

---

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा अंतः स्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लब जल नालियों का सन्निर्माण ;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी हैं ;

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ;

(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्वड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म ;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म ;

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मतस्य पालन जैसे मत्सय संबंधी संकर्म ;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ।]

[1][1ग. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधिव्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञान किए जाएंगे ।

1घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा ; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे ।]

[1]* * * *

2. टिकाऊ आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ।

[2][3. स्कीम के अधीन किए गए कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष पहचान सं. दी जाएगी ;

(ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिनके पास जॉबकार्ड है और जिन्होंने कार्य की मांग की है ;

(ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

---

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;]

(ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी ;

(च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे ;

(छ) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएंगे ;

(ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिए साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम से कम पांच कर्मकारों का चयन किया जाएगा ;

(झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ञ) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्हित तकनीकी कार्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा ;

(ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ;

(ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ;

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ड) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर मांग किए जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुंच रखने के लिए योग्य होगा ; और

(ढ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी ।]

[1]* * * *

[2][5. राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी ।]

[1]* * * *

[2][7. राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।]

[3][8. (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि [4][विश्राम के एक घंटे सहित] नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके ।

(2) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अन्तर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं, यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस में बारह घंटे से अधिक न हों ।]

[5][8क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।]

9. कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, [1][प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर]कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

10. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे ।

11. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

12. यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं ।

[2][13. प्रत्येक स्कीम में, कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबंध होंगे :—

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और संदत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा, मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा ;

(ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंधों से संबंधित जानकारी, प्राप्त

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निधियां और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे ; और

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए तथा नि:शुल्क डाउनलोड की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी :

[1]* * * *

14. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए संदत्त मजदूरी, किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे ।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, जनता को मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपलब्ध कराई जाएगी ।

[2][16. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात् ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।]

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

---

[1] का. आ. 1484(अ), तारीख 30.6.2011 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 3000(अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अनुसूची 2

[धारा 5 देखिए]

किसी स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

1. प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो –

(i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और

(ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

[1][2. (1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के निम्नलिखित आवश्यक ब्यौरों वाला एक जॉब कार्ड जारी करें, अर्थात् :–

(i) जॉब कार्ड संख्या ;

(ii) गृहस्थी के सदस्य-वार कार्य की मांग और आबंटन ;

(iii) किए गए कार्य का वर्णन ;

(iv) कार्य करने की तारीखें और दिन ;

(v) उस मस्टर रोल का संख्यांक, जिसके द्वारा मजदूरी संदत्त की गई ;

(vi) संदत्त मजदूरी की रकम ;

(vii) बेकारी भत्ता, यदि कोई संदत्त किया गया हो ;

(viii) डाक महसूल लेखा/बैंक खाता संख्या ;

---

[1] का. आ. 802(अ), तारीख 2.4.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ix) बीमा पॉलिसी संख्या ; और

(x) मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, यदि कोई हो, संख्या ।

[1][(xi) आधार संख्या, यदि जारी की गई हो ।]

(2) जॉब कार्ड पर सभी प्रविष्टियां प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होंगी ;

(3) उपपैरा (1) के अधीन जारी जॉब कार्ड पर गृहस्थी के केवल उन्हीं रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के फोटो होंगे, जिनको जॉब कार्ड जारी किया गया है ।

(4) गृहस्थी के ऐसे रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों, जिनका वह जॉब कार्ड हो, से भिन्न किसी व्यक्ति का फोटो, नाम या ब्यौरे जॉब कार्ड पर चिपकाए या अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।

(5) सभी जॉब कार्ड उन जॉब कार्डधारकों की अभिरक्षा में रहेंगे, जिनके वे हैं ।]

3. पैरा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो स्कीम में अधिकथित की जाए किन्तु किसी भी मामले में पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा, और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ।

4. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

5. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार, उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करे, किसी वित्तीय वर्ष में प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे ।

6. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा 5 में निर्दिष्ट

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्रत्येक आवेदक को, स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा :

परंतु यह कि महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने अनुरोध किया है ।

7. कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए ।

8. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

9. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को, जैसा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

10. यथास्थिति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे । समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

11. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, जॉब कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।

12. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा ।

[1][13. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं ।]

---

[1] का. आ. 324 (अ), तारीख 6.3.2007 द्वारा प्रतिस्थापित ।

14. यदि नियोजन [1][पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या] के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

[1][15. नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक की होगी ।

16. उन सभी मामलों में जहां बेकारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना शोध्य है वहां कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेगा कि उसके लिए आवेदकों को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था ।

17. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहां बेकारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सका था ।

18. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा ।

19. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं होती ।

20. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत जॉब कार्डों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।

21. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

वयस्क सदस्यों के नाम और पते की सूचियां, ऐसी सूची तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर ऐसे प्ररूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी ।

22. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

23. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निदेश दे सकेगी और आवेदक को जॉब कार्ड लौटाने का निदेश दे सकेगी :

परन्तु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निदेशित नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

24. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह निःशुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है, हकदार होगा ।

25. जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, ओषधियां भी हैं, तथा दैनिक भत्ते के संदाय के लिए, जो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित उस मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कार्य में लगे होने पर होती, व्यवस्था करेगी ।

26. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से उद्‌भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपए की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी ।

27. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

28. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी ।

29. पैरा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा ।

30. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[1][31. मजदूरी का भुगतान, [2][यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो] केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

32. हटा दिया जाए ।]

33. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो स्कीम के अधीन नियोजित है, साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए निःशुल्क ऐसा चिकित्सीय उपचार, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या निःशक्तता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

34. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

---

[1] का. आ. 513 (अ), तारीख 19.2.2009 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][35. (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 1, 3, 9 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और भूकंप की प्रकृति की राष्ट्रीय विपत्तियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन की दशा में इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य :–

(i) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी जॉब कार्ड प्राप्त कर सकेंगे ;

(ii) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे ; और

(iii) हानि या विनाश की दशा में जॉब कार्ड के पुनःरजिस्ट्रीकरण और पुनःजारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी जॉब कार्ड निवास के मूल स्थान पर पुनःपृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल जॉब कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

(3) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी ।]

[2][36. अधिनियम या उसमें अनुसूची के अधीन प्राप्त शिकायतों या स्वप्रेरणा और अन्यथा उपबंधित से लिए गए संज्ञान पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :–

(क) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और शिकायत की अभिस्वीकृति सम्यक् रूप से संख्यांकित और तारीख सहित जारी करेगा ;

---

[1] का. आ. 2188 (अ), तारीख 11.9.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] का. आ. 2999 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ख) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(ग) किसी ग्राम पंचायत द्वारा, जो उस कार्यक्रम अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है, शिकायतों का इसके अन्तर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें भी हैं, उनका अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन यथा विहित सात दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा और यदि उस दशा में जब शिकायत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने के विषय से संबंधित है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा और विषय को ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए सात दिन के भीतर निर्दिष्ट करेगा ;

(घ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में व्यतिक्रम होने पर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय होगा तथा ऐसी चूक के विरुद्ध शिकायतें जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास फाइल की जाएगी ;

(ङ) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है ;

(च) राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिनिर्देश से किसी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी साबित होने पर, दोषी पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा ;

(छ) यदि संबद्ध प्राधिकारी यह पाता है कि हकदारी का उल्लंघन है, तो वह व्यथित पक्षकार को सूचना देगा और पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी शिकायत के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ज) की गई कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा और एक पखवाड़े में एक बार विहित फार्मेट में दो

स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा ;

(झ) कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएंगी ;

(ञ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी और वे जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएंगी तथा जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम) को की जाएगी ;

(ट) खंड (ञ) के अधीन कोई अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर की जाएगी ; और

(ठ) उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किसी अपील का निपटारा किया जाएगा ।]

cover iii

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iV

पी एल डी (पी. डी)-9-2018
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in